परिप्रेक्ष्य

PARIPREKṢYA

A Research Journal of New Thoughts

Volume XXXII

Chief editor
Pramod Kumar Singh

Editor
Deepak Ranjan

Content

Editor's Note

Ontological Possibility of Personal Freedom and Nicolai Hatrmann — 9
Dr. Kamta Prasad Yadav

Khalistan Movement in Canada Concern for India — 24
Nishikant Choudhary

Nurturing Attitude for Achieving Higher Scores in Science Subjects — 31
Chanuwat Choomponla and Dr. Chhaya Soni

Carpet Industry in Uttar Pradesh & Role of Child Labour — 43
Dr. Shweta Singh

Economic Growth and Integrated Development Issues of Kaimur District: A Spatio-Temporal Approach — 47
Dr. Nirbhay Kumar Ram

Primary Buddhism and its Impact on Tibetan Buddhism in Himalaya — 51
Subhash Chand

Post-traumatic Growth in Cancer Survivors: Pilot Study in Reference to Gwalior District — 57
Prateek Kumar Singh

The Changing Demographic Patterns of the Religion Fertility: Studied in the Context of their Socio-economic Conditions — 63
Purushottam Pandey

Labour Market in Bihar: An analysis — 71
Sanjeev Kumar

योगवासिष्ठ : दर्शन–विमर्श — 77
डॉ० मनोज कुमार तिवारी

'दुःख है' का आधुनिक सीमांकन : एक दार्शनिक विश्लेषण — 115
डॉ० विभेश कुमार चौबे

हेगेल के दर्शन मे द्वन्दन्याय का स्वरूप — 123
चंद्र मोहन पांडेय

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और भारत का सम्बन्ध संतुलन — 127
डॉ० पीयूष कुमार पाण्डेय

PARIPREKṢYA, Vol. XXXII, Year 2018, ISSN 2278-0602

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और भारत का सम्बन्ध संतुलन

डॉ० पीयूष कुमार पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, बटौली सरगूजा छत्तीसगढ़

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में निरंतर विभिन्न राज्यों के हितों में गतिशीलता बनी रहती है, उनका परस्पर जुड़ाव अलग-अलग स्तरों पर बना रहता है और सब अपने राष्ट्रीय हितों में लगे रहते हैं। राष्ट्र अपने आर्थिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामान्य राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों पर परस्पर संवाद स्थापित करते है। वैश्विक आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रों ने अपनी नीतियों में आधुनिकता का समावेश किया जिससे आर्थिक सुधार, व्यापार तथा वाणिज्य, वैश्विक तापमान में वृद्धि, पर्यावरण, लोकतंत्र की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा, आतंकवाद तथा धार्मिक कट्टरता पर नियंत्रण रखने की बात आगे बढ़ायी। लेकिन ये सारी चीजे अभी हाल के इतिहास अंग है, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में निरंतर बदलती रहती है। हाल की घटनाएँ दर्शाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उभरती हुयी व्यापार तथा आर्थिक गतिविधियाँ, बाजार में नियमों से निर्धारित हो रही है, जिससे पूरे विश्व की व्यापार तथा वाणिज्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है।

समकालीन राष्ट्र स्पष्ट रूप से वैश्विक दृष्टि अपनाये हुए है जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गठबंधन व्यवस्था पर प्रभाव दिखाई दे रहा है और साथ ही बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के ऊपर भी। रूस का रूझान भी बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की तरफ दिखाई दे रहा है जिससे आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी, सैन्य तथा सांस्कृतिक शक्ति आदि के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। रूस निरंतर बहुपक्षीय व्यवस्था के पक्ष में तर्क दे रहा है क्योंकि बहुपक्षीय व्यवस्था में किसी एक देश का निर्देशन नहीं रहेगा, जिससे बहुपक्षीयता दान को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में वैश्विक स्तर पर अमेरिका अकेले नेतृत्वकारी शक्ति नहीं रह जायेगा। जब बहुपक्षीयतावाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएँ जो राष्ट्र के अन्दर अपनी भूमिका निभाती है वे कुछ समूहों में जैसे एशियन निवेश आधारभूत ढॉचा बैंक जैसी संसथाओं में अपनी भागीदारिता स्थापित करेंगी जिससे विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव दिखायी देगा। इस समय एक परिवर्तन यह दिखायी दे रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अन्दर बहुपक्षीय संस्थाएँ कार्य कर रहीं है और अन्य देश इसमें भागीदार बनकर वैश्विक मामलों में नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे है। इससे वर्तमान व भविष्य को लेकर एक प्रकार की अनिश्चितता बनी हुयी है, जिससे संदेह बना है कि किस तरह से व्यवस्था को संचालित किया जायेगा और

मानवता के व्यापक हित में किस तरह से प्रबन्ध किया जायेगा। विश्व की नयी परिस्थितियों तथा नयी चुनौतियाँ का सामना करने में पुरानी चली आ रही पद्धति किस हद तक सक्षम है? इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी संरचना तथा पद्धति वैश्विक व्यवस्था में अपनायी जाए जिससे अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में मौलिक परिवर्तन करके पुरानी व्यवस्था को हटा दिया जाए। अमेरिका ने आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक युद्ध 9/11. के बाद शुरू किया, जिससे भविष्य में अमेरिका की विदेश नीति का आधार मजबूत हुआ और इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव स्पष्ट रूप में दिखायी देने लगा। 9/11 के बाद अमेरिकी अपने करीबी पश्चिमी देशों के साथ मिलकर आतंक के विरूद्ध युद्ध को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया, जिसमें NATO देश तथा विभिन्न क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रीय सहयोगी भी इसमें अहम् भूमिका निभाए।

भारत का सम्बन्ध संतुलन

भारत–चीन सम्बन्ध : भारत और चीन ने अपने आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत की प्रक्रिया जारी रखी है। निरंतर बातचीत के बावजूद बड़ी समस्याओं का समाधान भले ही न हो पाया हो, लेकिन आर्थिक संबंध जारी है और क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग बरकरार है। इस समय सबसे विवादास्पद भारत–प्रशांत क्षेत्र में भारत के समुद्री हित हैं, जहाँ भारत और चीन दोनों के अतिव्यापी हित हैं। भारत द्वारा क्वाड, मालाबार अभ्यास में शामिल होने, वियतनाम तट में समुद्री संसाधनों की खोज आदि को लेकर चीन का मानना है कि सामरिक रूप से अमेरिका भारत समेत अन्य बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर उसे न केवल चीन सागर में रोक रहा है, बल्कि उसकी आर्थिक और सैन्य बढ़ोत्तरी पर भी लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यदि भारत दक्षिण पूर्व और प्रशांत की ओर बढ़ रहा है तो चीन दक्षिण एशिया में पैठ बना रहा है। भारत यह मानता है कि चीन इसके दक्षिण एशियाई देशों को सहयोग कर उसकी घेराबंदी कर रहा है। पाकिस्तान के साथ इसका कई दशकों से एक चिरस्थायी संबंध है और अन्य देशों तक यह साफ्ट और स्मार्ट संसाधनों द्वारा पहुँच बना रहा है।[1]

उदार वैश्वीकृत विश्व व्यवस्था से लाभन्वित होने के बाद चीन मुक्त व्यापार में चैंपियन बन रहा है। इसने भारत के पड़ोस में लगभग सभी देशों में अपने आर्थिक और सैन्य हितों को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। इसने पाकिस्तान और भारत के बीच की दुश्मनी को पाकिस्तान के भरोसेमंद दोस्त के रूप में उभरने के लिए इस्तेमाल किया है। चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) और बेल्ट रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) चीन का पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का न केवल एक और प्रयास है, बल्कि मध्य एशिया और खाड़ी में प्रवेश करने का भी अवसर उसे प्राप्त हो सकेगा। भारत को तनाव में रखने के लिए यह तिब्बत और दलाई लामा मुद्दों को उठाता है। डोकलाम समस्या भूटान को भारत की सुरक्षा छतरी से बाहर निकालने के लिए खड़ी की गई थी। अतीत में इसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पर कड़ी आपत्ति जताई थी। दूसरी ओर इसने बांग्लादेश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने और बुनियादी ढाँचे के विकास के

लिए सहायता प्रदान करने में कोई कोताही और कंजूसी नहीं की। म्यांमार भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आने के लिए तैयार हो गया है।[2]

ऋण भुगतान के मुद्दे के कारण श्रीलंका के साथ इसके संबंधों में खटास आ गई है, लेकिन यह गोला–बारूद की बिक्री और इसके सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से संलग्न होकर श्रीलंकाई सेना के आधुनिकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने दक्षिण चीन सागर विवाद में बाहरी शक्तियों को शामिल करने का विरोध किया है और हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए भारत को चुनौती दी है। नेपाल को अपने सात बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति दी है। एक लैंडलाक देश होने के नाते नेपाल वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भारतीय बंदरगाहों का उपयोग कर रहा था। लेकिन कई सालों से यह भारत पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा था। चीन की पेशकश ने नेपाल को व्यापार के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने में मदद की है। 10 सितंबर 2018 को पुणे में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास से नेपाल के पीछे हटने का यह एक महत्त्वपूर्ण कारण हो सकता है। चीन ने लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में सफलतापूर्वक खीच लिया है।

इसने अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध को चुनौती दी है जो इसके विश्व शक्ति के रूप में उभरने का संकेत देता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में यह एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत के उभार को कम करने लिए कूटनीति का सहारा ले रहा है। डोकलाम गतिरोध काफी लंबा खिचा, जिसका भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सामना किया। इसकी शुरूआत तब हुई जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक निर्माण दल ने 16 जून 2017 को भूटान के डोकलाम क्षेत्र में प्रवेश किया और चीन, भारत और भूटान के बीच मौजूदा समझौते का उल्लंघन करते हुए यथास्थिति बदलने के लिए एक सड़क बनाने का प्रयास किया। जब निर्माण नही रूका तो भारत चीन के बीच आमने–सामने की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद जी–20 शिखर सम्मेलन के मौके पर हैम्बर्ग में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच वार्ता हुई, राजनयिक स्तर पर भी वार्ताएँ हुई। विचार–विमर्श के तेरह दौर के बाद गतिरोध समाप्त हो गया। दोनों देशों में व्यापक मतभेदों की पृष्ठभूमि के बीच वुहान शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की नई उम्मीद जागृत की। एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन होने के नाते इसमें कुछ निर्णायक नतीजा नहीं निकला, लेकिन भविष्य में सहयोग के प्रयासों का संकेत जरूर दिया गया है। दोनों देश घरेलू के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसी प्रकार चीन का आर्थिक प्रदर्शन अमेरिकी संरक्षणवादी नीति से प्रभावित है। इसलिए, यह अपने पड़ोसियों खासकर जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। वुहान में बातचीत को इस प्रक्रिया को जारी रखने के रूप में मानाजा सकता है।

चीन का वर्तमान नेतृत्व घरेलू स्तर पर वादा किए गए बाजार सुधारों को पूरा नहीं करने के लिए समस्याओं का सामना कर रहा है। इसकी आर्थिक वृद्धि कम होती जा रही है, क्योंकि यह अपने व्यापार प्रवाह, विनिमय दरों और

पूँजी प्रवाह को एक साथ नियंत्रित करने में अपेक्षित रूप से सक्षम नहीं हो पा रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था को चुस्त नियंत्रण के माध्यम से बनाए रखने की क्षमता, बिना रखने की यह क्षमता, बिना बाहरी प्रयासों के धीरे–धीरे सामने आती है। यूरोपीय देश इसकी बेल्ट रोड पहल से आशंकित हैं इसलिए पड़ोस से मेल मिलाप करने में इसकी विशेष रूचि है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद विश्व शक्ति के रूप में उभरने की उसकी महत्त्वाकांक्षा में कोई कमी नहीं आ है। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी तक जिनपिंग आउटरीच पुराने अमेरिकी नेतृत्व वाले क्रम की जगह चीन केंद्रित क्रम निर्माण के एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

हाल ही में दोनों देशों के बीच वार्ता के बाद डोकलाम समस्या खत्म हो गई, लेकिन चीन काफी लंबे तिब्बत–भारत सीमा पर भारत के लिए तनाव पैदा करने के अपने प्रयासों को बंद नहीं करेगा। तिब्बत में नागरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। चीन को हाईवे 209 जो अक्साई चिन रोड है, पूरा होने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हिमालयन रेंज, यारलुंग त्सांगपो, सिंधु और गंगा का स्रोत। माउंट कैलाश और मानसरोवर झील को 'दस हजार पहाड़ों के पूर्वज और सौ नदियों के स्त्रोत के रूप में प्रचारित कर रहा है। यह अरूणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित न्यिंगची और लाहोका का भी विकास कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बीजिंग ने अरूणाचल प्रदेश के उत्तर में न्यिंगची और लाहोका के दक्षिणपूर्वी इलाकों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

भारत–अमेरिका सम्बन्ध : शीत युद्ध के बाद की अवधि में आर्थिक सुधारों के साथ अमेरिका के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए। अमेरिका बाजार तक पहुँचने और वाणिज्यिक और सैन्य संबंधों को भी बढ़ावा मिला। इसने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और भारत–प्रशांत क्षेत्र में अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए अपनी कूटनीति को संशोधित किया। लेकिन अमेरिका की बाद की संरक्षणवादी नीति ने भारत को भी नहीं बख्शा। भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम के लिए उच्च शुल्क ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया है। भारत ने अमेरिका से आयातित कुछ कृषि जिंसों पर उच्च शुल्क लगाकर जवाबी कार्रवाई करने का विचार किया, लेकिन 2 नवंबर 2018 तक इस पर रोक लगा दी थी।

दोनों देशों के बीच एक महत्त्वपूर्ण व्यापार मुद्दा था अमेरिका से आयातित चिकित्सा उपकरण। चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के अनुसंधान और नवाचार को प्रभावित करने के लिए कुछ चिकित्सा उपकरणों की कीमत बढ़ाए जाने की आलोचना की गई। भारत के नीति आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी अभी बाकी है। जहाँ तक देशों से व्यापार पर संबंधों का मामला है, तो यह न तो बहुत खराब है और न ही बहुत अच्छा। दूसरी ओर भारत के बाजार पर अमेरिका कंपनियों की गहरी नजर है। दूसरी और ट्रम्प की सुरक्षात्मक आर्थिक नीति ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद की है। इसलिए यह उपेक्षा करना अनुचित है कि ट्रम्प प्रशासन भारत के साथ व्यापार के प्रति कोई उदार रूख अपनाएगा। क्योंकि चीन और भारत को अनुचित व्यापार व्यवहार के देशों की

सूचि में शामिल किया गया था। हालांकि इसके बाद भी द्विपक्षीय संबंध बढ़ते वाणिज्यिक संबंधों के मद्देनजर बिगड़ा नहीं है।[3]

लेकिन भारत अमेरिका के साथ अपने संबंध को लेकर काफी सतर्क है। यह चतुर्भुज के साथ संबंध के स्तर को उन्नत करने के लिए अमेरिका के उस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। चतुर्भुज के लिए चीन की प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर जिसे दस साल बाद नवबंर 2018 में पुनर्जीवित किया गया था, भारत ने इसे भारत–प्रशांत के साथ सम्मिलित न करके एक संरक्षित दृष्टिकोण अपनाया है। एक स्वतंत्र और खुला इंडो–पैसिफिक क्षेत्र भारत और यूएस 2+2 वार्ता के बीच चर्चा का विषय था। इसने व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के मुकाबले के लिए एक विश्वसनीय विकल्प का विकास करता है।

अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ईरानी तेल खरीद रहा है क्योंकि यह भारत की रिफाइनरियों के लिए सस्ता और उपयुक्त है। हालांकि व्यापार घाटा संतुलित करने के लिए भारत अमेरिका से भी तेल खरीदने पर राजी हो गया है। इसके मद्देनजर अमेरिका ने प्रतिबंधों में कुछ छूट देने पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन जल्द ही यह भारत को ईरान से तेल आयात रोकने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिका का कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए भले ही उपयुक्त होगा, लेकिन अल्पकालिक परिस्थितियों में अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। भारत का कहना है कि वह राजनीति के बजाय कच्चे तेल के आयात के अर्थशास्त्र को प्रमुखता देगा। भारत को ईरान से रियायती दर पर तेल मिलता है। अमेरिका और ईरान दोनों के साथ हमारे विशेष संबंध हैं, और हम देख रहे हैं कि इस सब को कैसे संतुलित किया जाए, और इसी के साथ रिफाइनर और अंतिम–उपभोक्ताओं के हितों को भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाना जरूरी है। इस बीच भारत में पैट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। मूल्य वृद्धि मतदाताओं के लिए एक मुद्दा होगा और सरकार इसे कम करने पर विचार कर सकती है, हालांकि अभी तक इसने सार्वजनिक दबाव के बावजूद ऐसा नहीं किया है।

बड़ी शक्तियों से सैन्य उपकरण खरीदना भारत के लिए एक चुनौती है। इससे पहले अमेरिका के साथ उसके सैन्य वाणिज्य को देखते हुए रूस ने पाकिस्तान को ऐसे उपकरण बेचकर उसका बदला ले लिया। इसलिए रूस से मोबाइल सतह से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल प्रणाली (एसएएम) एस–400 की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रति भारत सतर्क है। अमेरिकी राष्ट्रपति से प्रमाणन के बाद इसे अमल में लाया जा सकता है, हालांकि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अमेरिकी कांग्रेस ने प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रो सैंक्शन्स एक्ट (सीएएटीएसए) सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि 2016 में अमेरिकी चुनाव में दखल देने पर रूस को दंडित करने के लिए अमल में लाया गया था। अमेरिका ने सीएएटीएसए, 2017 का उल्लंघन कर रूस से लड़ाकू जेट खरीदने पर चीनी सेना पर प्रतिबंधों में कड़ाई कर दी थी। यह चीन को निर्यात लाइसेंस

के लिए आवेदन करने और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में भाग लेने से रोक देगा। हालांकि अमेरिका ने कुछ देशों के लिए कुछ छूट प्रदान की है जिसमें भारत भी शामिल है। सफल कूटनीतिक प्रयास से भारत रूस से एस–400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयात कर सकता है, जिसका अर्थ है कि अमेरिका भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान के सैन्य बाजार में प्रवेश किया है। पश्चिम एशिया के साथ बेहतर समुद्री संपर्क के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह के निर्माण के लिए भारत की पहल को बाधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह चीन द्वारा पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के निर्माण का जवाब होगा।

भारत–पड़ोसी देश सम्बन्ध : मोदी सरकार ने पडोसियों के साथ अच्छे संबंधों को प्राथमिकता दी थी, लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया निराशाजनक है। भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंधों की इच्छा रखता है लेकिन इसके लिए हिंसा और आतंकवाद से मुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद भारत के पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध होने की उम्मीद थी। भारतीय प्रधानमंत्री के भाव भंगिमा पर उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक थी।

दोनों देशों के बीच वार्ता के फिर से शुरू होने की उम्मीद थी। क्योंकि 2015 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद वार्ता स्थगित कर दी गई, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मी की हत्या और भारत में आतंकवादी घोषित व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए उसके नाम का डाक टिकट जारी करने पर भारत ने वार्ता रद कर दी। फिर भी मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच मानवीय मुद्दों पर सहयोग जारी है करतारपुर कारिडोर का निर्माण इसका एक उदाहरण है। लेकिन सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियाँ थमी नहीं हैं। इसलिए भारत ने पाकिस्तान धरती से भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों पर कार्रवाई का पाकिस्तान से आग्रह किया है।

भारत की सीमा और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र हैं। पाकिस्तान को सारे हालात से अवगत करा दिया गया है लेकिन इस तरह की गतिविधियों का प्रसार लगातार जारी है। यही कारण है कि वर्ष 2016 में भारत ने पाकिस्तान में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया था।

विभिन्न कारणों से दोनों देशों के बीच व्यापारिक गठबंधन भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। पाकिस्तान भारत के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलित का समर्थन करता है। और मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस (एमएफएन) के लिए सहमति नहीं दी है भले ही भारत ने 1996 में पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दिया हो। 2012 में इसने कुछ सकारात्मक चीजों की सूची तैयार की जिनके भारत से आयात करने की अनुमति दी। साथ ही उसने कुछ नकारात्मक चीजों को भी सूची तैयार की है। संभवतः अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए उसने ऐसा किया हो। उसी वर्ष भारत ने गैर–अल्प विकसित देशों के लिए अपनी साफ्टा संवेदनशील सूची में तीस प्रतिशत की कमी की घोषणा की, इसलिए इसके कारण कुछ सामानों पर शुल्क कम हो गया, जिससे भारत को पाकिस्तान

के निर्यात को फायदा हुआ। कई दौर की वार्ता के बाद भी बाघा–अटारी सीमा से भारत से कुछ वस्तुओं के आयात की सुविधा नहीं प्रदान की गई। वहाँ उदारीकरण की प्रक्रिया को राजनीति से अलग करने का काम अभी भी बाकी, जबकि इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा।

बांग्लादेश के साथ ही भारत भी सार्क शिखर सम्मेलन से दूर रहा था, लेकिन मध्य एशियाई देशों और खाड़ी देशों के साथ अपने सहयोग को बढ़ाकर पाकिस्तान ने इसका बदला भी ले लिया। सितंबर 2017 में भारत के गृहमंत्री ने पाक सीमा के साथ पहली स्मार्ट बाड़ परियोजना का उद्घाटन किया, भारत पाकिस्तान की सीमा पर कमजोर स्थलों पर मजबूती प्रदान करने में यह तकनीक सक्षम है। हाल ही में इसने गिलगित–बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 की घोषणा की, जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान से आग्रह किया गया था कि वह उस क्षेत्र के विवाद से दूर रहे जो भारत का अभिन्न अंग है।

नेपाल, भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित कर रहा है। दोनों देशों के बीच पहली नदी जल संसाधन साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्मित अविश्वास ने भारत के खिलाफ लोकप्रिय राय का ध्रुवीकरण किया है। इंडो नेपाल मैत्री संधि निरंतर आलोचना की शिकार हुई। नेपाल के वामपंथी दलों ने भारत नेपाल संबंध को बड़ी शक्ति–छोटी शक्ति के नजरिये से देखा। लैंडलाक देश होने के कारण नेपाल भारत पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए समुद्र में पहुँच बनाने और वैकल्पिक मार्ग प्राप्त करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत था। ओली सरकार ने भारत के अलावा चीन को भी खुश रखने की नीति अपनाई है। सामरिक रूप से नेपाल भारत के लिएकाफी महत्त्वपूर्ण है। इसलिए, भारत ने नेपाली प्रधानमंत्री का बड़ी शक्ति–छोटी शक्ति धारणा को दूर करने के लिए स्वागत किया है।

ओली सरकार को नवनिर्मित संघीय राजव्यवस्था में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता है और फंड प्राप्त करने के लिए भारत बेहतर विकल्प है, क्योंकि चीन नेपाल में संघीय राजव्यवस्था के पक्ष में नहीं था। सत्ता में बने रहने के लिए उनके राजनीतिक विचार भी हैं। अगर वे चीन को भी शामिल कर साथ साथ काम करें तो ये दोनों के लिए अनुकूल होगा और लेकिन इससे पहले उन्हें अपने बीच अविश्वास की खाइ भी पाटनी होगी। इससे चीन को अपने बीआरआई परियोजना को भी ताकत मिलेगी। एक तरफ नेपाल जहाँ चीन और भारत दोनों से संतुलन बिठाकर चल रहा है, वह भारत अपने संबंध इसकी सामरिक स्थिति को लेकर भी है। साथ ही सापट पावर का इस्तेमाल कर चीन की चुनौतियों से भी निपट सकता है।

उपर्युक्त चर्चा के आधार पर वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भारत में लिए संभावित चुनौतियों और अवसरों के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले गए है। एक संभावना यह है कि चीन का आर्थिक प्रदर्शन अमेरिका के आयात संबंधी प्रतिबंधों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर राष्ट्रपति शीजिनपिग की राजनीतिक स्थिरता पर असर पड़ेगा, जिससे चीन भारत–प्रशांत क्षेत्र में अपने आक्रामक रूख से पीछे हटना पड़ सकता है। इसका बीआरआई धरातल पर नहीं उतर सकेगा, जिससे इसका

उन एशियाई देशों में प्रभाव कम होगा जो भारत में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिस्पर्धात्मक माहौल कम होने से भारत अपना बेहतर आर्थिक प्रदर्शन कर सकेगा।

अमेरिका की व्यापार नीति ने रूस को भी प्रभावित किया है। अगर अमेरिका ने अपनी दुश्मनी जारी रखी तो इससे चीन रूस के बीच तालमेल और बेहतर होगा। दोनों ही देश तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साथ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं वे अपना द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध भी सुधार रहे हैं लेकिन रूस का पश्चिमी देशों के साथ मजबूत वाणिज्यिक गठजोड़ है। अपने स्पर्धात्मक आर्थिक हित के नजरिये से वे वहाँ साथ काम नहीं करेंगे, जहाँ उनका हित प्रभावित होता हो। भारत को चीन के साथ अच्छे संबंध तो बनाए ही रखने हैं, रूस के साथ भी अच्छा संबंध बनाए रखना होगा, क्योंकि चीन एक सशक्त आर्थिक शक्ति है और रूस के साथ भारत की पारंपरिक निकटता रही है। हालांकि अभी तक भारत दोनों देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखता आ रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ इसके बढ़ते संबंध खासतौर से हथियारों के खरीद फरोख्त के मामलों ने रूस को निराश किया है, यही कारण है कि उसने अपने कदम पाकिस्तान के सैन्य बाजार की ओर बढ़ा दिए हैं।

संदर्भ

1. रहिस सिंह "*चीन और अमेरिका लव हेट गेम का भरम*" राष्ट्रीय सहारा, 22 जुलाई 2017, पृष्ठ संख्या–02
2. मनोहर जोशी, "*चीन ने साफ तौर पर समझौते का किया है उल्लंघन*" राष्ट्रीय सहारा, 29 जुलाई 2017, पृष्ठ संख्या –02
3. मनीष शर्मा, "*अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध एवम् जटिलताएँ*" वर्ल्ड फोकस, जनवरी 2019, पृष्ठ संख्या 68–69
4. शरत सभरवाल "*मजबूत भारत के लिए जरूरी है क्षेत्रीय शांति–पड़ोसी देशों को दोस्त बनाइए मोदी जी* "चौथी दुनिया 13–19 अगस्त 2018 पृष्ठ संख्या–1–3 तथा भारत 2019 वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या 311–314

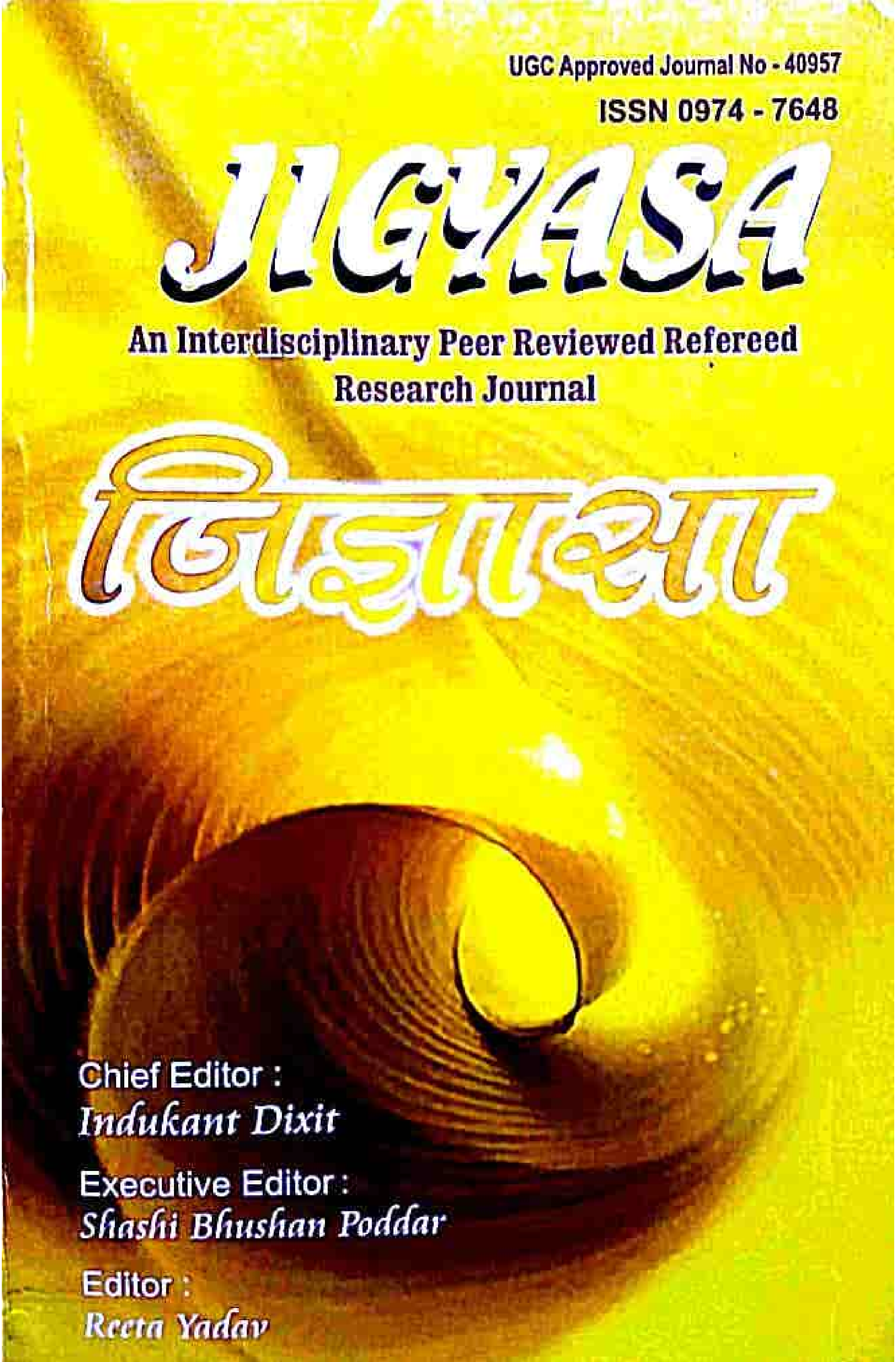

UGC Approved Journal No - 40957
ISSN 0974 - 7648

JIGYASA

An Interdisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

जिज्ञासा

Chief Editor :
Indukant Dixit

Executive Editor :
Shashi Bhushan Poddar

Editor :
Reeta Yadav

- वर्तमान भारतीय समाज में लोक प्रशासन का महत्व — 1314-1315
  डॉ. पवन कुमार, शेखपुरा,पटना
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता — 1316-1326
  मधु कुमारी, शोधार्थी, इतिहास, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
- प्राचीन भारत-नेपाल सम्बध : एक अवलोकन — 1327-1330
  डॉ. मो. सकील राजा, प्रा.भा.इ. एवं पुरातत्व विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
- मध्यकालीन संतों में कबीर और उनकी सामाजिक संरचना — 1331-1332
  कुमारी सबिता, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
- महर्षि वाल्मीकि की धार्मिक दृष्टि — 1333-1336
  डॉ. बैद्यनाथ ठाकुर,
- जैन साहित्य में षडावश्यक स्वरूप : एक अनुचिंतन — 1337-1342
  सुशील कुमार, शोध छात्र, स्नातकोत्तर प्राकृत एवं जैनशास्त्र विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)
- "नेपाल का नया संविधान तथा भारत से बनते बिगड़ते रिश्ते" — 1343-1347
  डॉ.पीयूष कुमार पाण्डेय, सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शास. महाविद्यालय बतौली, सरगुजा, छत्तीसगढ़
- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि विकास (पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में) — 1348-1353
  डॉ. सुजीत कुमार साफी, अतिथि शिक्षक, अर्थशास्त्र विभाग, आर. के. कॉलेज, मधुबनी
- अर्थव्यवस्था के वर्तमान समस्या का अध्ययन — 1354-1358
  डॉ. राहुल कुमार, पी.एच. - डी., अर्थशास्त्र, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
- कॉंग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर नरसिम्हा राव की भूमिका — 1359-1364
  राकेश कुमार यादव, राजनीति विज्ञान विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
- दयामृत्यु : जीवन की रक्षा बनाम मृत्यु का अधिकार — 1365-1375
  डॉ. सुमित कुमार शुक्ला, यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ., पीएच.डी., दर्शनशास्त्र विभाग, पटना वि.वि., पटना

"नेपाल का नया संविधान तथा भारत से बनते बिगड़ते रिश्ते"

डॉ. पीयूष कुमार पाण्डेय*

भारत–नेपाल के सम्बन्ध अमर हैंद्य भारत–नेपाल के बीच त्रेता युग से दोस्ती राजा जनक और दशरथ से हैद्य रामायण में जनकपुर, बुद्ध काल में लुंबिनी का यह संबंध युगों–युगों से चलता आ रहा हैद्य नेपाल और भारत आस्था की भाषा से बंधे हुए हैंद्य हमारी माता, आस्था, प्रकृति, संस्कृति सब एक हैंद्य "नेपाल के बिना हमारे धाम भी अधूरे हैं और हमारे राम भी अधूरे हैं।"

नेपाल एक हिमालय लैंडलॉक्ड एंड बफर कंट्री हैद्य जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन से तथा शेष दिशाओं में भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, एवं सिक्किम से मिलती हैंद्य जो लगभग 1850 किलोमीटर तक विस्तृत हैद्य नेपाल से उद्गमित अधिकांश नदियां भारत को सिंचित, पुष्पित व पल्लवित करती हैंद्य नेपाल की प्रमुख नदियों में करनाली, भैरवी, गंडकी, काली, त्रिशूल, एवं कोसी हैंद्य जिनमें अपार हाइड्रो पावर बनाने की क्षमता हैद्य अभी तक दो तीन परसेंट क्षमता का ही उपयोग हो पाया हैद्य भारत–नेपाल इस क्षेत्र में बहुत काम कर सकते हैं तथा एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं।

भौगोलिक (टोपोग्राफी) दृष्टिकोण से नेपाल को तीन भागों में बांट सकते हैंद्य तराई क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं महान हिमालयी क्षेत्रद्य नेपाल में गोरखा, नेवार, मगर, गुरुंग, लिंबोज, किराती, भूटिया, इत्यादि जाती के लोग प्रमुख रूप से निवास करतें है।

वर्तमान नेपाल की बात शाह वंश के बगैर अधूरी रहेगीद्य इस वंश की स्थापना द्रव्य शाह ने गोरखा जगह पर की, जो काठमांडू से लगभग 75 किलोमीटर दूर हैद्य इसी वंश में राम शाह नाम के बहुत ही प्रतापी राजा हुएद्य जिनके बारे में प्रसिद्धि थी कि अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिलता है तो आप राम शाह के पास जाइए, वहां आपको जरूर न्याय मिल जाएगाद्य इसी वंश में पृथ्वी नारायण शाह ने कांतिपुर, भक्तपुर, और ललितपुर को 1769 में नेवार राजाओं से जीतकर वर्तमान नेपाल की स्थापना कीद्य इनके बाद इनके पुत्र प्रताप सिंह और भाई बहादुर शाह ने नेपाल की सीमा को कुमाऊ गढ़वाल से लेकर सिक्किम तक कर लीद्य वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत का बढ़ता जा रहा थाद्य 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाली सेना का युद्ध हुआ और गोरखाली हार गएद्य तत्पश्चात 2 जनवरी 1815 को बिहार के सुगौली नामक स्थान पर एक संधि

---

* सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शास. महाविद्यालय वतौली, सरगुजा, छत्तीसगढ़

हुई जो 1816 को सुगौली संधि के नाम से अस्तित्व में आईद्य इसी संधि के द्वारा वर्तमान नेपाल की सीमाएं तय हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती पर भी सहमति बनी।

स्वतंत्रता के बाद भारत और नेपाल के बीच 1950 में एक सन्धि हुई जिसे शांति और मित्रता की संधि के नाम से भी जानते हैंद्य यह सन्धि वर्तमान भारत–नेपाल संबंधों का आधार हैद्य जिसमें एक तरफ तो भारत के हित्त और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है तो दूसरी तरफ नेपाल के हितों तथा आर्थिक विकास का ध्यान रखा गया है।

इस संधि में 1816 के संधि का ध्यान रखते हुए ही भारतीय सेनाओं में गोरखा रेजीमेंट को बनाए ही नहीं रखा गया बल्कि बटालियनों की संख्या भी बढ़ा दी गईद्य आज वर्तमान में 80,000 नेपाली युवा गोरखा बटालियन में है और इनके वीरता और शौर्य की कोई मिसाल नहीं हैद्य इस संदर्भ में जनरल मानेक शॉ ने कहा था कि "यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो समझिए कि या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है"।

1950 की भारत–नेपाल संधि की सबसे बड़ी विशेषता ओपन बॉर्डर हैद्य दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही हैद्य भारत–नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंध और सहयोग इसका प्रमाण है कि बड़ी संख्या में आने वाले नेपाली भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं, सिर्फ वे आई. ए.एस. एवं आई.एफ.एस. नहीं बन सकते और चुनाव नहीं लड़ सकतेद्य इस समय भारत में नेपाल के 60 लाख लोगों से भी अधिक लोग निवास करते हैं और नेपाल का शायद ही कोई ऐसा अधिकारी और राजनेता हो जिसका प्रॉपर्टी भारत में न हो।

साथ ही यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की भी सुविधा देता हैद्य भारत प्रत्येक वर्ष 2011 से नेपाल के साथ ऑपरेशन सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा हैद्य इस संधि के द्वारा नेपाल को लैंडलॉक्ड देश होने के कारण कई विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैंद्य इसके साथ ही भारत नेपाल विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आपदा–प्रबंधन एवं संचार में साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।

नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हो गयाद्य नेपाल में 65 साल बाद नया संविधान अस्तित्व में आयाद्य जिसकी प्रमुख बातें निम्न हैंरू

- नेपाल में संघात्मक शासन व्यवस्था को नए संविधान में जगह दी गई हैद्य गणराज्य संघवाद का मूल सिद्धांत है अर्थात नेपाल में राजशाही को अब इतिहास बना दिया गया हैद्य अब नेपाल देश में 7 राज्य होंगे।
- नेपाल के नए संविधान में धर्मनिरपेक्षता इसका दूसरा मूल सिद्धांत होगाद्य अर्थात नेपाल हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है।

- नेपाल के नए संविधान में आर्थिक समानता पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जबकि पुराने ढांचे में एक समुदाय का ही बोलबाला था।
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल अधिकारों की लंबी सूचि हैद्य इसके लिए कोर्ट जाने का अधिकार है।
- नेपाल में महिलाओं को विदेशी पुरुषों से शादी करने पर उनके बच्चों को नेपाली नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- अब नेपाल में संसदीय सरकार होगी, संविधान परिषद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होगी।
- नए संविधान के तहत न्यायिक परिषद सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला जजों को नाम निर्दिष्ट करेगी।
- इस संविधान की मूल भावना यह है कि नेपाल के शासन में हर नेपाली नागरिक को बराबरी की भागीदारी प्राप्त हो।
- संविधान की प्रस्तावना में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली, मताधिकार, प्रेस की आजादी और कानून पर आधारित समाजवाद की बात की गई है।

नेपाल का यह जो नया संविधान बना है, नेपाली जनता में इसका मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलाद्य बड़े पैमाने पर इसका विरोध प्रदर्शन भी हुएद्य अगर हम विरोध प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शनकारी समूह में छह समूह शामिल थेद्य जिसमें प्रमुख रुप से मधेशी दल, जनजातीय समूह, महिलाएं, राजशाही के पक्षधर, हिंदू कट्टरपंथी, विखंडित चरमपंथी माओवादी प्रमुख थेद्य इनका यह आरोप है कि नया जो संविधान बना है इनके हितों की अनदेखी की गई है।

प्रमुख रूप से मधेशी दल जो भारत–नेपाल के सीमा पर निवास करते हैं, उनका यह मानना था कि उनको राजनीतिक रूप से वह अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं जो उनका अधिकार हैद्य अपितु उनके राजनीतिक अधिकारों को इस संविधान में कम करने का प्रयास किया गया हैद्य और उसी हिसाब से राज्यों का बंटवारा हुआ हैद्य महिलाएं, जनजाति समूह, राजशाही के पक्षधर, कट्टरपंथी हिंदू, विखंडित चरमपंथी माओवादी अपने–अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उग्र प्रदर्शन करना प्रारंभ किए।

इन प्रदर्शनों को देखते हुए भारत ने 2015 में अपने नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रों की आर्थिक नाकेबंदी कर दी, क्योंकि भारत को ऐसी आशंका थी कि इन विरोध प्रदर्शनों से भारत के सुरक्षा हित प्रभावित हो सकते हैद्य लेकिन नेपाल में रह रहे भारत विरोधी ताकतों को भारत के विरोध में बात करने का अवसर प्रदान कर दियाद्य अगर हम नेपाल के भारत विरोधी ताकतों की बात करें तो जब से नेपाल में माओवादी आंदोलन (1996) चला

 जिज्ञासा, ISSN 0974-7648, वाल्यूम 12, नं. 1, जनवरी 2019

वहां उनकी नजर में भारत विरोध ही नेपाली राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गयाद्य यह स्थिति 2006 के बाद और गंभीर बन गयी जब नेपाल में कम्युनिस्ट दल सरकार में प्रमुख सत्ताधारी दल के रूप में उभरेद्य यह जो नेपाल में भारत विरोधी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनता जा रहा है कहीं न कहीं इसे चीन का भी प्रश्रय प्राप्त है।

इस बात की पुष्टि इसलिए भी होती है कि इसके तुरंत बाद चीन ने नेपाल को व्यापार में ज्यादा सहूलियत देने के लिए 2016 में उसके साथ एक ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट (ज्ज्।) कियाद्य इस डील में नेपाल को अपना माल दूसरे देशों को भेजने के लिए चीन ने बंदरगाहों वाले शहरों तियानजिन, शेनझेन, लियानयूनगांग, और झानझिआंग का एक्सेस दिया गया हैद्य इसी तरह नेपाल को चीन का लैनसोऊ और तिब्बत के ल्हसा और शिगात्से के ड्राई पोर्ट के जरिए भी दूसरे देशों को माल भेजने की सुविधा दी गई हैद्य

नेपाल के साथ दो तरफा व्यापार बढ़ाने के लिए चीन ने दोनों देशों को जोड़ने वाली रेल व सड़क मार्ग में बड़े पैमाने पर निवेश किया हैद्य उसने नेपाल को 1830 वस्तुएं बीना कोटा और बिना शुल्क के भेजने की सुविधा भी दी हैद्य लेकिन नेपाल इसका फायदा नहीं उठा पा रहा हैद्य नेपाल से चीन जाने वाली माल की बडी खपत तिब्बत में होती हैद्य

तत्तापानी–झांगम और रसुआगढी–केरंग नेपाल और चीन के दो अहम ट्रेड पॉइंट हैंद्य तत्तापानी तो 60 के दशक से नेपाल के लिए चीन से व्यापार का सबसे करीबी और बड़ा ट्रेड पॉइंट हैद्य वित्तवर्ष 2013–14 में नेपाल चीन के साथ इसका एक चौथाई कारोबार इसी पॉइंट से हुआ हैद्य

चीन की कंपनियां भारत को पछाड़ नेपाल में 22 अरब डालर का व्यापार कर रही है।

नेपाल मे फिलहाल 341 बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा हैद्य इसमें 125 चीन के पास, 55 दक्षिण कोरिया के पास, 40 अमेरिका, 23 भारत के पास, 12 यूके के पास और 69 अन्य के पास है।

वित्त वर्ष 2017–18 मे कुल 15 अरब नेपाली रुपए का विदेशी निवेश हुआद्य इनमे आधे से अधिक 8.35 अरब नेपाली रुपए का निवेश अकेले चीन ने कियाद्य तथा भारत ने 1.99 अरब रुपया, दक्षिण कोरिया ने 1.88 अरब रुपए का निवेश किया है।

इसके साथ ही चीन ने नेपाल को 8.2 अरब डालर की मदद का भी भरोसा दिया है।

इसके बावजूद भी भारत–नेपाल के संबंध प्राकृतिक है और नेपाल भारत के साथ 65 प्रतिशत व्यापार होता हैद्य और भारत नेपाल के वस्तुओं के निर्यात के लिए अपने दो बंदरगाहों की सुविधा जिसमें बीरगंज से पश्चिम बंगाल प्रमुख है। लेकिन यहां से बड़े व्यापारिक जहाज नहीं जा सकते।

इसके अलावा विशाखापट्टनम और अन्य दो बंदरगाहों जिसमें उड़ीसा का धामरा, गुजरात का मुद्रा पर विचार किया जा रहा है।

भारत को नेपाल की भावनाओं तथा नेपाल द्वारा लंबे समय से 1950 की संधि पर पुनर्विचार की मांग पर विचार करना चाहिए। नेपाल को भी तस्करी एवं भारतीय हितों का ख्याल रखना होगा।

भारत–नेपाल संबंधो के प्रगाढ़ता के लिए पांच टी का मंत्र प्रमुख हैरू ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ट्रेडीशन, ट्रेड, एवं टूरिज्म।

संदर्भ :

- भारत और नेपाल दृएस.डी. मुनि
- इंडो नेपाल ओपन बॉर्डर –रामप्रसाद राजभरख
- इंडो एंड नेपाल एन एक्सरसाइज इन ओपन बॉर्डर –श्रीमन नारायण
- राजमहल जैसा मैंने देखा –जनरल विवेक शाह
- इनसाइड नेपाल –अमर भूषण
- चक्रव्यूह में नेपाली युवा –सहारा समय
- द मेकिंग ऑफ नेपाल दृआर. एस. सिंह

***

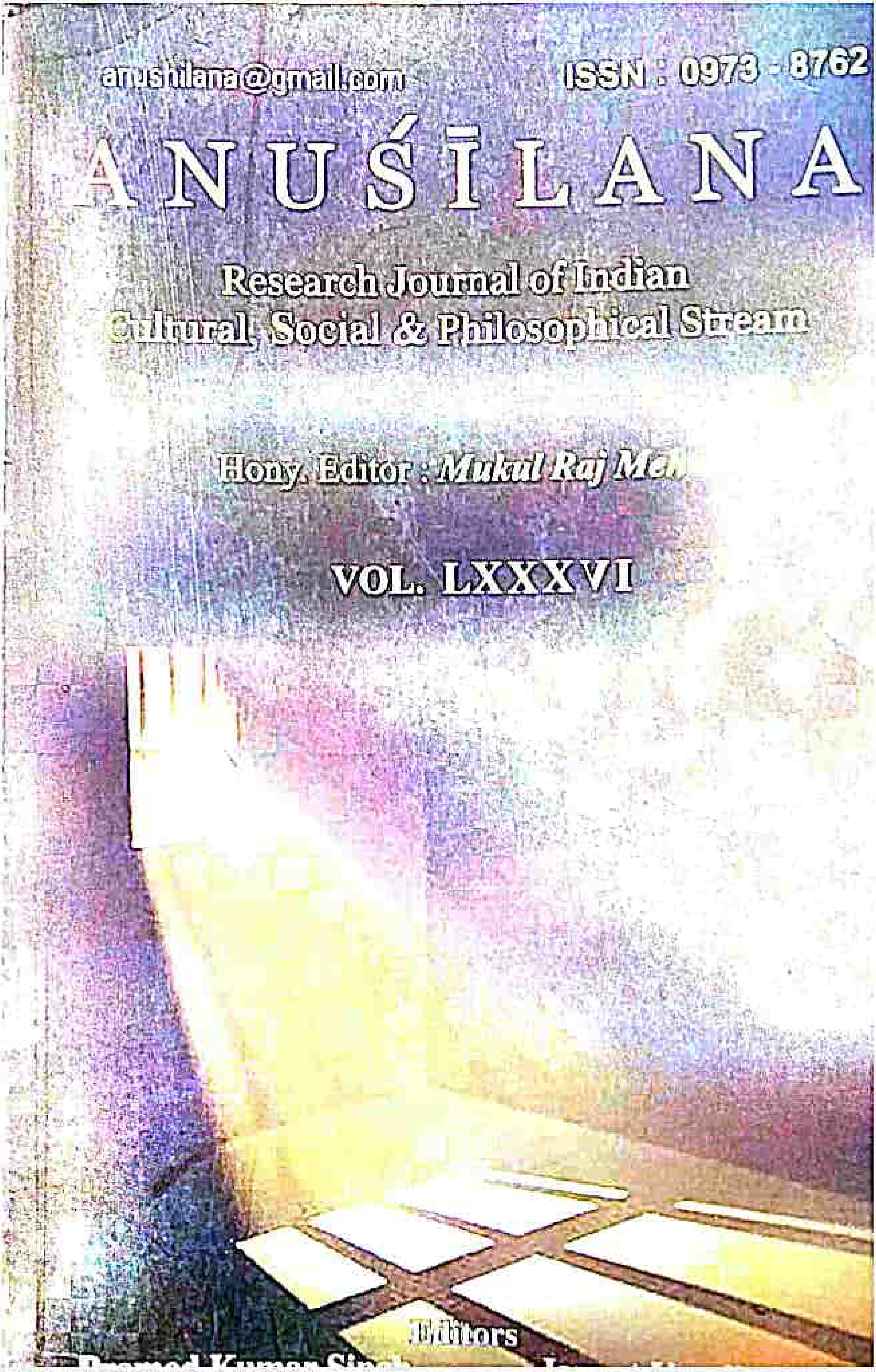

UGC Journal No.: 40985

ISSN 0973 8762

ANUŚĪLANA

Research Journal of Indian
Cultural, Social & Philosophical Stream

Content

Editor's Note

Realisation of the Absolute (Special Reference to Yogavasistha) 9
Dr. Manoj Kumar Tiwari

Using Technology for Language Teaching 17
Roongrat Intraprasert

Various Religious Attitude Happening Noble Buddha's Method of Education as Depicted in the Palisuttapitaka 25
Chanuwat Choomponla and Dr. Chhaya Soni

An Analysis of the Causes of Arising and Continuing of the Cult of Metteyya in Pāli Buddhism 33
Chien Hsing Wen

Ethics of Buddhism: Secular Principles and Practices Towards Virtue 39
Miss Netnapa Sutthirat

Nature of Maya in Advaita Vedanta 46
Aiswarya Patro

Notes on the Reality-status of Cognitive Objects in the Laṅkāvatārasūtra 49
CF Layton

Current Status of Rural Labour Market in India: An Analysis 55
Sanjeev Kumar

Teenage Aggression Towards Parents, School and College Environment 61
Dr. Anshu Srivastava

The Changing Demographic Patterns of the Religion Fertility: Studied in the Context of their Socio-Economic Conditions 65
Purushottam Pandey

Information Communication Technology and Education System in India: An Appraisal 73
Dr. Aparna Sengar

Gender: Freedom and Philosophy 81
Anand Shree

पर्यावरण प्रदूषण एवं तज्जनित वैश्विक समस्याएँ 277
निशा

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा: ग्रामीण क्षेत्रों का विकास 283
अनीता कुमारी

हिन्दू समाज में व्याप्त कुप्रथाओं एवं ईसाई मिशनरियों के कारण उत्पन्न समस्याएँ 287
सुजीत कुमार सिंह

सतत् विकास का उद्भव एवं चुनौतियाँ 291
संतोष कुमार सिंह

प्राचीन कोश का स्वरूप : एक विवेचन 295
समय प्रकाश पाठक

राजनैतिक जनमत के निर्धारण में मध्यप्रदेश प्रेस की भूमिका 302
रिचा दुबे

कश्मीर में पाकिस्तान–चीन की रणनीति और भारतीय सुरक्षा 307
डॉ0 प्रवीन कुमार सिंह

जलवायु परिवर्तन की चुनौती तथा भारतीय प्रयास 313
डॉ0. पीयूष कुमार पाण्डेय

1857 की क्रांति : एक अवालोकन 322
डॉ0 महेन्द्र यादव

भारत का सम्बन्ध संतुलन : चीन व अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में 325
डॉ0 लाल बहादुर राम

ANUŚILANA, Vol. LXXXVI, Year 2019, ISSN 0973-8762

जलवायु परिवर्तन की चुनौती तथा भारतीय प्रयास

डॉ0 पीयूष कुमार पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, बटौली सरगूजा छत्तीसगढ़

अगर राष्ट्र सुरक्षा की दूरबीन से दुनिया को देखें तो शत्रु हर जगह है। इस बारे में ब्रिटिश एम 16 के प्रमुख ने अपनी मातृ संस्था सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी में हाइब्रिड खतरे को लेकर एक उल्लेखनीय व्याख्यान दिया। विस्तार से बताया कि कैसे आधुनिकतम तकनीक से लैस आतंकवादी और दूसरे खतरों पर भारी है जलवायु परिवर्तन का व्यापक खतरा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे बड़ा खतरा एटमी युद्ध का छिड़ना है। कहने को तो अमेरिका,रूस, फ्रांस और चीन के रूप में पाँच ही एटमी शक्तियां है, पर भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने भी एटमी परीक्षण किए हैं।[1]

वैज्ञानिक इस बात के लिए बार–बार आगाह कर रहे हैं कि इस तरह के युद्धक खतरों के बीच कहीं खुले में कोई एक भी एटमी परीक्षण होता है, तो उससे इतना रेडिएशन पैदा होगा कि हमारा पारिरिथतिकी तंत्र इतनी दूर तक तबाह हो सकता है, जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि यह वह खतरा है, जो हथियार की वृद्धि से आगे जलवायु परिवर्तन तक पहुँच जाएगा। अमेरिकी सरकार ने इसी नवम्बर में प्रकाशित अपने चौथे राष्ट्रीय जलवायु आकलन में कहा है कि जलवायु परिवर्तन का चक्र शुरू हो चुका है। यह खतरा और बढ़ेगा और इससे निपटना भविष्य में और महंगा पड़ेगा। कैलिफोर्निया, जहाँ जंगल में फैली आग से लोगो के घर तबाह हो गए और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ ग्रेट बैरियर रीफ ने अपना प्रभाव दिखाना पहले ही शुरू कर दिया है, वहाँ तो कम से कम जलवायु परिवर्तन को लेकर अलग से किसी चेतावनी की जरूरत भी नहीं।

अतीत में मनुष्य भले प्राकृतिक आपदा को भगवान की देन समझता रहा है, पर अब जो हो रहा है उसके लिए तो सीधे तौर पर हम खुद जिम्मेदार हैं। खास तौर पर मनुष्य में जिस तरह अधिकतम उपभोग और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल की राह पकड़ी है, ग्लोबल वार्मिंग आज उसी की देन है।[2]

अगर हम रक्षा और जलवायु परिवर्तन के बीच प्राथमिकता तय करने की बात करें तो इसके लिए कुछ दिलचस्प सांख्यिक तथ्य पर गौर करना चाहिए। एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2012 में अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 166 बिलियन डालर खर्च किएं वर्ष 2017 के अमेरिकी रक्षा बजट (590 बिलियन डॉलर) से इसकी तुलना करे तो यह तकरीबन एक चौथाई खर्च है। यही नहीं, अमेरिकी रक्षा विभाग ने जलवायु परिवर्तन को ऐसे खतरे के तौर पर देखना शुरू कर दिया है, जो कम या नियंत्रित नहीं होगा, बल्कि समुद्री

तूफान, तटीय इलाकों में बाढ़ सूखे और फसलों की बर्बादी के तौर पर आगे और तेजी से बढ़ेगा। मध्य–पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से उत्तर की तरफ बढ़ रहा शरणार्थियों का पलायन अगर अमेरिकी सीमा तक पहुँच गया है, तो यह सरकारों की बेरोजगारी और सुरक्षा के मुद्दे पर नाकामी के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन एक वैष्विक चुनौती है और यह चुनौती इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इसकी वजहों से निपटने में हम लगातार असफल हुए हैं। यही कारण है कि इसे आज कोई भी राष्ट्र अपने लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। इसलिए तमाम देषों के सामने तय करने की चुनौती है कि वे मानवीय खतरों से निपटने के लिए अपना सुरक्षा बजट बढ़ाए या फिर मिलजुलकर कर जलवायु परिवर्तत के खतरे से निपटने की सूझ दिखाएँ क्योंकि इसका खतरा तो सबको एक साथ भुगतना है। साफ है कि हम हथियार जमा करने की होड़ में ही शामिल रहे और जलवायु परिवर्तन के खतरों को नजरअंदाज किया तो जो हश्र होगा उसका किसी को शायद अंदाजा भी न हो। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर किसी तरह के वैश्विक या अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात इतनी आसान भी नहीं होगी। आज जिस तरह की भू–राजनीतिक रणनीति पर तमाम बड़े राष्ट्र काम कर रहे हैं, उसमें संभव है कि किसी भी देश पर बहुत कुछ खोने या न्योछावर करने का दबाव बनाया जाए। खास तौर पर चीन आज जिस तर्ज पर विकास कर रहा है, उसमें वह चाहेगा कि वह संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करे। ऐसे में उसके सामने कार्बन उत्सर्जन और संसाधनों की बर्बादी की अपेखित सीमा में रहना मुश्किल होगा। यह स्थिति आगे भी जारी रही तो नहीं लगता कि चीन कभी 'पेरिस जलवायु समझौते' पर हस्ताक्षर भी करेगा। इस मुश्किल को जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया में बने दो खेमों की राड़ के तौर पर कोई भी देख सकता है।[3]

जलवायु परिवर्तन के इंटरगवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक तापमान 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। जाहिर है इसका परिणाम विनाशकारी होगा। यह बात पहले से साफ है कि विश्व या सृष्टि को बचाने के लिए कार्बन उत्सर्जन में वर्ष 2030 तक 45 प्रतिशत की कमी लाने और 2050 तक उत्सर्जन शून्य करने की जरूरत है। उसके साथ तेजी से अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। तो दुनिया को बचाने का यह सूत्र सभी देशों को पता है, लेकिन हो क्या रहा है? पोलैंड के कातोविसे शहर में 3 दिसम्बर से 14 दिसम्बर तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 24 वां सम्मेलन (कॉप 24) आयोजित हुआ।[4] इस सम्मेलन से यदि किसी ने कार्बन उत्सर्जन की दिशा में प्रगति की उम्मीद की होगी तो उसे नासमझ के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि सम्मेलन कार्बन उत्सर्जन कम करने पर केंद्रित था। चीन ने वर्ष 2014 में 12454.711 मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया। 6673.4497 मीट्रिक टन के साथ अमेरिकी दूसरे और 4224.5217 मीट्रिक टन के साथ यूरोपीय संघ तीसरे स्थान पर रहा। भारत चौथे और रूस पाँचवे स्थान पर रहा। पूरे विश्व में होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 10 देशों का अंशदान तीन–चौथाई है। पोलैंड में इसे कम करने पर बात तो हुई, लेकिन परिणाम वही

ढाक के तीन पात। धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के तय लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, संकल्प और प्रतिबद्धता से देश इस दिशा में जुट जाएं जो करना है करें ऐसा स्वर तो निकला ही नहीं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनिया गुटरेस की पीड़ा इन शब्दों में देखी जा सकती है–'जो देश सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, उनकी तरफ से 'पेरिस समझौते' को मानते हुए उत्सर्जन कम करने की दिशा में समुचित प्रयास नहीं किए गए। हमें ज्यादा लक्ष्य और ज्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर हम विफल होते हैं तो आर्कटिक और अंटार्कटिक इसी तरह पिघलता रहेगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, प्रदूषण से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। जलसंकट बड़ी आबादी को प्रभावित करेगा और संकट बढ़ेगा।' ऐसा तो है नहीं कि जिन देशों के बारे में गुटेरेस कह रहे है उनको इन भावी भयावहता का इल्म नही है। किंतु जिस ढांचे में उन्होंने अपने पूरा आर्थिक ताना–बाना खड़ा कर लिया है, उसमें इस लक्ष्य के लिए काम करना कठिन है। आखिर तीन वर्ष पूर्व पूरी दुनिया ने पेरिस में एक स्वर से सहमति जताकर समझौता किया था।[5] वह धरती को बचाने का सबसे सफल सम्मेलन माना गया। देशों की जिम्मेवारियाँ तय हुई, कुछ रास्ते निकाले गए जिन पर सबको आगे बढ़ना था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे। ट्रंप ने 'पेरिस समझौता' को अमेरिका विरोधी करार देकर उससे अपने को बाहर कर लिया। हालांकि नवम्बर 2016 से लागू 'पेरिस समझौते' को 197 में से 184 देशों ने मंजूरी भी दे दी है। लेकिन अमेरिका के बिना यह बेमानी है। अगर अमेरिका जैसा देश इससे सहमत नहीं है तो फिर इसके सफल होने की संभावना खत्म हो जाती है। ट्रंप कहते हैं कि 'पेरिस समझौता' में चीन और रूस जैसे देशों को पूरी छूट मिल गई है, भारत को विकासशील देश होने के नाते क्षतिपूर्ति मिलनी है और हमारे न केवल हाथ–पैर बाँधे गए हैं, बल्कि हमें खरबों डॉलर देने को बाध्य किया गया है। इससे अमेरिका का विकास रुक जाएगा और खजाना खाली हो जाएगा।[6] एक ओर हम मानते है कि 'पेरिस समझौता' इस धरती यानी मानवता को बचाने का समझौता है, जो सबके हित में है, जबकि ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका और उसके नागरिकों के हितों की रक्षा करने के अपने कर्त्तव्य को निभाते हुए 'पेरिस समझौते' से बाहर निकाल रहे है। सामान्य सी बात है, जो सम्पूर्ण धरती को बचाने का समझौता है, जिसमें सबका हित है, जिसके साकार होने से पूरी मानवता बच सकती है, सृष्टि बच सकती है वह अमेरिका के नागरिकों के हित में नहीं है यह कैसे मान लिया जाए? ट्रंप का कहना है कि समझौता ऐसा हो जो अमेरिका के उद्योगों, कामगारों और कर देने वाले नागरिकों के हितों का ध्यान रखे। यही मूल बात है जिसे समझने की आवश्यकता है। पूरा आर्थिक ढांचा बनाए और बचाए रखते वायुमंडल को जहर और तापमान के मुक्त करना संभव नहीं। ट्रंप खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन 'पेरिस समझौते' को स्वीकारते हुए भी ज्यादातर विकसित देशों की सोच लगभग यही है। हम भारत और चीन को भी इससे अलग नहीं कर सकते।[7]

औद्योगिक क्रांति ने जिस उद्योग और कारोबार आधारित सभ्यता को जन्म दिया, उसका केंद्र बिंदु भोग और अत्यधिक भोग था। इस सभ्यता ने

उन्नति का अर्थ यह मान लिया कि मनुष्य के शरीर को सुख देने वाले जितने साधन मिलते जाएं, वही उन्नति का सोपान होगा। इसमें आप धरती के गर्भ में पड़े हुए खनिजों को अंधाधुंध निकालते गए कारखानों के लिए खेती या जंगल लगे जमीन का उपयोग हुआ, फिर उसके साथ कारोबार के अन्य तंत्र विकसित करने पड़े, ढुलाई के लिए वाहन..., उनके लिए चमचमाती सड़कें... सूची लंबी हो जाएगी। यह सब प्रकृति को खाकर ही विकसित होते हैं। हर उत्पादन में ईंधन का खर्च और उससे निकलने वाला धुंआ और भट्ठी का तापमान पूरे वायुमंडल में जहर और गरमी बढ़ाता है। एक ओर यह स्थिति है तो दूसरी ओर अपने गर्भ के खनिजों से संतुलित पोषण लेने वाली धरती को पोषण तत्त्व मिलना कम हो गया। हर उत्पादन को जल चाहिए तो जल कम होने लगे। पक्के मकानों के लिए ईंट–मिट्टी को पकाकर बनेगा, सीमेंट के लिए चूना पत्थर चाहिए तो पहाड़ों को काटो... पत्थरों के लिए भी...। तो धरती केनीचे और ऊपर की पूरी संपदा को हम खत्म करने पर उतारू है। यह ऐसा मकड़जाल है, जिसमें पूरी दुनिया फंस गई है। सबको चिंता है कि तापमान न घटा तो हम नष्ट हो जाऐंगे। 'पेरिस समझौता' भी इस सभ्यता के ढांचे में ही रास्ता निकालने की बात करती है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिये चलाए गए प्रमुख आंदोलन[5] : जहाँ तक भारत में पर्यावरण संरक्षण की बात है, यहाँ पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदिकाल से ही रही है। पर्यावरण के तत्त्वों के प्रति हमारी सेवेदनशीलता मानवोचित गुण के रूप में देखी जा रही है। भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व प्राकृतिक व्यवस्था को आत्मसात् करने का मार्ग अपनाया, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ पूरे जीवनमण्डल के लिए खतरा बन सकती थी। पर्यावरण के तत्त्वों–जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, वनस्पति आदि के प्रति वेदों में असीम श्रद्धा देखी जा सकती है। इसके अलावा पुराण, उपनिषद्, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत में इस तथ्य के निश्चित प्रमाण मिलते हैं कि हमने सदैव प्रकृति की पूजा की है, लेकिन वर्तमान में विकास की अंधी दौड़ में वनों एवं जैव विविधता का अत्यधिक ह्रास हुआ है। वनों को काटने से रोकने, प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिये सुरक्षित रखने के लिए भारतीय लोगों (जिसमें पुरुष एवं महिलाएँ दोनों शामिल है) ने कई आंदोलन चलाए जिससे पर्यावरण संरक्षण में काफी मदद मिली। कुछ प्रमुख आंदोलन जिनका प्रभाव अत्यधिक रहा, इस प्रकार है–

चिपको आंदोलन : चिपको आंदोलन पेड़ो की कटाई को रोकने के लिये किया गया एक महत्त्वपूर्ण आंदोलन था। आंदोलन के अंतर्गत 26 मार्च, 1974 ई. को उत्तराखण्ड (उस समय उत्तर प्रदेश का भाग) के वनों में शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उददेश्य व्यवसाय के लिये हो रही वनों की कटाई को रोकना था। वनों की कटाई को रोकने के लिये अनेक लोग वृक्षों से चिपककर खड़े हो गए। चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के खेजरली गॉव से हुई। 1731 ई. में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष को बचाने के लिये अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी तीन पुत्रियों ने पेडों को गले लगाकर (चिपककर) उसका विरोध किया, परन्तु

अजीत सिंह के लोगों द्वारा उनके समेत 363 लोगों को वृक्षों के साथ काट दिया गया।

आधुनिक काल में भी चिपको आंदोलन की शुरूआत वृक्षों की कटाई को रोकने के उददेश्य से की गई। 26 मार्च, 1974 में शुरू किये गए इस आंदोलन का बड़ा कारण उत्तराखण्ड के रैणी गाँव के जंगल के लगभग 2,500 पेड़ो की कटाई की नीलामी थी। गौदावरी और अन्य महिलाओं ने नीलामी के खिलाफ विरोध किया। ठेकेदार एवं सरकार के निर्णय में बदलाव न आने पर महिलाएँ पेड़ो को पकड़कर खड़ी हो गई जिसमें गौरा देवी समेत 21 और महिलाएँ थीं। अंत में वन्यजीव अधिकारियों ने गौरा देवी की बात मान ली और रैणी गाँव का जंगल नहीं काटा गया। यहाँ से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरूआत हुई।

यह आंदोलन सैकडों विकेन्द्रित तथा स्थानीय स्वतः स्फूर्त प्रयासों का परिणाम था। इस आंदोलन के जनक नेता सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चण्डी प्रसाद भट्ट तथा अन्य कार्यकर्ताओं में मुख्यतः ग्रामीण महिलाएँ थी, जो जीवन–यापन के साधन व समुाय को बचाने के लिए तत्पर थी। पर्यावरण विनाश के खिलाफ शांत और अहिंसक विरोध इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता है। उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन ने 1980 में तब एक बडी जीत हासिल की जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिये रोक लगा दी। बाद के वर्षों में यह आंदोलन उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व मे बिहार और मध्य भारत में विन्ध्य तक फैला। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विन्ध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। साथ ही, यह लोगों की आवयकताओं और पर्यावरण के प्रति सचेत संसाधन नीति बनाने में भी सफल रहा।

साइलेंट वैली आंदोलन : यह साइलेंट वैली की सुरक्षा के उददेश्य से शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन था यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिये कुंतीपूझा (Kuntipuzha) नदी पर बनाए जा रहे जलविद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में था। जिन क्षेत्रों में यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था वह क्षेत्र सदाबहार वन द्वारा आच्छादित क्षेत्र है जिसमें पौधों एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है और जलविद्युत परियोजना द्वारा इनके नष्ट होने का खतरा बन गया था। यह वन क्षेत्र अत्यधिक घना है जिसकी वजह से यह बहुत ही शांत रहता है, जिसके कारण इसे शांत घाटी कहते है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ, विशिष्ट जीव लॉयन टेल्ड मकाक, नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं, जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति हैं साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जलविद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के उददेश्य से शुरू किया गया। यह पहला आंदोलन था जिसमें विशिष्ट लोगों ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा इसे अपना समर्थन दिया और यह कामयाब रहा। घाटी को 1985 में साइलैंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया।

बिश्नोई आंदोलन : बिश्नोई आंदोलन 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में संत जांभाजी (भगवान जम्भेश्वर) द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया था। उन्हीं का प्रभाव है कि आज भी बिश्नोई समुदाय द्वारा बड़ी संख्या में वृक्षों की पूजा और संरक्षण किया जाता है। आज भी यह आंदोलन अपनी प्रांसगिकता बनाए हुए है। जांभाजी से ही प्रभावित होकर 1731 ई में अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी क्रम में बिश्नोई समुदाय के जोधपुर शहर के खेजरली गाँव के 363 लोगों भी ने अपने प्राणों की आहुती दे दी। बाद में राजा अजीत सिंह को अपना आदेश वापस लेना पड़ा और वनों की कटाई बंद हो गई।

सबसे पहले चिपको आंदोलन के रूप में स्थापित इस आंदोलन को 'खेजरली आंदोलन' भी कहा जाता है। इस आंदोलन की जनक अमृता देवी बिश्नोई के नाम से राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी व्यक्तियों एवं संस्थानों को 'अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार' भी दिया जाता है।

दरअसल बिश्नोई समुदाय अपने समाज के संसथापक गुरु भगवान जम्भेश्वर (जांभोजी) महाराज के बताए 29 नियमों का पालन करता है जिनमें से अधिकतर पर्यावरण एवं प्राणीमात्र के हितों की रक्षा एवं समृद्धिकरण करने वाले नियम है। प्राणियों में भी हिरण के प्रति विशेष आस्था है। इस तरह बिश्नोई आंदोलन भारत की पर्यावरण हितैषी आत्मा एवं परंपरा की एक मजबूत कड़ी है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन : यह आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बाँध परियोना को रोकने के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन पर्यावरण की रक्षा समेत आदिवासियों, किसानों की आजीविका से जुड़ा हुआ है जो कि आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणविदों एवं मान–अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जाने वाला वृहद् आंदोलन है। सरदार सरोवर बाँध (गुजरात) इस परियोजना के तहत बनने वाले बाँधों में से एक बेहद बड़ा बाँध है जिसका विरोध सर्वाधिक है। यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों की सम्मिलित बहुउददेशीय परियोजना है जिसमें लाखों लोगों की कृषि भूमि समेत बड़ी सामुदायिक भूमि को अधिगृहित किया गया है। इस महत्त्वाकांक्षी नदी जल परियोजना द्वारा लगभग 1 लाख लोगों के विस्थापित होने (जिसमें 58 प्रतिशत आदिवासी शामिल थे) एवं 37,000 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने का खतरा था। इस आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर, बाबा आम्टे एवं अरूधति रॉय द्वारा किया गया। उच्चतम न्यायालय ने विस्थापित लोगों के उचित पुनर्वास की स्पष्ट नीति लागू करने के आदेश दिये हैं। साथ ही इसने संदेश दिया है कि आम आदमी यदि संगठित हो जाँए तो राज्य उनके अधिकारों के प्रति सचेत हो सकता है। अंत में इसने प्रचलित विकास के मॉडल को चुनौती दी है तथा देश के समक्ष पर्यावरण आधारित विकास का विकल्प पेश किया है।

अप्पिको आंदोलन : वनों और वृक्षों की रक्षा के संदर्भ में गढ़वाल हिमालयवासियों के 'चिपको आंदोलन' का योगदान सर्वविदित इसने भारत के अन्य भागों में भी अपना प्रभाव दिखाया है। उत्तर का यह चिपको आंदोलन दक्षिण में 'अप्पिको' आन्दोलन के रूप में उभरकर सामने आया। अप्पिको कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है–'गले लगाना'। पर्यावरण संबंधी

जागरूकता का यह आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ। यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिनों तक चलता रहा। युवा लोगों ने जब पाया कि उनके गाँवों के पास से चारों ओर के जंगल धीरे-धीरे गायब होते जा रहे है तो वे इस आंदोलन में जोर-शोर से लग गए। लोगों ने पाया कि कागज पर तो प्रति एकड़ दो पेड़ों की कटाई दिखाई जाती है लेकिन वास्तव में काफी अधिक पेड़ काटे जा रहे है और कई क्षतिग्रस्त किये जा रहे हैं, जिसमें वनों का सफाया होता जा रहा है। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था, जिसके अंतर्गत सितंबर 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों ने सलकानी से 5 किमी चलकर कालासे वन के वृक्षों को गले लगाया।

जंगल बचाओं आंदोलन : जंगल बचाओं आंदोलन 1980 के दशक में बिहार में शुरू हुआ था, जो वर्तमान झारखण्ड एवं उड़ीसा तक फैल गया था। जब सरकार ने प्राकृतिक साल के जंगल को काटकर वहाँ पर कीमती सागौन के वृक्षों को लगाने की योजना बनाई तो तत्कालीन बिहार के सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने यह आंदोलन शुरू कर दिया। यह योजना 'A Greed Game Political Populism' कहलाई।

नवदाम्या आंदोलन : नवदाम्या की स्थापना 1982 में वंदना शिवा द्वारा की गई थी। इस संगठन को बनाने का उददेश्य जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना था। इस संगठन ने न केवल किसानों की सहायता कर उनके लिये बाजार बनाया बल्कि उपभोक्ताओं के लिए स्वस्थ एवं गुणात्मक खाद्य पदार्थो की आपूर्ति भी कराई।

विकास के विकल्प : 1983 में अशोक खोसला ने 'विकास के विकल्प (Development Alternatives) नामक गैर-सरकारी संगठन (NGO) की स्थापना की। इन्होंने जमीनी स्तर पर वित्तीय, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता के लिये कार्य करना शुरू किया। स्थापना के बाद से 15 पर्यावरणीय एवं व्यावसायिक रूप से संगत तकनीकों ने पूरे भारत में 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया हैं। 'विकास के विकल्प' के पीछे निम्नलिखित उददेश्य हैं, जो इस प्रकार है-

- बहु-हितधारी कार्यों के द्वारा समुदायों का सशक्तीकरण करते हुए निम्नलिखित लक्ष्यों की पूर्ति करना-
- महिला एवं हाशिये पर खड़े समूहों पर केन्द्रित संस्थागत विकास।
- आधारभूत आवश्यकताओं, विशेषकर आवास, जल, ऊर्जा की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण रोजगार सृजन के लिये रोजगार कौशल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा एवं सहायता देना।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मॉडल एवं स्वच्छ तकनीकी उपाय की संरचना एवं उपयोग या प्रदर्शन द्वारा विकास के लिये कार्बन उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देना।

बलियापाल आंदोलन : यह आंदोलन बलियापाल गाँव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग को रोकने के लिये शुरू किया गया था। यह टेस्टिंग भूमि की उर्वरता (Fertility) को खत्म कर सकती थी। यह क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास ओडिशा के उत्तरी भाग में स्थित है। बालासोर जिले के बलियाल एवं भोगराय गाँव में भारत सरकार द्वारा मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने से 45,000 लोगों के विस्थापित होने का खतरा मंडरा रहा है। इन्हीं क्षेत्रों में रॉकेट एवं मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है।

गंगा बचाओं आंदोलन : गंगा बचाओ आंदोलन गांधीजी के अहिंसात्मक आंदोलन पर आधारित आंदोलन है जो गंगा को स्वच्छ बनाने के लिये चलाया गया था। इसमें प्रमुख संतों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश एवं बिहार में व्यापक रूप से चलाया गया। इस आंदोलन को 'गंगा सेवा अभियान, पुणे' स्थित राष्ट्रीय महिला संगठन एवं अन्य संगठनों द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन को कई धार्मिक नेताओं, अध्यात्मवादियों, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, लेखकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का मौलिक समर्थन प्राप्त हुआ।

मैती आंदोलन : मैती आंदोलन की शुरूआत 1994 में उत्तराखण्ड के चमोली जिले में कल्याण सिंह द्वारा की गई थी। आज यह आंदोलन उत्तराखण्ड सहित भारत के कई राज्यों एवं विश्व के कई देशों तक फैल चुका है। 1994 में कल्याण सिंह रावत ने शादी–विवाह में जूता चोरी की रस्म में नेग की परंपरा को खत्म करते हुए दुल्हे द्वारा लड़की के मायके (मैती) में एक पेड़ लगाने की रस्म शुरू की जो धीरे–धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गया। अब उत्तराखण्ड में रस्म के रूप में दूल्हे को एक वृक्ष का रोपण करना होता है।

इस आंदोलन से प्रभावित होकर कनाडा की पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत से मिलने चली आई। वे मैती परंपरा से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होने कनाडा में इसका प्रचार–प्रसार शुरू कर दिया। अब वहाँ भी विवाह के मौके पर पेड़ लगाए जाने लगे है। मैती परंपरा से प्रभावित होकर कनाडा सहित अमेरिका, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, चीन, थाईलैण्ड और नेपाल में भी पेड़ लगाए जाने लगे है। मैती आंदोलन से प्रेरित होकर अब जहाँ पेड़ लग रहे है, वहीं लोगों के व्यवहार एवं पर्यावरण के प्रति उनकी सोच में भी बदलाव आ रहा है।

भारतीय मनीषियों ने भोगवाद पर टिकी इस औद्योगिक सभ्यता के खतरे से बार–बार आगाह किया है। भारत की सोच शरीर को नश्वर मानने की है। जो नश्वर है उसके सुख की चिंता मूर्खता है। पश्चिम और भारत की सोच में यह मूल अंतर था। 'तेन त्यक्तेन भूंजिथा' यानी त्यागपूर्वक भोग करो, जो भी उपलब्ध है, उसका न्यूनतम उपभोग करो; यह जीवन सूत्र हमारे यहां था। आज भी इस पूरी मानव सभ्यता को बचाने का यही रास्ता है। गांधी जी ने बार–बार कहा है कि यूरोपीयन अपनी सभ्यता के ऐसे गुलाम हो गए हैं कि इनसे बाहर नहीं निकले तो वे नष्ट हो जाएंगे। डॉ. राममनोहर लोहिया तो पश्चिमी सभ्यता के नष्ट होने को अवश्यंभावी कह गए हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्ति, प्रकृति और परमेश्वर के बीच संबंधों की बात की। विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द

और गांधी जी सभी मानते थे कि भारत ही वह देश है, जो अपनी संतुलित-संयमित जीवनशैली वाली व्यवस्था से विश्व को रास्ता दिखा सकता है।

संदर्भ

1. एंड्रयूशेग *"राज्य ही निपट सकता है जलवायु बदलाव से'* राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप, 22 दिसम्बर, 2018, पृष्ठ संख्या –4
2. वही
3. उपेन्द्र प्रसाद *"जलवायु परिवर्तन ने बढ़ाई विकास की चुनौतियां"* राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप, 22, दिसम्बर 2018, पृष्ठ संख्या–2
4. एंड्रयूशेग, पूर्वोद्धृत
5. आशीष कुमार 'अंशु ' *"देर न हो जाए, सम्भलते सम्भलते राष्ट्रीय सहारा,* हस्तक्षेप, 22 दिसम्बर 2018, पृष्ठ संख्या –02
6. अवधेश कुमार *"यह आग कैसे बुझेगी"* राष्ट्रीय सहारा हस्तक्षेप, 22 दिसम्बर 2018, पृष्ठ 4
7. वही
8. *"पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी'* दृष्टि पब्लिकेशन, दिल्ली, फरवरी 2019, पृष्ठ 310–313

Vol. 6 No. 1 Jan-March, 2019 ISSN : 2348-1668

विद्या-विमर्श
VIDYA VIMARSHA

AN INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL

QUARTERLY

VIDYA VIMARSHA

Table of Contents

स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिला सशक्तिकरण और विकास की प्रक्रिया

डा0 सुनीता....................1

वास्तुशास्त्र में गृहद्वार का निर्णय और उसका फल-विमर्श

डॉ. वीना रानी मल्होत्रा....................4

Muslim University Movement and Hasrat Mohani

Dr. Mohammad Arshad....................9

हाड़ौती नामकरण: ऐतिहासिक सन्दर्भ

ईश्वर दान....................14

भारतीय संस्कृति में सदाचार

राजीव कुमार 22

वैश्वीकरण के दौर में भारतीय महिलाएँ

डॉ0 पीयूष कुमार पान्डेय....................26

मिथिला में मुसहर आंदोलन (1936-38)

कैलाश कुमार राम....................28

Hegel & Kant's views over the War

Pranab Kumar Mishra....................32

Regional Disparity in Agricultural Growth of Uttar Pradesh: A District-Level Analysis

Raushan Kumar....................37

Historical Development Of Banks International Perspective:

Hari Ram Anthala....................50

वैश्वीकरण के दौर में भारतीय महिलाएँ

डॉ० पीयूष कुमार पान्डेय*

वैश्वीकरण मुख्यतः सामाजिक आर्थिक परिघटना है, इसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधना है, नई औद्योगिक आर्थिक नीति उदारीकरण निजीकरण एवं वैश्वीकरण जिसे भारत ने 24 जुलाई 1991 में लागू किया निःसंदेह उससे भारत की भौतिक समृद्धि में आपार वृद्धि हुई है। और आज भारत विश्व का प्रमुख बाजार हो कर उभरा है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं, तो सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की घोषणाएँ कल्पना मात्र रह गया है, अमीरी–गरीबी की खाई अत्यधिक चौड़ी हुई है, ग्रामीण किसान, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ी जाति तथा विशेषज्ञता रहित युवा इस चकाचौंध तथा प्रतिस्पर्धा में बहुत ही पीछे छुटते जा रहे है। यह उपभोक्तावादी संस्कृति एवं बाजारीकरण ने महिला तथा अन्य सामाजिक मूल्यों को बाजार मे खड़ा किया है।

वैश्वीकरण आज के युग की अपरिहार्यता है, जिसके प्रभाव से विश्व का न कोई देश न समाज अछूता रह सकता है, निःसंदेह वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय महिलाओं पर भी दो तरफा पड़ा है, जहाँ एक तरफ – इसने महिलाओं को वस्तुऐं बना दिया हैं, और उपभोक्तावादी संस्कृति धड़ल्ले से महिलाओं का प्रयोग अपने हितों को साधने में कर रही है। विशेष रूप से इसका माध्यम प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया हुआ है। कोई भी आयोजन हो, फैशन हो विज्ञापन हो महिलाओं के बगैर संभव नहीं है। महिलाओं का प्रयोग बाजार अपने उद्देश्य को साधने के लिए निम्न से निम्न स्तर पर जा कर रहा है जिसका कुप्रभाव समाज में महिला हिंसा, बलत्कार, अपहरण, नशाखोरी आधुनिक स्तर पर देहें व्यापार, इसके अलावा हमारे लोभ ले कन्या भ्रूण हत्याएँ बढ़ती जा रही है।

वहीं दूसरी तरफ यह वैश्वीकरण का ही दबाव रहा की भारत सरकार ने लगभग 200 कानून महिला अधिकारों एवं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाएँ है, जिनमें प्रमुख रूप से घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम 2005 एवं हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी यह घोषित करता है, कि उसका लक्ष्य न्याय प्राप्ति एवं समस्त नागरिकों के जीवन स्तर एवं अवसर की समता प्रदान करना है, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संविधान के 73 वें एवं 74 संविधान संशोधन द्वारा देश–भर की पंचायतों एवं जिला परिषदों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है। सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को कानूनी रूप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान कि गयी हैं, जरूरत है, समाज में इन कानूनों के प्रति जागरुकता की

वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सी महिलाएँ तेजी से अग्रसर हुये हैं, और अपना मुकाम प्राप्त की है, आज भारत में कोई भी सार्वजनिक पद नहीं है, जिसपर महिला स्थापित न हुई हों टाईम मैग्जीन ने भी 2007 में एशिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सोनिया गाँधी का नाम शामिल कर चुका है, मायावती, ममता बनर्जी, वृन्दा करात, निर्मला सीतारमण इत्यादि कई महिलाएँ राजनीति में प्रमुख, भूमिका निभा रही है।

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), शासकीय महाविद्यालय, बतौली, सरगुजा छत्तीसगढ़

यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है, कि आज अधिकतर महिलाएँ फिल्मों, माडलिंग में, टी. वी. सिरियल में पाप, संगीत में विज्ञापन में और सौन्दर्य प्रतियोगिताओं में छायी हुई है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिताएँ इसकी देन है।

आज की नारी अधिक स्वतंत्र, सशक्त और जागरूक हुई है, शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सशक्त होने के कारण परिवार के अंदर भी उनके निर्णयों को महत्व दिया जाने लगा है।

निः संदेह जहाँ वैश्वीकरण ने नारी मुक्ति को गति प्रदान की है, और उपभोक्तावादी संस्कृति ने नारी को बंधनों से मुक्त किया है, वहीं वैश्वीकरण ने नारी से नारीपन छीन लिया है, और स्थानीयता की संस्कृति का विनाश किया है।

आज आवश्यकता इस बात की है, कि महिला को उचित मार्गदर्शन द्वारा चारित्रिक पतन से रोका जाय तथा कानूनों में पारदर्शिता व कठोरता लाकर घर ऑफिस व समान्य स्थानों पर होने वाली महिला हिंसा व उत्पीड़न को रोकने का सार्थक प्रयास किया जाए जिससे इस वैश्विक युग में महिला सशक्तिकरण का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

संदर्भ

01. नई आर्थिक नीति और सामाजिक न्याय, डॉ० राम गोपाल सिंह

02. एस गुलाटी ''वीमन एण्ड सोसायटी, चाणक्य पब्लिकेशन 1985

03. कुरुक्षेत्र – 2008

04. अभय कुमार दुबे – भारत का भूमण्डलीकरण वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2005

05. रविन्द्र मिश्रा ''वर्तमान सामाजिक परिवेश में महिला सशक्तिकरण।

UGC Approved Journal No. - 47299
Volume 9-Issue I February 2018 ISSN 2249-8907

Vaichariki

A Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed International Research Journal

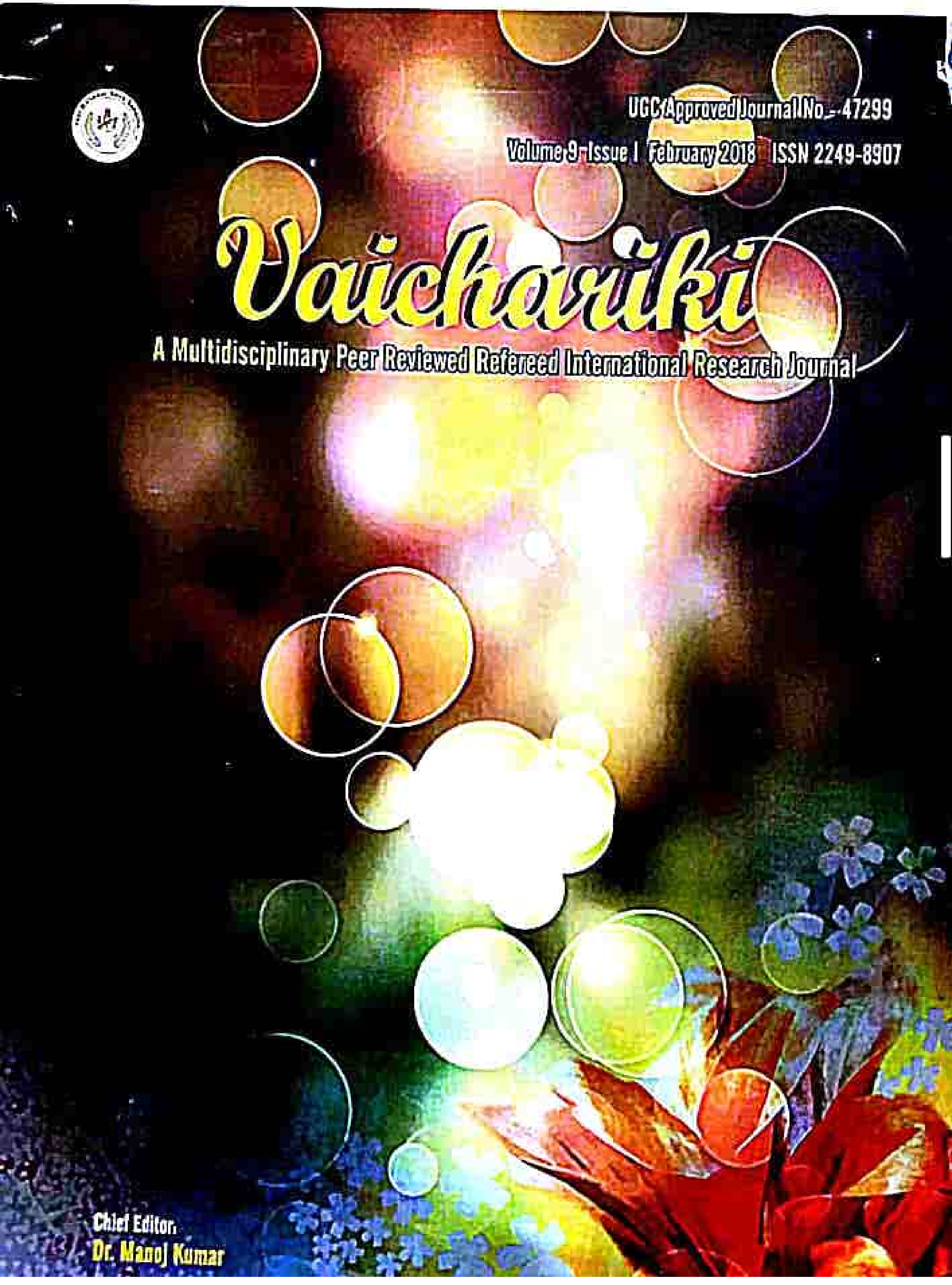

Chief Editor:
Dr. Manoj Kumar

CONTENTS

- बिहार में उत्पादन की संरचना और जाति — 189-197
  संजय कुमार, लेखक पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में शोध छात्र हैं
- मैथिलीशरण गुप्त और सुब्रह्मण्य भारती की राष्ट्रीय-भावना : तुलनात्मक अनुशीलन — 198-201
  डॉ. कंचन यादव, एसोशिएट प्रोफेसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद
- अनुसूचित जातियों में सामाजिक परिवर्तन — 202-204
  डॉ. प्रिया सिंह, एम०ए०, पी-एच०डी०, समाजशास्त्र, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
- स्वामी विवेकानन्द और पं० जवाहर लाल नेहरू के समाजवादी राजनीतिक विचार — 205-207
  डॉ. अनिल कुमार तिवारी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, सकलडीहा पी.जी. कॉलेज, सकलडीहा, चन्दौली
- विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की भूमिका — 208-211
  डॉ. संजीव कुमार, वरीय शोधकर्त्ता, विश्वविद्यालय भूगोल विभाग, ति० मां० भा० वि० वि० भागलपुर
- चहवान, गहड़वाल, चन्देल कालीन शासन व्यवस्था — 212-213
  डॉ. अनुपमा कुमारी, एम ए . इतिहास, २-३४५ सेक्टर २डी, थाना- सिटी थाना, पो -बी एस सिटी, जिला- बोकारो, पिन-८२७००१
- वाचस्पति मिश्र की अद्वितीय कृति 'भामती' — 214-217
  डॉ. सुनील कुमार, सहायक प्राचार्य, इतिहास विभाग, यू०टी० डिग्री कॉलेज, घमथा, ललित नारायण मिथिला, विश्वविद्यालय, दरभंगा
- ग्रामीण विकास में पंचायती राज-व्यवस्था की भूमिका : एक भौगोलिक अध्ययन — 218-221
  संजीव सौरभ, भूगोल, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (सारण), बिहार
- मिथिला लोक चित्रकला में पर्यावरण — 222-225
  डॉ. प्रतिभा किरण, अतिथि शिक्षक, विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय, इतिहास पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा-८४६००४
  डॉ. अयोध्या नाथ झा, भूगोल, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (सारण), बिहार
- उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों के वैचारिक परिवर्तन — 226-230
  डॉ. जयदेव पाण्डेय
- ब्रिटिश काल में बैंकिंग प्रणाली — 231-234
  अजय कुमार, इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)
- 1937 का प्रांतीय चुनाव कॉंग्रेस और क्षेत्रीय कारकों की भूमिका — 235-239
  डॉ. विवेक कुमार, एकेडेमिक कांउसलर इतिहास विभाग इग्नू ,पी० एस० सी०-०५६६ एस० आर० के० जी० कॉलेज सीतामढ़ी
- जैन साहित्य में स्त्रियों की स्थिति का निरपेक्ष विवेचन — 240-241
  सुधांशु श्रीवास्तव, शोध-छात्र, इतिहास-विभाग, एम०यु०, बोधगया-गया (बिहार)
- औपनिवेशिक उत्तरी बिहार में खेत-मजदूर चेतना का विकास व स्वामी सहजानंद (1930—1947) — 242-253
  संजय कुमार, शोधार्थी, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

- आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री एवं उनका कृतित्व 325-329
  डॉ. पिंकी कुमारी, स्नातकोत्तर हिन्दी शिक्षिका, एम०आर०एस०उ०मा०वि०मनियारी, मुज०
- अंतर-सामुदायिक वैवाहिक संबंध : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सागर नगर के जैन समुदाय के विशेष संदर्भ में) 330-333
  नेहा जैन, शोधार्थी, समाज शास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
  प्रो. दिवाकर शर्मा, (शोध निर्देशक) समाज शास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
- सामाजिक सुरक्षा का कार्यरत ढाँचा 334-339
  डॉ. कुमरी अरती प्रधान, अर्थशास्त्र, ल० ना० मि० वि०, दरभंगा
- जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास : एक विश्लेषण 340-343
  मीरा कुमारी, शोधर्थी, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
- शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गाँधी और जाकिर हुसैन की भूमिका 344-347
  डॉ. रवि शंकर, इतिहास विभाग, यू०जी०सी० नेट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर
- साठोत्तरी कहानी का शिल्प विधान 348-351
  डॉ. सुधीर कुमार सिंह, सीवान
- केदारनाथ अग्रवाल की काव्य चेतना 352-355
  डॉ. विजयकुमार रोडे, सहयोगी प्राध्यापक, हिंदी विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-7
- कामकाजी महिलाओं का सामाजिक जीवन 356-359
  डॉ. सुभाष कुमार, पीएच.डी., समाजशास्त्र, तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर
- मानवाधिकार एवं भारतीय राष्ट्रिय हित 360-363
  डॉ. पीयूष कुमार पाण्डेय, सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शास. महाविद्यालय बतौली, सरगुजा, छत्तीसगढ़
- संत कवि आलवार और राम 364-365
  डॉ. चंदन कुमारी, आईएफए , एयर फोर्स स्टेशन, जामनगर-३६१००३ (गुजरात)
- साइमन कमीशन का बहिष्कार करने में बिहारवासियों का योगदान – एक ऐतिहासिक समीक्षा 366-368
  डॉ. रंजन कुमार वर्मा, सहायक शिक्षक (इतिहास), राममोहन राय सेमिनरी, पटना
- विदेशी शासकों की मुद्राओं पर प्रतिबिम्बित शैव धर्म 369-371
  पूनम पटेल, शोध छात्रा, प्रा० भा० इ० सं० एवं पुरातत्त्व विभाग, का०हि०वि०वि०, वाराणसी
- 'निर्वासन' में चित्रित आधुनिक समाज और बुजुर्गों की स्थिति 372-375
  डॉ. आशारानी, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, पी.जी.डी.ए.वी. कालेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय
- दास प्रथा:-एक विवेचना 376-378
  डॉ. कृष्ण बिहारी राय, प्राचीन इतिहास
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और 'चिन्तामणि' 379-380
  डॉ. पुष्पा कुमारी, हिन्दी विभागाध्यक्ष, जमशेदपुर वीमेन्स कॉलेज, जमशेदपुर
- ब्रिटिश भारत में महिलाओं की राजनैतिक संचेतना-विकास में कमला देवी चटोपाध्याय (1903–1990) का योगदान 381-382
  डॉ. सुशीला कुमारी, बाँसेखाप टोला डिबरा, पो०-चौरिया, थाना-फेसर, जिला-औरंगबाद

मानवाधिकार एवं भारतीय राष्ट्रिय हित

*डॉ. पीयूष कुमार पाण्डेय**

भारत एक विश्व का बृहद एवं विशिष्ट देश हैद्य जहां विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग निवास करते हैंद्य जिसकी एक अलग संस्कृति और सभ्यता हैद्य यहां भाषा की विविधता के साथ-साथ भौगोलिक परिस्थितियों में भी अनेकता के साथ-साथ एकता दृष्टिगोचर होती हैद्य इसके साथ-साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, वह यह होती है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, शासित होती हैद्य यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से स्थापित हो चुका हैद्य वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो इस शताब्दी में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सार्वभौमिकता बनाए रखना तथा राष्ट्रीय हितों की वृद्धि हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा की आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों की पहचान व उनका विश्लेषण करके सुरक्षा निर्धारित करना, दिन-प्रतिदिन जटिल होता जा रहा हैद्य वहीं वर्तमान में जन सामान्य के मानवाधिकारों का हनन विदेशी ताकतों के लिए किसी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का साधन बनता जा रहा हैद्य अपने विभिन्न आयामों के कारण मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत ही विचारणीय बिंदु हो गया हैद्य

मानवाधिकार अब किसी एक राज्य का विषय नहीं रह गया हैद्य अपितु मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता हैद्य जिसके प्रति सम्मान, संवर्धन और संरक्षण का आंदोलन पूरे विश्व में चल पड़ा हैद्य उससे कोई देश अछूता नहीं हैद्य मानवाधिकार का महत्व बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों में ऐसी जागरूकता बढ़ रही है कि उन्हें एक ऐसा जीवन स्तर चाहिए जो मानव गरिमा के अनुरूप होद्य और उनकी आकांक्षाएँ ऐसी है कि उनके लिए ऐसे जीवन स्तर की जिम्मेदारी ली जानी चाहिएद्य अतः मुख्य तौर पर मानवाधिकार को हम अधिकार कह सकते हैं जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलना चाहिएद्य वह अधिकार जो एक मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवस्यम्भावी होते हैं या वे अधिकार जो मानव को भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक होते हैंद्य ऐसे अधिकारों को हम मानवाधिकार की श्रेणी में रख सकते हैंद्य

मानवाधिकार पिछली शताब्दी का सबसे प्रभावी विचार रहा हैद्य जिसने मानव की गरिमा और अस्मिता के उच्चतम प्रतिमानों की स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैद्य मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन का जो आंदोलन आज राष्ट्रीय तथा विश्वफलक पर देखा जा रहा हैद्य उससे यही आभास होता है कि इसका विकास हाल के वर्षों में हुआ है, जबकि ऐसा नहीं हैद्य मानवाधिकार की उत्पत्ति और विकास के दो स्तर रहे हैंद्य एक तो राष्ट्रीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीयद्य

मानव अपने अधिकतम अधिकारों की संतुष्टि तथा संवर्धन हेतु नवीन परंपराओं, नियम-कानून का सहारा लेता रहा हैद्य मानव के अधिकार भी बदलते जा रहे हैंद्य द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व और इसके दौरान मानव अधिकारों का वृहद पैमाने पर हनन हुआ थाद्य विश्व समुदाय ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हिरोशिमा, नागासाकी की भयावह दुष्परिणामों को देखा और इसके अतिरिक्त लाखों-करोड़ों बेगुनाहों की इस युद्ध के दरमियान मौतें हुईद्य ऐसी परिस्थितियां दुबारा ना हों, इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने उद्देश्यों की प्रमुखता दीद्य पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार के अधिकारों की विधि के लिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना कीद्य मानवाधिकार आयोग का गठन आर्थिक, सामाजिक परिषद के चार्टर के अनुच्छेद और शर्तों के अधीन 1946 में किया गया थाद्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआद्य इसी क्रम में मानवाधिकार के अंतरराष्ट्रीय बिल का प्रथम चरण 10 दिसंबर 1948 को पूरा किया गयाद्य जब संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार कर

---

*सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शास. महाविद्यालय बतौली, सरगुजा, छत्तीसगढ़

लियाद्य इसके अंतर्गत मानवाधिकार कि सर्वमान्य एवं स्वीकार्य सूची बनाई गई जिसे सभी लोगों और
सभी राष्ट्रों की सहमती प्राप्ति के लिए सामान्य मानक के रूप में यह घोषित किया गया कि आज
बदलती परिस्थिति में प्रत्येक मानव के नवीन मानव अधिकारों की संख्या बढ़ती जा रही हैद्य

मानवाधिकारों की श्रृंखला में प्रथम पीढ़ी के अधिकार के रूप में नागरिक तथा राजनीतिक
अधिकार परंपरागत रूप से आएद्य द्वितीय सोपान में अधिकारों की श्रेणी में आर्थिक तथा सामाजिक एवं
सांस्कृतिक अधिकारों को रखा गया हैद्य प्रथम पीढ़ी के अधिकार के अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक को मानवता की साझा विरासत में सहभागी बनने और उसका लाभ प्राप्त करने
का अधिकार इसमें शामिल किया गयाद्य द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत पृथ्वी, अंतरिक्ष, संसाधन, वैज्ञानिक
तकनीकी एवं अन्य सूचना और प्रगति एवं सांस्कृतिक परंपरा, भवन स्थलद्य तथा तृतीय स्थान पर शांति
का अधिकार, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का अधिकार, साथ ही घोर विपत्ति के समय मानवीय सहायता का
अधिकारद्य जैसे–जैसे दुनिया सभ्य एवं सुसंस्कृत, शिक्षित, जागृत एवं विकसित होती जा रही है
वैसे–वैसे मानवाधिकार अध्ययनकर्ता चतुर्थ एवं पंचम पीढ़ी के मानवाधिकार की भी चर्चा करने लगे हैंद्य
जिसमें मानव की गरिमा, मृत्यु का अधिकार, आत्म रक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, किसी भी
देश या क्षेत्र में शरण लेने का अधिकार, अत्याचारी, हत्यारा, विद्रोही, नक्सलियों और आतंकवादियों को
मानवाधिकार की श्रेणी में भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगीद्य
अगर हम आम लोगों की बात करें तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना
हुआ हैद्य मानव के अधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही
हैद्य उससे राष्ट्रीय सुरक्षा के वास्तविक निर्धारण में दिक्कत आता जा रहा हैद्य यह विश्वास की मानव
स्वतंत्र पैदा होता है, इसलिए स्वतंत्रता उसका मूल अधिकार हैद्य यह एक सीमित दायरा हैद्य सामान्य
जन के साथ ही प्रबुद्ध वर्ग भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ प्रादेशिक अखंडता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता की
रक्षा से ही करता हैद्य उसके द्वारा सुरक्षा रक्षा का मात्र हैद्य सुरक्षा एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध
प्रादेशिक अखंडता एवं राजनीतिक संप्रभुता की रक्षा करना भी हैद्य राष्ट्रीय हितों के अंतर्गत आर्थिक,
राजनीतिक, सामाजिकता को शामिल किया जाना चाहिएद्य

राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है
जिसके आधार पर राष्ट्र दृढ़तापूर्वक संभावित खतरों का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर सकेंद्य
राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में स्टीफन रीक्रिएशनल ने लिखा है कि "राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक समृद्धि के
मूल सिद्धांत में निहित है"द्य राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा के परिसीमन का मूल उद्देश्य राष्ट्र के
राजनीतिक, प्रादेशिक तथा अन्य सभी ज्ञात, अज्ञात उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते
रहना हैद्य

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि उसके राष्ट्रीय सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता
हैद्य क्योंकि यदि राष्ट्र रक्षा नीति के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना है तो उसे निश्चित रूप
से अपने आय के स्रोतों का ध्यान देना पड़ता हैद्य इस संदर्भ में आर्थिक शक्ति का महत्व और
विकसित या विकासशील राष्ट्रों के लिए बहुत अधिक हैद्य क्योंकि यदि कोई विकासशील राष्ट्र
उपर्युक्त आर्थिक स्रोतों का समुचित विकास नहीं करता है तो निश्चित ही उसका सामाजिक ढांचा
खतरे में पड़ जाता हैद्य ऐसी परिस्थिति में इन रास्तों में आर्थिक दबाव के कारण सांप्रदायिक दंगे
शुरु हो जाते हैंद्य जो विकराल रूप धारण करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न
कर देते हैंद्य यदि किसी राष्ट्र के सामाजिक मतभेद पहले से ही विवादास्पद हो, तो निश्चित ही
आय का विभाजन राष्ट्रीयता को कमजोर कर देता हैद्य इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने विकास की
योजनाओं को देश की रक्षा योजना कहा थाद्य

राष्ट्रीय सुरक्षा के विकास की एकरूपता सुब्रमण्यम की जो परिभाषा है उससे स्पष्ट रूप से
प्रदर्शित हो जाती हैद्य जिसमें उन्होंने कहा है कि "राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ मात्र क्षेत्रीय अखंडता की
सुरक्षा नहीं होता है, अपितु यह भी होता है कि देश का शीघ्र विकास हो और उसके पास एक
शक्तिशाली संगठित, समतावादी एवं प्रौद्योगिकी से संपन्न समाज निर्माण करने की क्षमता हो"द्य इस

प्रकार किसी राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले सभी मित्रों को एवं आंतरिक, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नकारात्मक तत्वों से भी उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा मानवीय मूल्यों को सबसे ज्यादा चुनौती आंतरिक समस्या द्वारा मिलती है। दुनिया के लगभग सभी देश किसी न किसी रूप से आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिस प्रकार 18वीं और 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विस्तार था। उसीप्रकार बीसवीं शताब्दी में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की चरम परणीती थी।

आज के समय की मांग है कि अपने अस्तित्व की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए दूसरों के अस्तित्व की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझा जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि दूसरे सुरक्षित हैं। यह सिद्धांत मानव और राष्ट्र दोनों के लिए बेहतर है। वास्तव में सुरक्षा एक सर्व व्यापक अवस्था है। जिसमें हर नागरिक स्वतंत्रता, शांति और सुरक्षा में रहते हैं। शासन की प्रक्रिया में पूर्ण सहभागी बनते हैं। आधारभूत आवश्यकताएं तथा संसाधनों तक पहुंच रखते हैं तथा ऐसे पर्यावरण में निवास करते हैं जो उनके कल्याण एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा नीति के लक्ष्य लोकतंत्र को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की उपलब्धियां, आर्थिक विकास एवं अपराध के स्तर को कम से कम पर लाना, सुरक्षित, पर्यावरण सुरक्षा, सरोकार और भी बहुत सारी। अगर हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखना है तो मानव सुरक्षा सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है।

भारत की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सेना पर है। आंतरिक शांति स्थापित करने के लिए गुरुत्व दायित्व प्रमुख रूप से पुलिस विभाग तथा अन्य परिवर्तन एजेंसियों पर रखा गया है। अपराधियों का नियंत्रण करने तथा अभियुक्तों को बंदी बनाने, पूछताछ करने के लिए तथा विवेचना करने के लिए कभी–कभी कुछ अवैध शक्ति का प्रयोग हो जाया करता है। ऐसी घटनाएं मीडिया तथा प्रेस द्वारा अति उत्साह में प्रसारित की जाती हैं। यह सत्य है की विधि, शासन तथा भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैहिक तथा जीवन की सुरक्षा को बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है। यह स्वतंत्रता उसे पुलिस अभिरक्षा अथवा जेल में बंदी के दरमियान यथावत मिलती है। संविधान का अनुच्छेद 21 जो स्थापित हो चुका है। व्यक्ति और व्यक्ति के मानवीय गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अनुच्छेद व्यक्ति के ऐसे कर्तव्य से है जो जीवन की स्वतंत्रता, एकता एवं महत्ता से सम्बंधित है और संविधान द्वारा लागू किए गए हैं। तथा भारतीय न्यायालयों द्वारा भी लागू कराए जाने योग्य हैं परंतु इन मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता रहा है।

आज के पुलिस विभाग के कर्मचारी तथा अधिकारी अत्यंत बुद्धिमान, उच्च शिक्षित, अनुभवी, संवेदनशील, व्यवहार कुशल, निडर तथा राष्ट्र के सच्चे सिपाही भी हैं। परंतु वे ब्रिटिश राज की अभूतपूर्व दण्डात्मक तथा भारतीयों से प्रतिशोध लेने की मानसिकता को भूल नहीं सके हैं। भारत एक प्रजातंत्र राष्ट्र है। यहां के नागरिक राष्ट्रभक्त हैं, तो उनके साथ क्रूरता तथा बर्बरता पूर्वक आचरण क्यों किया जाये। क्या हिंसक मार्ग अपनाकर ही पुलिस द्वारा विवेचना अथवा अन्य विधि व्यवस्था के अनुरक्षण की कार्यवाही संभव है? क्या विधि के शासन का अमूल्यन ही निस्तारण हो गया है? या क्या क्षणिक पुरस्कार पाने की लालसा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने की लालसा में किसी अपराधी को मुठभेड़ के नाम पर हत्या कर देना ठीक है? अन्य प्रकरणों में और जो भी समय पर पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध यातनाएं, क्रूरता तथा तांडव किया जाता है कि अभियुक्त अपराध की स्वीकृति कर दे। बिना परिश्रम तथा कुशलता का प्रदर्शन किए, सभी साक्ष्य संकलित हो जाएं और इस प्रकार औपचारिक विवेचना पूर्ण कर ली जाए और अपने कर्तव्यों से इतिश्री समझ ली जाए।

मानवाधिकारों का उल्लंघन तथा पीड़ितों की एवं मार्मिक तथा मानवता का पूर्ण विचारणीय प्रश्न है। एक ऐसे स्वस्थ समाज की रचना की जाए जहां बर्बरता, निरंकुशता तथा अधिकारिता,

शक्ति का दुरुपयोग ना हो सकें एवं पुनरावृति न हो सकेद्य मात्र क्षतपूर्ति देना ही अंतिम उपचार नहीं हो सकताद्य पुलिस को नियंत्रण करने के लिए पुलिस की भावनाओं तथा पीड़ा पर चिंतन भी करना होगाद्य उसे अन्य विभाग के अधिकारियों के सामने प्रतिष्ठित बनाना होगाद्य उनकी आवश्यकताओं एवं मांगों पर भी ध्यान रखना होगाद्य तभी भारत में मानवाधिकार कानून की मंशा स्थापित की जा सकेगी और राष्ट्र की सुरक्षा भी हो सकेगीद्य

संदर्भ :

- संजय विजय वर्गीय– मानवाधिकार और शासकीय नीतियां
- संपादक हर्ष सिन्हा– मानवाधिकार समकालीन विमर्श, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस एंड रिसर्च
- एस पी सिन्हा– ह्यूमन राइटस फिलासफी
- पी वी काने– हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र
- विनोद कुमार सिंह– मानवाधिकार और आतंकवाद
- लोक सभा डिबेट्स 1956
- के सुब्रमण्यम– आवर नेशनल सिक्योरिटी मोनोग्रा

***

UGC Approved Journal No - 47168
ISSN 2231 - 413X

A Multidisciplinary Quarterly International Referred Research Journal

SHODH PRERAK

A Multidisciplinary Quarterly International Peer Reviewed Refereed Research Journal

http://shodhprerak.blogspot.com

Vol. - 8, Issue-II, February 2018

Chief Editor :
Dr. Shashi Bhushan Poddar

Editors :
Reeta Yadav
Pradeep Kumar

CONTENTS

- पातञ्जल योगदर्शन में अष्टांग योग — 1041-1044
  पूर्ति मारौर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, एच.डी. जैन महाविद्यालय, आरा
  डा. किस्मत कुमार सिंह, प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, एच.डी. जैन महाविद्यालय, आरा
- बौद्ध साधना पद्धति और निर्वाण — 1045-1049
  सुशील कुमार, शोध छात्र, दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
- गाँधी : पर्यावरणीय दृष्टिकोण — 1050-1055
  डॉ. श्रीप्रकाश सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज
- नारी अस्मिता और प्रभा खेतान — 1056-1060
  डॉ. कंचन यादव, एसोशिएट प्रोफेसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद
- सविनय अवज्ञा आंदोलन : गांधी और किसान — 1061-1063
  डॉ.विवेक कुमार
- गाँधी का आर्थिक दर्शन — 1064-1069
  डॉ. अर्चना त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), सदन लाल सांवलदास खन्ना महिला, महाविद्यालय, इलाहाबाद
- सकारात्मक सोच : अवसाद के उपचार में सहायक — 1070-1073
  डॉ. करुणा पीटर, अध्यापिका
- राम मनोहर लोहिया और 'नव समाजवाद' — 1074-1079
  प्रियांशू सिंह
- मैनपुरी जनपद में ग्रामीण मृत्युक्रम तथा चिकित्सा सुविधाओं का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन — 1080-1083
  डॉ. नीता तिवारी, प्राचार्या, आर.एस. डिग्री कालेज, इटावा 206001 उ.प्र.
- भारतीय संस्कृति में प्रतीकों का महत्व — 1084-1087
  डॉ. विनीत कुमार पान्डेय, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बी.आर.डी.बी.डी.पी.जी. कालेज, आश्रम, बरहज, देवरिया, उ.प्र.
- अनामिका की कविताओं में 'स्त्री' — 1088-1092
  डॉ. गरिमा तिवारी, सहायक प्राध्यापिका, हिन्दी विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार
- आदिकवि वाल्मीकि एवं रामकाव्य के परम तत्व की मीमांसा — 1093-1097
  डॉ. कल्याण कुमार झा, एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
- मृणाल पाण्डे का स्त्री चिन्तन — 1098-1101
  डॉ. साक्षी शालिनी, एम.ए., पीएच.डी. (हिन्दी), बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
- पुलिस सुधार — 1102-1103
  डॉ. बजरंग बहादुर सिंह, ग्राम व पो. गद्दोपुर, बिलरियागंज-आजमगढ़

- बाल्यावस्था में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सामाजिक परिवेश की भूमिका : एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1104-
  डॉ. अरुण कुमार राय, अतिथि प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर
- कुपोषित गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन 1107-
  डॉ. कुमारी सरोज रानी, गृह विज्ञान विभाग, बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
- अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1110-
  डॉ. उमेश कुमार राम, इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
- भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में पत्रकारिता की भूमिका 1114-
  डॉ. राजीव कुमार, इतिहास विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
- श्री अरविन्द का पूर्ण अद्वैत(प्दजमहतंस) योग : एक दृष्टि 1118-
  डॉ. ममता कुमारी, जी. एम. एच. पी. कॉलेज, व्याख्यता'दर्शनशास्त्र विभाग, बगहा, प. चम्पारण
- बलिया में खरीफ उत्पादन एवं लक्ष्य 1122-
  डॉ. राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय, असिस्टेंट प्रोफेसर, सन्त ग्राम्यांचल महाविद्यालय, सुरही, बलिया
- चार्ल्स वुड के घोषणा का तार्किक विश्लेषण 1126-
  डॉ. मीना कुमारी, पी०एच०डी०, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
- जनजातीय विवाह एवं भारतीय समाज (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) 1129-
  डॉ. नवीन कुमार, पीएच.डी. समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
- महात्मा गांधी एवं दीनदयाल उपाध्याय के स्वदेशी पर विचारो की प्रासंगिकता 1133-
  डॉ. पीयुष कुमार पाण्डेय, सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शास. महाविद्यालय बतौली, सरगुजा, छत्तीसगढ़
- विकास खण्ड जलालपुर (जनपद जौनपुर) में पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता का भौगोलिक अध्ययन 1137-
  विवेक चन्द्र मौय, शोध छात्र, भूगोल विभाग, टी०डी० कालेज, जौनपुर
- सैद्धांतिक आलोचना की दृष्टि से आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री के आलोचनात्मक निबंधों का अध्ययन 1143-
  डॉ. पिंकी कुमारी, स्नातकोत्तर हिन्दी शिक्षिका, एम०आर०एस०उ०मा०वि०मनियारी, मुज०
- अज्ञेय के उपन्यासों में स्त्री-पुरुष का रागजन्य सम्बंध 1146-
  डॉ. शंकर कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी), महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- महिला सशक्तिकरण : दशा एवं दिशा 1149-
  डॉ. नवीन कुमार, समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार)
- समकालीन रंग-प्रयोग के विविध आयाम और अनुराधा कपूर का रंगकर्म 1153-
  मुकेश कुमार बर्णवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, विवेकानंद कॉलेज, दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

महात्मा गांधी एवं दीनदयाल उपाध्याय के स्वदेशी पर विचारो की प्रासंगिकता

डॉ. पीयुष कुमार पाण्डेय*

जब पुराने सोच के रास्ते चलते–चलते आगे जाकर बंद हो जाते हैं, तो नए रास्ते की जरूरत महसूस होती हैद्य हो सकता है वह रास्ता बिल्कुल नया न हो, पहले भी बताया गया हो लेकिन उसका मिजाज, भाषा, भाव, भंगिमा नई हो जाती हैद्य स्वदेशी का जिक्र आते ही हमें भारत के गौरवशाली अतीत की याद आती हैद्य भारत अंग्रेजों के उपनिवेश के पहले तक पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के उपनाम से भी प्रसिद्ध थाद्य भारत का हर एक व्यक्ति और हर एक गांव स्वावलंबी और आत्मनिर्भर थाद्य गांवों को बाहर से सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए नमक मंगाना पड़ता था।

भारत में वस्त्र बनाने का कार्य बहुत पुराना हैद्य आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते है कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल में वर्णित ऋषि गृत्समद को प्रथम वस्त्र बनाने का श्रेय जाता हैद्य वैदिक आख्यान में वर्णन आता है की ऋषि गृत्समद ने सबसे पहले कपास के पेड़ को बोया था। इसी तरह भारत भ्रमण के लिए टेवर्नियर ने अपने एक संस्मरण में लिखता है कि एक पर्शियन राजदूत भारत से वापस गया तो अपने सुल्तान को एक नारियल भेंट दिया तो दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुल्तान को नारियल दे रहा है, पर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उस नारियल को खोला गया तो उसमें 30 गज मलमल का थान मिलाद्य ढाका के मलमल की प्रसिद्धि कौन नहीं जानता है।

बिना मशीनों और बड़े उद्योगों के किस तरह सतत् विकास किया जा सकता हैद्य भारत के गांव और लघु उद्योग इसका अद्भुत उदाहरण हुआ करते थेद्य भारत के व्यापारी स्थानीय उपभोक्ताओं एवं अभिजात वर्ग की आवश्यकता को ही नहीं पूरा करते थे बल्कि एशिया और यूरोप से आने वाले व्यापारियों की मांगों को भी पूरा किया करते थे।

यह व्यापारिक श्रेष्ठता 18वीं सदी के अंत तक बनी रहीद्य इस औद्योगिक श्रेष्ठता के कारण विश्व के अन्य राष्ट्र भारत को द्वेष की निगाह से देखते थेद्य भारत की अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को किसी भी विजेता ने इतना अधिक प्रभावित और परिवर्तित नहीं किया जितना कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार नेद्य अंग्रेजो से पहले जो भी विजेता भारत आए वे केवल राजनीतिक दृष्टि से वंश परिवर्तन कियाद्य लेकिन आर्थिक व्यवस्था एवं सामाजिक गठन व संबंधों को पूर्णतया परंपरागत भारतीय व्यवस्था के अनुकूल रहने दियाद्य अंग्रेज पहले ऐसे विजेता थे जिन्होंने प्रारंभिक समाज को तोड़कर प्राचीन उद्योगों को तो समाप्त किया ही साथ ही प्रारंभिक समाज में जो कुछ उच्चतर था उसको भी समाप्त कर दियाद्य और उन्होंने अपने साम्राज्यवादी भौतिकवादी हितों के अनुरूप परंपरागत भारतीय व्यवस्था को नष्ट करके नई व्यवस्था को जन्म दिया।

जिसके परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में भारत के आयात और निर्यात की वस्तुओं में बहुत भारी परिवर्तन हुआद्य 1813 से पहले भारत उत्पादित माल का निर्यात करता था और कीमती धातु और भोग विलास की वस्तुओं का आयात करता थाद्य परंतु 1850 के बाद भारत कच्चे माल और भोजन सामग्री का निर्यातक और तैयार माल का आयात करने वालों की श्रेणी में आ गयाद्य 1881–82 से 1904–05 के अंतर्गत कुल सूती कपड़े का आयात 24 से 39 परसेंट हो गया।

इस प्रकार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का इतिहास का अचेतन हथियार बन गयाद्य यह परिवर्तन भारतीयों को प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित कर रहा थाद्य परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्म निर्भरता और अलगाव की अपनी विशिष्टता को खोना प्रारंभ कर दियाद्य संयुक्त परिवार बिखरने लगे, शिक्षित भारतीय ऋग्वेद की बजाय द टाइम्स पर ज्यादा ध्यान देने लगेद्य

---

*सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शास. महाविद्यालय बतौली, सरगुजा, छत्तीसगढ़

अधिकांश जनता अशिक्षित, बेरोजगार, खेतिहर मजदूर, गरीबी, भुखमरी का शिकार होने लगीद्य जिसके फलस्वरूप भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्रांतियां हुईद्य जिसमें भारत की आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लियाद्य इसमें नेतृत्व देने का कार्य हमारे महापुरुषों में दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रविंद्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी इत्यादि रहे।

सबसे पहला स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ जो 1911 तक चला, जिसमें सभी धर्मों, वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लियाद्य इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं और प्रमुख रूप से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गयाद्य इस आंदोलन को विपिन चंद्र पाल का भी नेतृत्व प्राप्त हुआद्य भारत का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन स्वदेशी हथियारों से लड़ा गयाद्य जिसका प्रमुख अस्त्र-शस्त्र सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह था और लड़ने वाले सत्याग्रहीद्य महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें विदेशी वस्तुओं के उपयोग से मुक्त होने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसा तभी होगा जब हम खुद अपनी चीजों को बनाएंगे।

महात्मा गांधी के स्वदेशी विचारों के केंद्र बिंदु में ग्राम स्वराज थाद्य गांधी जी जब ग्राम स्वराज की बात करते थे, तो उसमें नगरों का भी महत्व थाद्य ग्राम स्वराज का अर्थ है पूरे समाज को केंद्र में रखने वाली व्यवस्थाद्य आज की नगर आधारित व्यवस्था सीमित लोगों को केंद्र में रखती हैद्य वह यह मानकर चलती है कि उच्च और मध्यम वर्ग की समृद्धि रिसकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगीद्य यह पद्धति यूरोप में सफल रही क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से लूट कर अकूत संसाधन इकट्ठे कर लिए लेकिन वहां भी अब इसके दुष्परिणाम आने लगे हैंद्य हमें भी देर सबेर इस रणनीति को छोड़ना ही होगा।

महात्मा गांधी को यंत्रों के विरोधी के रूप में काफी प्रचार किया गयाद्य गांधी जी कहते थे मशीनों के प्रति मेरा विरोध के बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी हैद्य मैं हर मशीन का विरोधी नहीं हूं, मैं केवल उन्हीं मशीनों का विरोधी हूं जो श्रमिकों को विस्थापित करके बेरोजगार बना देती हैद्य गांधी जी के इस बात से सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आपत्ति हो सकती हैद्य क्योंकि वे टेक्नोलॉजी के ताकत से सामान्य मानव श्रम को महत्वहीन बना देना चाहते हैद्य आज चाँद पर जाने की जितनी चिंता है, धरती पर रोजगार को लेकर नहीं हैद्य गांधी जी विज्ञान के विरोधी नहीं थे, लेकिन उन्हें अर्थव्यवस्था को लेकर ज्यादा चिंता थीद्य वह देश के बेरोजगारों को लेकर ज्यादा चिंतित थेद्य जिसके फलस्वरूप भारत में 21वीं सदी में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, वस्तुतः आज सिर्फ आर्थिक वृद्धि देखी जाती हैद्य रोजगार बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इससे मतलब नहीं है।

दीनदयाल उपाध्याय ने स्वदेशी का सामाजिक, आर्थिक मॉडल प्रस्तुत कियाद्य जिसके विकास के केंद्र में मनुष्य हैद्य स्वदेशी जहां स्वदेशाभिमान में अथार्त भावनात्मक है, वही वह देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैद्य दीनदयाल जी स्वदेशी मे बनी हुई वस्तु तक ही अपनी दृष्टि सीमित नहीं रखते थे, सामाजिक कार्यकर्ता बाबा साहब आप्टे ने दीनदयाल जी के साथ हुए अपने वार्तालाप का संस्मरण अपनी पुस्तक में लिख रखा है कि पंडित दीनदयाल जी ने उनसे कहा था, "मैं उन वस्तुओं का जिनका स्वदेश में तो निर्माण किया जाता है किंतु उनका सारा लाभ विदेशों को भेजा जाता है, स्वदेशी मानने के लिए तैयार नहीं हूंद्य स्वदेश निष्ठा की परिभाषा को अगर हम दीनदयाल जी के शब्दों में कहे तो स्वदेशी उपभोग की वस्तु के साथ-साथ भाषा, व्यवहार, वस्त्र के साथ-साथ पारंपरिक शिष्टाचार, लोकनीति और लोक व्यवहार आदि सभी मानव जीवन की महत्वपूर्ण बातों का समावेश हैद्य पंडित जी स्वदेशी के विषय पर अपना विचार रखते हुए कुछ सवाल रखते थे, कि स्वदेशी क्या है, क्या स्वदेशी कोई वस्तु है या स्वदेशी कोई मंत्र है? इन सवालों का उनकी ओर से समाधान की एक श्रृंखला थी,

जैसे स्वदेशी कोई वस्तु नही एक चिंतन है,
स्वदेशी भारत के जीवन दर्शन का एक तंत्र है,
स्वदेशी मंत्र है सुखी जीवन की

आज स्वदेशी एक अस्त्र है युग परिवर्तन का विकास का
स्वदेशी समाधान है बेरोजगारी का
स्वदेशी कवच है बेरोजगारी का
स्वदेशी स्वाभिमान है श्रम शीलता का
स्वदेशी संरक्षक है पर्यावरण और जीव–जंतुओं का
आज स्वदेशी एक आंदोलन है सादगी और सम्मान का
स्वदेशी आज संग्राम है जीवन मरण का
स्वदेशी उपचार है मानवता के विकास का
स्वदेशी उत्थान है समाज और राष्ट्र के सम्मान का

भारत में आजादी प्राप्त करने के बाद 'जितने हाथ उतना काम का सिद्धांत की अनदेखी करते हुए भारत ने जितना काम उतने हाथ के सिद्धांत को अपना लिया'द्य

भारतीय युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और सरकारें भी सहयोग के लिए तैयार हैंद्य बस आज जरूरी है आम जनमानस में स्वदेशी के भाव की, क्योंकि आज कहीं हम ज्यादा विदेशी वस्तुओं के मकड़जाल में फंसते जा रहे हैंद्य हमारे यहां स्वदेशी वस्तुओं को निम्न वजह से संघर्ष करना पड़ रहा है।

- पहला स्व के प्रति स्वाभिमान का ना होनारू लंबे समय से हमारे अंदर यह भाव आता रहा है कि लोकल मतलब खराब, इस प्रवृत्ति से हमें निकलना होगाद्य जो हमारे आसपास निर्मित उत्पाद हैं उसे प्रमुखता देनी होगीद्य मैंने कई व्यवसाय इसके अभाव में बंद होते देखे है, जैसे छत्तीसगढ़ के सरगुजा के आदिवासी बहुल ब्लाक बतौली में महिला समूह ने मसाला उद्योग शुरू किया और उन्हें प्रोत्साहन न मिलने के कारण बंद करना पड़ाद्य
- जानकारी का अभावरू कई बार हमने यह देखा है कि हमें मालूम ही नहीं होता है कि बहुत सारा उत्पाद हमारे देश में विश्व स्तर का बनता हैद्य इस वजह से भी हम उन्हें तरजीह नहीं देते हैं, जैसे आई. एम. एफ. बी. जो दक्षिण भारत की कंपनी है, बहुत अच्छा विश्व स्तर का वाशिंग मशीन बनाती हैद्य लेकिन हम जानते ही नहींद्य
- उत्पाद के नामों से भ्रमरू कई बार हम नाम से भी भ्रम में पड़ जाते हैं कौन सा उत्पाद स्वदेशी निर्मित है और कौन सा उत्पाद विदेश निर्मित हैद्य जैसे कौन जानता है जो अन्नपूर्णा आटा है वह विदेशी कम्पनी द्वारा उत्पादित है और लक्मे, ब्रिटानिया और मैरी बिस्कुट भारतीय कम्पनी द्वारा उत्पादित हैद्य
- मांग और पूर्ति का ध्यान रखना होगारू उपभोक्ता का मनोवैज्ञानिक सर्वे करके उसके अनुसार उत्पादन करना होगा और उसे बढ़ावा देना होगा।

लेकिन लोगों को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि स्वदेशी महज मुख्यधारा की बात नहीं है बल्कि एक जीवन धारा की तरह है शायद महात्मा गांधी ने सही कहा था कि स्वदेशी को स्वराज की आत्मा मानना चाहिए और आज भारत के लिए स्वदेशी सिर्फ अवस्था का प्रश्न ही नहीं है बल्कि अस्मिता का भी यह प्रश्न बन चुका हैद्य स्वदेशी का भाव लाना है तो हमें भाषा, भोजन, भेषज, भजन, भाव के प्रति गौरव का भाव लाना होगाद्य

लोगों को आत्म निर्भरता का पाठ पढ़ाना है.
हम सबको यथासंभव स्वदेशी अपनाना हैद्य

संदर्भ :

1. वैदिक संस्कृति – गोविंद चंद्र पांडेय
2. भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलन– आर. सी. अग्रवाल
3. भारत में [illegible] और [illegible]– डॉक्टर सत्या एम. राय

4. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास दृ बी. एल. ग्रोवर
5. मध्यकाल भारत– हरीश चंद्र वर्मा
6. गांधी को समझें – धर्मपाल समग्र लेखन
7. मुक्तिदाता गांधी – डॉक्टर जितेंद्र कुमार मोदी
8. हिन्द स्वराज दृ गाँधी
9. ग्राम स्वराज– गाँधी
10. पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार दर्शन– विनायक वासुदेव नेने

***

Uttar Pradesh Journal of Social Science Research

UPJSSR

CSSS

Vol.-9, No.-2

ISSN: 0975-8852

Articles

ARTICLES

डॉ. अर्चना रानी दुबे पुराणों की प्रयोजनीयता (पारम्परिक एवं जैन पुराणों के विशेष सन्दर्भ में)

Dr. Mohammad Arshad, Tilak, Mohani and Surat Congress: An Example of Political Discipleship

डॉ0 पीयुष कुमार पान्डेय- मानवाधिकार भारतीय संविधान एवं महिलाए

Rahul Arya: Ethical aspect of Advertisements in Media

Dr. Tahir H. Ansari: The Chieftaincy of Kahalgaon and the Mughal Empire

डॉ0 अम्बुज कुमार सिंह, भारत नेपाल सीमावर्ती जनपदों में जनसांख्यिकी परिवर्तन

डॉ0 आभा श्रीवास्तव- श्रृंगारिक प्रेम व्यंजना

डॉ0 अभिषेक सिंह-मौर्यकाल में प्रचलित अलंकार

डॉ. वीना रानी महरोत्रा प्राकृतिक तत्व एवं मानव

डॉ. गीता शर्मा, डॉ.वीना कपूर आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति: शिक्षा व्यवस्था और कानून

Raushan Kumar, Attitude towards independent learning: A comparison of private school and government school students in Delhi

Dr. Meeta Mathur, Dr. Sangeeta Kaul, Environmental Crisis: Green Economic Solution

डॉ0 शशि बाला वर्मा- [illegible] काव्य-रामचरितमानस और रघुवंश महाकाव्य में (चरित्रांकन कला) लोकजीवन वर्णन

CSSS

A Journal of the Centre for Studies in Social Sciences

July-December/2018

Vol.-9, No.-2

UPJSSR, Vol. 9/No. 2/July-Dec 2018 ISSN: 0975-8852
Peer Reviewed/Refereed Journal

Uttar Pradesh Journal of Social Science Research

ARTICLES

डॉ. अर्चना रानी दुबे पुराणों की प्रयोजनीयता (पारम्परिक एवं जैन पुराणों के विशेष सन्दर्भ में) 1

Dr. Mohammad Arshad Tilak Mohani and Surat Congress: An Example of Political Discipleship 6

डॉ0 पीयूष कुमार पान्डेय- मानवाधिकार भारतीय संविधान एवं महिलाए 22

Rahul Arya: Ethical aspect of Advertisements in Media 25

Dr. Tahir H. Ansari: The Chieftaincy of Kahalgaon and the Mughal Empire 33

डॉ0 अम्बुज कुमार सिंह- भारत नेपाल सीमावर्ती जनपदों में जनसांख्यिकी परिवर्तन 46

डॉ0 आभा श्रीवास्तव- श्रृंगारिक प्रेम व्यंजना 48

डॉ0 अभिशेक सिंह–मौर्यकाल में प्रचलित अलंकार 54

डॉ. वीना रानी महल्होत्र प्राकृतिक तत्त्व एवं मानव 61

डॉ. गीता शर्मा, डॉ.वीना कपूर आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति: शिक्षा व्यवस्था और कानून 70

Raushan Kumar Attitude towards independent learning: A comparison of private school and government school students in Delhi 74

Dr. Meeta Mathur, Dr. Sangeeta Kaul Environmental Crisis: Green Economic Solution 87

डॉ0 शशि बाला वर्मा- भक्ति काव्य:-रामचरितमानस और रघुवशं महाकाव्य में (चरित्रंकन कला) लोकजीवन वर्णन 94

UPJSSR

मानवाधिकार भारतीय संविधान एवं महिलाएं

डॉ0 पीयूष कुमार पान्डेय

मानवधिकार उन विभिन्न सुविधाओं से का समुह है, जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। इन अधिकारों के आभाव मे न तो जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत कर सकता है और न तो एक नागरिक के रूप में समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा। मानवाधिकार एक नयी अवधारणा है। और यह वर्तमान युग की देन है ये दो मूल सिद्धांतो पर आधारित है। पहला – संसार के प्रत्येक व्यक्ति जीने का अधिकार है दुसरा उसे गरिमा के साथ जीवन–जीने का अधिकार है।

वैसे तो मानव के द्वारा मानवों के शोषण के विरूद्ध बराबर आवाज उठायी गयी लेकिन लाभ कुछ भी नही हुआ। फांस की 1789 की क्रांति के फलस्वरूप पहली बार वहां पर मानवों के लिए स्वतंत्रता और समानता की घोषणा की गयी इसे हम मानवाधिकार का प्रारंभ मानते है। फांस के बाद अन्य देशों मे भी शोषितो के विरूद्ध आन्दोलन शुरू किया गया। जैसे रूस की 1917 की क्रांति ने जार राजाओं का शासन समाप्त कर साम्यवादी राज्य की स्थापना की। परन्तु शोषण समाप्त नही हुआ। अधिक शक्तिशाली मानव कम शक्तिशाली मानवों का शोषण करता रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 सम्भवतः शक्ति प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। इस युद्ध मे हिरोशामा और नागासाकी पर परमाणु बमों के प्रयोग ने तो मानव को कलंकित ही कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप विश्व शांति आवश्यकता अनुभव होने लगी। इसी आवश्यकता ने मानवाधिकार को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरान्त 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया इस संगठन ने अमेरिका के सैन फांसिसको नगर मे 1945 मे मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार की घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा मे प्रस्तुत किया। 10 दिसम्बर को ऐतिहासिक महत्व देते हुए इस तिथि को मानवाधिकार दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि विश्व मे सबसे अधिकार अपराध अन्याय और हिंसा महिलाओं के साथ ही हुआ है। महिलाएँ अपराध की दृष्टि से बेहद आसान लक्ष्य रही है।

विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे – जैसे सुदृढ़ होती गयी महिलाओं को पुरूषो के समकक्ष लाने की मुहिम मे भी तेजी आती गयी। विधि व न्याय के समक्ष समानता

लोक सेवाओं मे समान अवसर निवास रोजगार आदि की स्वतंत्रता पारिवारिक सम्पत्ति में हिस्सेदारी, निर्णयन के प्रत्येक स्तर पर समानता खान – पान रहन – सहन शिक्षा, आदि के मामलों में महिलाओं को न केवल पुरूषों के बराबर लाने का विधिक प्रयास किया गया, बल्कि जहां कही विशेष विधिक प्रावधान किये गये।

संयुक्त राष्ट्र के संघ के चार्टर की प्रस्तावना में विशेष रूप से उल्लेख है कि मानवाधिकारों में मानव गरिमा और महत्व में तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते है। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 को सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसका सम्मान करने के लिए बाध्य किया गया है। इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद – 2, 16 (1), 23 (2) 26(1) में महिला अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

महिलाओ के समस्त विकास और उत्थान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1975 को महिला वर्ष घोषित किया, इसके तीन उद्धेश्य पुरूषों और महिलाओं को समानता का दर्जा देना, विश्व शान्ति स्थापना की दिशा में महिला सहयोग प्राप्त करना व विकास कार्य में स्त्रियों का योगदान देना है। सन् अ–1975 में महिलाओं को विकास के लिए प्रथम विश्व कार्य योजना बनाई गयी और महिला समानता के लिए महिला दशक 1975 – 1984 की घोषणा की गई जिसमें निम्न विन्दुओं पर जोर दिया गया।

1. विश्व शांति व समाज निर्माण में महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता हो।
2. सामाजिक अन्याय समाप्त करने का प्रयास।
3. महिलाओं को पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त हो।
4. महिलाओं के साथ जन्मजात, धर्म, जातिगत भेदभाव की समाप्ति का प्रयास होगा।

भारत के स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद – 14 मे महिलाओं को पुरूषों के समान कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद – 16 मे लोक सेवा में बिना भेदभाव के अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद – 19 में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23–24 में नारी के क्रय – विक्रय तथा बेगारी पर रोक अनुच्छेद 42 मे महिलाओं के लिए प्रसूती सहायता की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 51 क (ड़) मे कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रयासें का त्याग करे जो स्त्रियां के समान अधिकार एवं अवसरों के विरूद्ध है इसके अतिरिक्त 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान मे अनुच्छेद 243 प (न) जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं को एक समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो इसके लिए अनेक प्रयास किये गये है। परिणामस्वरूप लगातार दिनों – दिन महिलाएं पुरूषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में संक्रिय भूमिका निभा रही है। लेकिन जैसे – जैसे महिलाएं जागरूक हो रही है वैसे – वैसे महिलाओं के प्रति अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। शारीरिक– मानसिक उत्पीड़न दहेज हत्या, वैववाहिक एवं पारिवारिक हिंसा बालिका भ्रुण हत्या, लड़कियों की शिक्षा बलात्कार और बालत वैश्यावृति, यौन शोषण, स्वास्थ्य और पोषाण की उपेक्षा लूट चोरी और डकेती, छेड़खानी आदि घटनाओं की शिकार महिलाएं हो रही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनो रूपों मे विद्यमान

महिलाओं और बालिकाओं के प्रति घरेलू हिंसा, दोयम दर्जे की श्रेणी का व्यवहार व अपमान के अलावा कार्यस्थल पर सड़को एवं सार्वजनिक यातायात के माध्यमों मे व समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा मे वृद्धि हुई है।

महिलाओं को दुनिया का आधा हिस्सा कहा जाता है परन्तु भारत मे कन्या भ्रुण हत्या के कारण पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या और अनुपात न सिर्फ कम है बल्कि लगातार घटती ही जा रही हैं। यदि आकड़ो का अवलोकन करें तो प्रत्येक आयु वर्ग मे पुरूषों की अधिकता पायी जा रही है। यदि राज्य के अनुसार लिंगानुपात का अवलोकन करे तो राज्यों मे भी काफी विषमता देखने को मिलती है। 2011 की जनगणनानुसार हरियाणा मे 1000 पुरूष पर 877 सिक्किम 889 । मात्र केरल और पॉण्डिचेरी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है जहां स्त्रियों की संख्या पुरूषों से अधिक है जो क्रमशः 1084 व 1038 है।

यदि लिंगानुसार मे ऐसे ही असंतुलन की स्थिति बनी रही तो प्रकृति द्वारा मनुष्य के लिंग निर्धारण मे असंतुलन आ जाएगा इसका परिणाम यह होगा कि मानव जीवन का अस्तित्व खतरे मे पड़ जाएगा और भारत मे व्यापत लैंगिंग विषमता क कारण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर अनेक विषमताएं जन्म लेगी।

संक्षिप्ततः कहा जा सकता है कि यदि समाज उक्त बातों विचार करते हुए इन अधिकारों को सामाजिक मान्यता देता है तो निश्चय ही समाज के वर्तमान हालात बदलेगें और एक ऐसे समाज का उदय होगा जहां स्त्री – पुरूष को समान अधिकार होगा। किसी के द्वारा कोई स्त्री प्रताड़ित या शोषित नहीं होगी। 21 वीं शताब्दी, महिलाओं के अधिकार व समानता का हो। महिलाऐं जीवन के प्रत्येक आयाम पर अपनी सफलता को सावित कर चुकी है, वे पुरूषों से किसी भी मायने में कम नहीं है। जरूरत हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिये अवसर प्रदान करने की एवं उसके जीवन मूल्यों के विकसित स्वरूप प्रदाय करने की जिससे विश्व मानव समाज आदर्श स्थिति प्राप्त कर सकें।

संदर्भ

01. नागेन्द्र सिंह हयूमन राइट एण्ड इण्टर नेशनल कोआपरेशन 1969 पृ.संख्या 488–91

02. महासभा प्रस्ताव 2263 (२ ग्प) दिनांक 07 नवम्बर 1967

03. राजकिशोर (संपादक) स्त्री के लिए जगह वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, 1994 पृ.सं.104

04. मौर्या डॉ0 गीता मानव अधिकार पृ0 – 2।

05. योजना, अप्रैल 2011 पृ0 44

06. ओझा – एन0एन0 भारत की सामाजिक समस्याएँ पृ0 352

07. डॉ0 रवि प्रकाश पाण्डेय वैश्वीकरण एवं समाज शेखर प्रकाशन 2005

About the Author

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), शासकीय महाविद्यालय, बतौली, सरगुजा छत्तीसगढ़

भारत- नेपाल संबंध

अतीत से वर्तमान तक

डॉ. पीयूष कुमार पाण्डेय

भारत-नेपाल संबंध

अतीत से वर्तमान तक

डॉ. पीयूष कुमार पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय बतौली
सरगुजा, छत्तीसगढ़

VL Media Solutions

पुस्तक का नाम: भारत-नेपाल संबंध: अतीत से वर्तमान तक

लेखक: डॉ. पीयूष कुमार पाण्डेय

First Edition: 2021

ISBN: 978-81-950875-0-1

Price: 800/-

Published by:
VL Media Solutions

Work Office: G-1/476, Uttam Nagar, Dall Mill Road,
New Delhi-110059, India
Phone- +91- 8076369772, 08010207580
Emailinfo@ vlmspublications.com
Email: publicationsvlms@gmail.com
www.vlmspublications.com

Registered: B-58, FF, Mansaram Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059, India

© Copyright reserved by **Publishers**
All rights reserved. No part of this book to be quoted, copied, used, or reproduced in any manner whatsoever without written permission from the Author and Publisher. The Author shall be responsible for content related issues, if any. Publisher's authentication of the content is limited to publication only. Agreement to these terms and conditions implied upon purchase of this book. Jurisdiction of Courts at Delhi only shall apply.

Printed by Sharp Digital Prints pvt ltd, Naraina, Delhi, India

अध्याय-1

नेपाली लोकतन्त्र की सीमायें तथा उलझनें

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 1990 में सोवियत संघ के विघटन तथा 11 सितम्बर 2001 में अमरीका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद हुए परिवर्तनों के कारण भारत की विदेश नीति भी विशेष रूप से पड़ोसी देशों के संदर्भ में एक संक्रमण से गुजर रही है। कल तक भारत की स्थिति दक्षिणी एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति की थी। आज पूरे एशिया में भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर विश्व में अपनी भूमिका निभाने का इच्छुक हैं। स्थिति बदल गई है। आज भारत ने पश्चिम एशिया में खाड़ी देशों की तरफ सम्बन्ध सुधरने की नई पहलें की है। दूसरी तरपफ दक्षिण पूर्वी एशिया में भी सघन राजनयिक प्रयास चल रहे हैं। इनमें आर्थिक और वैज्ञानिक आदान–प्रदान भी सम्मिलित हैं। पोखरण–2 परमाणु विस्फोटों के बाद भारत को यूरोप और अमेरिका में अपने सम्बन्ध सुधारने में अच्छी सफलता मिली है। उसने रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को बनाये रखते हुए भी यूरोप और अमेरिका के देशों के साथ अपने प्रभाव का विस्तार किया है। यही कारण है कि आज इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों के बारे में उसे सम्बन्धित देशों को कटघरे में खड़ा करने में बड़ी सफलता मिली है। भारत की विशालता आणविक शक्ति होने की हैसियत, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था होने का स्तर और क्षेत्रीय सैन्य शक्ति आदि होने के बावजूद छोटे पड़ोसी देशों के साथ भारत की समस्याएं यथावत बनी हुई है।

भारत का पड़ोसी देशों के प्रति दृष्टिकोण :-

2001 में बांग्लादेश राइपफल्स ने सीमा सुरक्षा बल के 16 नौजवानों की हत्या कर जिस तरह की अपमानजनक स्थिति पैदा कर दी, यह इसका एक उदाहरण है। हाल के दौर में नेपाल में भी समस्याएं पैदा हुई हैं। यद्यपि पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध दक्षिण एशिया में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिमला समझौते से लेकर मुजपफराबाद बस यात्र या मोदी का अचानक शरीफ के घर जाकर शादी समारोह में शामिल होने तक भारत का यह प्रयास रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके सम्बन्ध सुधरें। भारत अपनी वांछित वैश्विक हैसियत प्राप्त करने के लिए पड़ोसियों के साथ थोड़ा लचीला रवैया अपनाना चाहता है। भारतीय नेतृत्व का मानना है कि यदि भारत को अपने आकार के अनुरूप वैश्विक

भारत और सीमावर्ती देश

डॉ. पीयूष कुमार पाण्डेय

भारत और सीमावर्ती देश

डॉ. पीयूष कुमार पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय बतौली
सरगुजा, छत्तीसगढ़

VL Media Solutions

अनुक्रम

भारतीय पड़ोसी देशों (सार्क) की पृष्ठभूमि	1
पड़ोसी देश और भारतीय विदेश नीति	40
भारत-पाक सम्बन्ध के विविध आयाम	47
भारत-पाकिस्तान संबंध: आरम्भ से मुशर्रफ काल तक	58
भारत-भूटान सम्बन्ध की नई दिशाएं	85
भारत-म्यांमार सम्बन्ध	94
भारत-श्रीलंका सम्बन्ध: एक अवलोकन	103
भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध के विभिन्न पहलू	113
भारत-नेपाल में आर्थिक-तकनीकी सहयोग	125

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

डॉ. पीयूष कुमार पाण्डेय

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

डॉ. पीयूष कुमार पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय बतौली
सरगुजा, छत्तीसगढ़

VL Media Solutions

अनुक्रम

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

अब्दुल कैश 1

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

डॉ. चन्द्र सेन प्रताप सिंह 10

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीति की राजनीतिक अंतःक्रिया

शैलेश मिश्रा 16

भारतीय चुनाव व्यवस्था एवं क्षेत्रीय राजनीति

राजीव कुमार 28

भारतीय राजनीति और बहुजन समाज पार्टी की यात्रा

डॉ नागेन्द्र 34

भारतीय लोकतन्त्र की राजनीतिक चुनौतियाँ

डॉ. राजेश गुप्ता 58

सुश्री मायावती एवं क्षेत्रीय दल की मजबूती

डॉ गोपाल प्रसाद, डॉ नागेन्द्र 66

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

अब्दुल कैश

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय, उदयपुर जिला-सरगुजा (छ0ग0)

समकालीन समय लोकतंत्र का समय हैं। वर्तमान तक पहुँचने से पहले यह विश्व विभिन्न शासन प्रणालियों की प्रयोगशाला रहा है। मध्यकाल में पुनर्जागरण एवं धर्मसुधार आंदोलन के उपरांत विमर्श के अन्तर्गत पराभौतिकी का स्थान जन सरोकार के प्रश्नों एवं मुद्दों ने ले लिया। मनुष्य को प्रत्येक बिन्दूओं का मानदण्ड मानकर उसे केन्द्रीय स्थिति प्रदान की गई। प्रत्येक बौद्धिक विमर्श की अंतिम शरणस्थली मनुष्य, उससे जुड़े मुद्दे एवं उसकी समृद्धि बन गयी और यहीं से आरंभ हुआ विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन जो स्थिरता एवं मानव समृद्धि के नये प्रतिमान स्थापित कर सके। प्रख्यात दार्शनिक अरस्तू ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया है। विश्व में प्रचलित प्रत्येक शासन प्रणाली ने बदलते परिदृश्य में अपने आप को वैध एवं प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जनोन्मुखी सिद्धांतों को अंगीकार किया है। वर्तमान समय में लोकतंत्र ही वह शासन प्रणाली है जो इन प्रतिमानों पर खरी उतरती है। यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसे राजनीतिक दलों के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। वर्ष 1947 में लंबे औपनिवेशिक पराधीनता के उपरांत जब भारत वर्ष स्वतंत्र हुआ तो उपयुक्त शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र का चयन किया गया। संविधान सभा में विमर्श के दौरान इस प्रणाली का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सीमा तक भारतीय जनमानस इसके मूलभूत सिद्धांतों से परिचित था तथा यह प्रणाली भारतीय जानमानस की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में समर्थ थी।

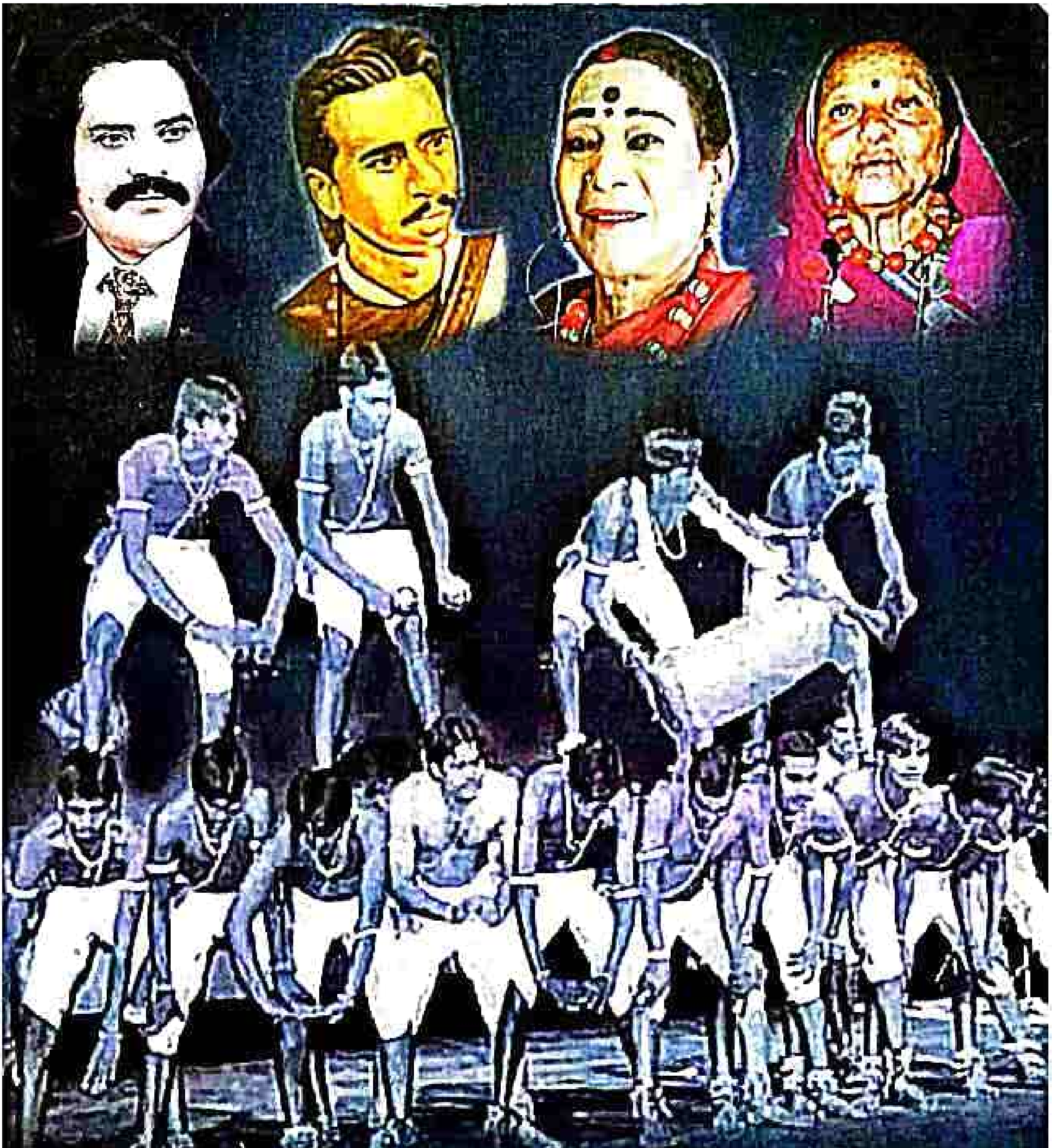

लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य

सम्पादक : डॉ. रमेश टण्डन

एम. ए. हिन्दी–

लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य

(चतुर्थ सेमेस्टर – चतुर्थ प्रश्न–पत्र)

[छत्तीसगढ़ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित एम. ए. हिन्दी तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न–पत्र (लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य) के नवीनतम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित एवं अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी एम. ए. हिन्दी की पाठ्य–पुस्तक]

संपादक

डॉ. रमेश टण्डन

(एम. ए.– हिन्दी, अंग्रेजी; पी–एच. डी., सीजी सेट)

विभागाध्यक्ष – हिन्दी

महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

खरसिया, जिला– रायगढ़ (छ.ग.)

उप–संपादक

प्रो. संध्या पाण्डेय, एम. ए. (हिन्दी)

प्रो. बाल किशोर भगत, एम. ए. (हिन्दी, समाज शास्त्र), बी. एड., स्टेनो

प्रो. वंदना रानी खाखा, एम. ए. (हिन्दी), नेट, सेट,

प्रो. गोवर्धन सूर्यवंशी, एम. ए. (हिन्दी, राजनीति शास्त्र), बी. एड., नेट, सेट

प्रो. माग्रेट कुजूर, एम. ए. (हिन्दी), नेट, सेट

सर्वप्रिय प्रकाशन

कश्मीरी गेट, दिल्ली

लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य

डॉ. रमेश टण्डन

ISBN- 978-93-89989-86-1

●

प्रकाशक

सर्वप्रिय प्रकाशन

प्रथम मंजिल, चर्च रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली

मो. 9425358748

e-mail : sahityavaibhav@gmail.com

www.vaibhavprakashan.com

●

आवरण सज्जा : कन्हैया साहू

प्रथम संस्करण : सितम्बर २०२०

मूल्य : ३०० रुपये

कॉपी राइट : लेखकाधीन

LOK SAHITYA EVAM CHHATTISGARHI SAHITYA

BY : DR. RAMESH TANDAN

Published by

Sarvapriya Prakashan

First Floor, Church Road, Kashmiri Gate, Delhi

First Edition : September 2020

Price : Rs. 300.00

(प्रस्तुत पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में लिखित पाठ्य सामग्री उसके लेखक/संकलनकर्ता के द्वारा एम ए हिन्दी में अध्ययनरत छात्रों के हित के लिए विभिन्न किताबों अथवा नेट से संकलित की गई है। अपने पाठ की पूर्णता के लिए इस पुस्तक के अध्याय लेखकों के द्वारा मूल किताबों अथवा परवर्ती संदर्भ/शोध ग्रंथों अथवा नेट से उद्धरण अथवा उदाहरण लिए गए हैं, अतः उन मूल किताबों अथवा परवर्ती संदर्भ/शोध ग्रंथों अथवा नेट के क्रमशः लेखकों अथवा संपादकों/शोध छात्रों अथवा अपलोडर्स का सर्वश्रेष्ठ आभार जिनकी पाठ्य सामग्री को यहाँ उद्धृत किया जा सका है। मौलिक तथ्यों/परिभाषा आदि में फेरबदल के लिए इस पुस्तक के संपादक अथवा प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे अपितु अध्याय लेखक स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र खरसिया (छ.ग.) होगा।)

अनुक्रम

क्र.	अध्याय	लेखक	पृष्ठ क्र.
1.	लोक साहित्य– लक्षण, परिभाषा, क्षेत्र	– डॉ0 श्रीमती धनेश्वरी दुबे	13
2.	लोक और लोक–वार्ता, लोक–वार्ता और लोक–विज्ञान	– प्रो0 चरणदास बर्मन	25
3.	लोक संस्कृति अवधारणा, लोक–वार्ता और लोक–संस्कृति	– प्रो0 श्रीमती माग्रेट कुजूर	43
4.	लोक–संस्कृति और साहित्य, लोक साहित्य अवधारणा	– प्रो0 चरणदास बर्मन	56
5.	लोक गीत, लोक नाट्य, लोक–कथा	– प्रो0 श्रीमती संध्या पाण्डेय	76
6.	लोक–गाथा, लोक–नृत्य, लोक संगीत	– प्रो0 श्रीमती संध्या पाण्डेय	90
7.	छत्तीसगढ़ साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ	– श्रीमती पुष्पांजलि दासे	98
8.	छत्तीसगढ़ी उपन्यास का उद्भव और विकास	– प्रो0 चरणदास बर्मन	112
9.	छत्तीसगढ़ी नाटक का उद्भव और विकास	– प्रो0 गोवर्धन सूर्यवंशी	138
10.	छत्तीसगढ़ी एकांकी का उद्भव और विकास	– प्रो0 गोवर्धन सूर्यवंशी	145
11.	छत्तीसगढ़ी निबन्ध का उद्भव और विकास	– प्रो0 गोवर्धन सूर्यवंशी	152

छत्तीसगढ़ी नाटक का उद्भव और विकास

– प्रो0 गोवर्धन प्रसाद सूर्यवंशी *

सेमेस्टर – IV, प्रश्नपत्र– IV (लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य), इकाई 03

भारत में नाटक के विकास की परंपरा लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व की है, जब भाषाओं के विकास के साथ नाटकों का विकास होना प्रारंभ हो गया था। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत थी और संस्कृत भाषा में प्राचीन काल से ही नाटकों का सृजन प्रारंभ हो गया था।

नाट्य विधा पर विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि द्वारा लिखित "नाट्यशास्त्र" है, जो ईसा पूर्व संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार "भास" के जन्म के आसपास लिखा गया था। तब से संस्कृत भाषा में नाटकों के सृजन की एक समृद्ध परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की गुफा में महाकवि कालिदास ने "मेघदूत" नामक संस्कृत नाटक का सृजन किया था। ईसा के जन्म के बाद पहली शताब्दी से 14 वीं–15 वीं शताब्दी तक संस्कृत नाटकों का निरंतर विकास होता रहा। 16 वीं शताब्दी के बाद संस्कृत नाटकों के सृजन में निरंतर कमी होती गई और इसका स्थान क्षेत्रीय भाषाओं एवं लोक भाषाओं ने ले लिया। क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर नाटकों के स्वरूप में परिवर्तन आता गया।

हिंदी नाटकों के सृजन की शुरूआत 19वीं सदी के अंतिम दशकों में

*जन्म तिथि : 22 सितम्बर 1975, माता : श्रीमती इतवारा देवी सूर्यवंशी, पिता : श्री घासी राम सूर्यवंशी, पत्नी : श्रीमती रजनीगंधा सूर्यवंशी, शैक्षणिक योग्यता : एम. ए. (हिन्दी, राजनीति शास्त्र), बी. एड., नेट, सेट, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शासकीय महाविद्यालय बतौली, जिला– सरगुजा (छ.ग.), आवासीय पता : गौरव ग्राम– अफरीद, विकास खण्ड– बम्हनीडीह, तहसील– चाम्पा, जिला– जांजगीर चाम्पा (छ.ग.), मो0 नं0 : 9755724330, मेल आई डी : govardhanji40@gmail.com

प्रारंभ हुआ, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक नाटकों के साथ–साथ अनेक भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। संस्कृत के नाटकों के साथ पाश्चात्य देशों के प्रसिद्ध नाटककारों के नाटकों का भी अनुवाद हिंदी में हुआ। इस प्रकार नाटक विधा का शुभारंभ भारतेंदु युग में ही हो गया था, जिसमें ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सामाजिक नाटकों के साथ समसामयिक विषयों पर भी नाटकों का सृजन होने लगा था।

छत्तीसगढ़ी नाटकों के उद्‌भव एवं विकास के सही स्वरूप को समझने से पूर्व हिंदी नाटकों के विकास क्रम को समझना आवश्यक है। हिंदी नाटक के विकास को संक्षिप्त रूप में तीन युगों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। भारतेंदु युग में नाटकों के प्रथम दौर की रचना के बाद जयशंकर प्रसाद ने नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। जयशंकर प्रसाद ने कई ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, जिसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण करते हुए भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को चित्रित किया। इस कारण इस युग का नामकरण प्रसाद जी के नाम पर हुआ। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों के द्वारा समकालीन विषयों पर नाटकों का सृजन किया गया, जिसमें देशप्रेम, सामाजिक असमानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, कुरीतियां, भ्रष्टाचार आदि सम्मिलित हैं। प्रसाद युग के बाद प्रसादोत्तर युग में स्वतंत्र भारत में नाटकों के स्वरूप में परिवर्तन आया जिसमें सामाजिक विषयों के साथ साथ आम जन–जीवन, मध्यम वर्गीय परिवार, वर्ग–संघर्ष, मनुष्य के आपसी संबंधों, कुंठा, चिंता, निराशा आदि भावों के ऊपर भी नाटकों का सृजन होने लगा।

हिंदी भाषा के विकास के साथ–साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी होता गया। हिंदी की अनेक उप भाषाएँ एवं बोलियाँ है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की एक बोली के अंतर्गत आती है, जिसमें अवधी एवं बघेली भी सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ी बोली का क्रमशः विकास होते रहने से इसमें साहित्य सृजन हो रहा था। छत्तीसगढ़ी का अलग भाषा के रूप में विकास नहीं हुआ है, न ही इसकी अपनी पृथक लिपि है बल्कि यह अपनी मूलभाषा हिंदी की देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। वर्तमान छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता पूर्व "मध्य प्रांत" और स्वतंत्रता के पश्चात "मध्य प्रदेश" का हिस्सा रहा है। अलग संस्कृति, सभ्यता, रहन–सहन एवं बोली के कारण अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान होने के कारण इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। छत्तीसगढ़ी में नाटकों का सृजन 20 वीं सदी के प्रथम दशक में ही प्रारंभ हो गया था, जब लोचन प्रसाद पांडेय ने 1905 में "कलिकाल"

नामक नाटक की रचना की थी। इस समय हिंदी साहित्य में नाटक विधा अपनी शैशवावस्था में थी।

भाषायी दृष्टि से संपन्न एवं समृद्ध रीति रिवाज से युक्त छत्तीसगढ़ में साहित्य सृजन का यह आरंभिक चरण था। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ी साहित्य केवल गीत, गाथाओं एवं कथा कहानियों में मौखिक स्वरूप में हुआ करता था। छत्तीसगढ़ी साहित्य का अध्ययन करने पर पता चलता है कि छत्तीसगढ़ी साहित्य का विकास 1000 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ हुआ था। उस समय हिंदी अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के शौरसेनी अपभ्रंश से होते हुए वर्तमान स्वरूप में विकसित हो रही थी। वर्तमान खड़ी बोली हिंदी का उस समय मानकीकरण नहीं हुआ था, तब ब्रज और अवधी हिंदी भाषा के रूप में प्रचलित थीं एवं कुछ भागों में राज काज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थीं। ये मूलतः हिंदी की ही उपभाषाएँ एवं बोलियों में से थीं जो देश के अलग–अलग क्षेत्रों में बोली जाती थीं।

छत्तीसगढ़ी बोली का विकास क्रम–

वैदिक संस्कृत – लौकिक संस्कृत – पाली – प्राकृत – अपभ्रंश – अर्द्ध मागधी – पूर्वी हिंदी – छत्तीसगढ़ी।

छत्तीसगढ़ी साहित्य को अध्ययन के दृष्टिकोण से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, गाथा युग – 1000 ई० से 1500 ई० तक। इस काल में तत्कालीन समय में प्रचलित गाथाओं का गायन किया जाता था, जो चारण काव्य के रूप में प्रचलित थी। इसमें अहिमन रानी, केवला रानी, रेवा रानी, राजा वीर सिंह आदि की गाथाएं, साथ ही फूलबासन की गाथा एवं पंडवानी आदि का गायन इस काल की प्रमुख विधा थी। द्वितीय काल को भक्ति युग के नाम से जाना जाता है। इसमें धनी धर्मदास द्वारा कबीर दास के विचारों पर आधारित कबीरपंथ से संबंधित साहित्य एवं गुरु घासीदास जी द्वारा सतनाम पंथ पर आधारित साहित्य का वर्णन मिलता है। इसके अलावा तत्कालीन राज दरबारों में राज्याश्रित कवियों की रचनाएं भी मिलती हैं, जिसमें गोपाल मिश्र, माखन मिश्र, प्रह्लाद दुबे, लक्ष्मण कवि, खंडेराव, बाबू रेवाराम आदि कवियों की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इस काल में फूल कुंवर की गाथा, गोपाल वीर की गाथा "गोपल्ला गीत" में एवं ढोला–मारू की कथा मध्यकालीन युगीन साहित्य में मिलती है। इसका समय 1500 ईसवी से 1900 तक था। तृतीय काल को आधुनिक काल कहा गया है, जिसका प्रारंभ सन 1900 ईस्वी से वर्तमान समय

तक माना गया है। इस काल में छत्तीसगढ़ी की सभी विधाओं का धीरे–धीरे विकास होना प्रारंभ हुआ।

छत्तीसगढ़ी भाषा में नाटकों का विकास लोचन प्रसाद पांडेय द्वारा लिखित "कलिकाल" नाटक से हुआ। हिंदी साहित्य में नाटक का विकास जिस तरह हुआ, उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ी नाटकों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ लेखन के अनुकूल नहीं थी। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास हो रहा था, ऐसे में हिंदी की एक बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी भाषा की सभी विधाओं में साहित्य सृजन सहज एवं आसान नहीं था। छत्तीसगढ़ी साहित्य को विकास के दृष्टिकोण से दो उत्थान कालों में बांटा गया है। प्रथम उत्थान काल 1900 से 1955 ईस्वी तक एवं द्वितीय उत्थान काल 1955 से अब तक। प्रथम उत्थान काल में छत्तीसगढ़ की प्रमुख विधाओं का प्रारंभिक विकास हुआ था। इसमें काव्य के साथ गद्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, उपन्यास आदि प्रमुख विधा शामिल हैं। इस काल में गद्य की अपेक्षा काव्य का विकास अधिक हुआ था, जिसमें कई खंडकाव्य, महाकाव्य एवं इस अन्य प्रबंध काव्यों का सृजन हुआ। फिर भी इस काल में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा "प्रहलाद चरित्र", "ध्रुव आख्यान", "सीता परिणय", "पार्वती परिणय", "विक्रम शशिकला" एवं शुकलाल प्रसाद पांडेय का "केकरा धरैया", "खीरा चोट्टा", प्यारे लाल गुप्त का "एक दिन", लखन लाल गुप्त का "छत्तीसगढ़ी बाल नाटक" प्रमुख हैं। साथ ही लोचन प्रसाद पांडेय द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में "भुतहा मंडल" एवं "केदार गौरी" के साथ हिंदी नाटक "प्रेम प्रशंसा", "माधव मंजरी", "आम की टोकरी", "उन्नति से कहां होगी" आदि की रचना की गई।

द्वितीय उत्थान काल में सभी विधाओं का यथोचित विकास हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ी की प्रमुख विधा नाटक भी सम्मिलित है। इस काल में डॉ खूबचंद बघेल द्वारा लिखित "करम छड़हा", "ऊंच–नीच", "बेटवा बिहाव", "गरकट्टा", "लेड़गा", "किसान के करलइ", "जरनैल सिंह" आदि प्रमुख हैं। "करम छड़हा" नाटक में बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में होने वाली विसंगतियों एवं अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया है तो "गरकट्टा" नाटक मे साहूकारों के द्वारा किसानों के शोषण की दशा का चित्रण किया है।

द्वितीय उत्थान काल में समय के अनुसार नाटक एवं नाटककारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इस क्रम में टिकेंद्र टिकरिहा ने 100 से भी

अधिक नाटकों की रचना की, जिसमें "गंवइहा", "पितर पिंडा", "सउत के डर", "साहूकार ले छुटकारा", "नवा बिहान", "नाक में चूना", "देवार डेरा", "सर्वनाश", "फंदी" आदि प्रमुख हैं। श्री टिकरिया जी ने "गंवइहा" नाटक में गांव के गरीब ब्राम्हण की विवशता का चित्रण किया है तो वहीं "साहूकार ले छुटकारा" में ग्रामीण स्तर पर साहूकारों के द्वारा किसानों के शोषण का चित्रण है।

छत्तीसगढ़ के नाटककारों के चर्चित नाटकों में परदेशी राम वर्मा द्वारा लिखित "मैं बइला नों हव" विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें सीधे–साधे व्यक्ति के शोषण का चित्रण किया गया है। इसके अलावा शेख चंद मेरिया कृत "ओखी" में स्वच्छ पानी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। इसी तरह नंदकिशोर तिवारी द्वारा लिखित "परेमा" नाटक भी चर्चित है। इसके अलावा सुधा वर्मा द्वारा लिखित "दुलारी" नाटक प्रसिद्ध है, जिसमें नारी मन की सभी अभिव्यक्तियों का चित्रण किया गया है। सुधा वर्मा के द्वारा संपादित एवं उदय राम वर्मा व पंथराम वर्मा द्वारा लिखित "रामचरितमानस राम लीला" नाटक, प्रमुख नाटकों में से एक है।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन एवं उससे संबंधित भावों तथा समस्याओं को चित्रित करते हुए अनेक छत्तीसगढ़ी नाटक लिखे गए, जिसमें रामनाथ साहू का "जागे जागे सुतिहा गो" और "हरदी पींयर झांगा पांगा" सम्मिलित हैं। इसके अलावा ग्राम्य जीवन से जुड़े घटनाक्रमों पर आधारित नाटकों में जीवन सिंह ठाकुर द्वारा लिखित "दूब्बर बर दू असाड़", पुनुराम साहूराज का "लमसेना", विश्वेंद्र ठाकुर का "जवाहर बंडी" और केयूर भूषण का "सोन कैना" विशेष उल्लेखनीय हैं।

छत्तीसगढ़ी नाटकों का प्रसारण आकाशवाणी केंद्रों से होता रहा है। ये धारावाहिक नाटकों के रूप में प्रसारित किए जाते थे। इसी क्रम में आकाशवाणी नागपुर से जी. एस. रामपल्लीवार द्वारा लिखित नाटक "पढ़ो किसान– बढ़ो किसान" का प्रसारण नियमित रूप से होता रहा है। इस नाटक का मूल उद्देश्य किसानों के हितों का संवर्धन करना एवं खेती–किसानी के प्रति जागरूकता पैदा करना था। छत्तीसगढ़ी नाटकों का मंचन छत्तीसगढ़ के रंगमंचों पर भी हुआ, जिसे छत्तीसगढ़ी कलाकारों के द्वारा छत्तीसगढ़ के संस्कृतिक रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। इस क्रम में हबीब तनवीर द्वारा लिखित नाटकों का नाम प्रथम क्रम पर आता है, जिसमें "चरनदास चोर", "बहादुर कलारिन", "आगरा बाजार", "गांव का नाम ससुराल मोर नाम

दामाद", "मिट्टी की गाड़ी", "शाजापुर की शांताबाई", "जिन लाहौर नहीं देख्या", "सड़क लाला सुब्रत राय" और "मुद्राराक्षस", "पोंगा पंडित", "शतरंज के मोहरे", "सोन सागर", "हिरमा की अमर कहानी", "देख रहे हैं नैन", "वेणी संहार" विशेष उल्लेखनीय हैं। "चरणदास चोर" और "बहादुर कलारिन" उनके सबसे सफल छत्तीसगढ़ी नाटक हैं। हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी नाटकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने का कार्य किया और एक नई पहचान दिलाया। अपने छत्तीसगढ़ी नाटकों में हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य "नाचा" के पारंपरिक संगीत, वाद्ययंत्र, नृत्य, गायन, अभिनय और मंच पर कलात्मकता एवं कल्पनाशील प्रयोग किया, जिससे गीत, संगीत, नृत्य एवं कथानकों में नवीन भावों का प्रादुर्भाव हुआ। हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी नाटकों की प्रस्तुतियों के लिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों का चयन किया, जिसमें से अनेक कलाकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। हबीब तनवीर ने नुक्कड़ नाटक भी लिखा, जिसमें "शांति कामगार" प्रमुख है। इसी तरह बाल नाटकों की भी रचना उन्होंने की, जिसमें पांच नाटक विशेष उल्लेखनीय हैं– "कारतूस", "चांदी का चम्मच", "आग की गेंद", "परंपरा" और "दूध का गिलास"। इसी तरह प्रेम साइमन के द्वारा लिखे गए नाटक का मंचन भी बड़ी तादाद में हुआ, जिसमें "कारी", "हरेली", "लोरिक चंदा", "गम्मतिहा", "दसमत कैना", "घर कहां है" आदि सम्मिलित हैं।

2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद, जिस अनुपात में साहित्य लेखन होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। इसका प्रभाव अन्य विधाओं की तरह नाटक लेखन पर भी पड़ा। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य के विकास को बल मिला है, परंतु छत्तीसगढ़ी साहित्य की शेष विधाओं की तरह नाटक पर विशेष काम करने की जरूरत है ताकि इस विधा में अधिक–से–अधिक नाटकों का सृजन हो सके।

छत्तीसगढ़ी नाटक में "काव्य नाटिका" भी लिखी गई है, जिसमें जीवन यदु द्वारा लिखित "अइसनेच रात पहाही" एक उच्च कोटि की काव्य नाटिका है। ठीक इसी प्रकार "नुक्कड़ नाटक" लेखन में सुरेंद्र दुबे द्वारा लिखित नुक्कड़ नाटक "दो पांव का आदमी" और "पीरा" सम्मिलित हैं।

छत्तीसगढ़ी नाटकों में समसामयिक विषयों के अनुसार अलग–अलग प्रकार के नाटककारों ने अनेक नाटकों की रचना की, जिसमें हास्य व्यंग्य से संबंधित विषय भी सम्मिलित है। इस क्रम में मकसूदन राम साहू द्वारा लिखित

लोकनाट्य [illegible] जीवन की विसंगतियों पर करारा व्यंग्य है। गिरिवर दास मानिकपुरी का "[illegible] लबरा सियान" हास्य व्यंग्य से भरपूर नाटक है, जिसमें राजनेताओं के काम करने के तरीके को व्यंग्यात्मक एवं चुटीले ढंग से चित्रित किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का "मोला गुरु बनाई लेते" महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी प्रहसन है, जिसे पाठकों द्वारा बहुत पसंद किया गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर चकोर का "टेकहा राजा" का मंचन भी छत्तीसगढ़ के रंगमंचों पर बहुलता से हुआ।

इन नाटकों के अलावा शकुंतला तरार द्वारा लिखित लघु नाटिका– "चूरी", बाबूलाल सिरिया "दुर्लभ" द्वारा लिखित "सुंदरकांड" आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। उपरोक्त नाटककारों के अलावा इस विधा में पीसी लाल यादव, राघवेन्द्र अग्रवाल, बंगाली प्रसाद ताम्रकर, गोकुल बंजारे, गिरवर लाल वर्मा आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

छत्तीसगढ़ी नाटक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह सफल हुआ है। हिंदी साहित्य एवं विभिन्न भाषाओं में साहित्य की सभी विधाओं में सृजन देश भर में हो रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य में साहित्य सृजन के लिए साहित्यकारों को विशेष प्रोत्साहित करने की जरूरत है। राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ी साहित्य की सभी विधाओं के सृजन में निरंतर वृद्धि हुई है। आगामी समय में छत्तीसगढ़ी भाषा के रचनाकारों की रचनाओं को संकलित कर प्रकाशित करना एवं पाठकों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती साबित होगी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन के पश्चात साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने से सभी विधाओं के सृजन में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित साहित्य की समीक्षकों द्वारा समालोचना भी होते रहना चाहिए ताकि उत्कृष्ट कोटि की रचनाओं का सृजन निरंतर होता रहे।

■■

"मैं कई भाषाओं को जानना नहीं चाहता, सिर्फ एक भाषा को तो ठीक से जान लूँ– मानवता की भाषा।"

– डॉ० रमेश टण्डन फूलबंधिया

10.

छत्तीसगढ़ी एकांकी का उदभव और विकास

– प्रो0 गोवर्धन प्रसाद सूर्यवंशी *

सेमेस्टर – IV, प्रश्नपत्र– IV (लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य), इकाई 03

हिंदी साहित्य जगत में अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में हुआ है। विगत एक शताब्दी में जिन विधाओं का विकास हुआ है, उनमें एकांकी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। एकांकी का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में माना जाता है। इस तरह एकांकी के उदभव का बीज भारतेंदु युग में ही रोपित हो गया था, जिनका क्रमशः समय के साथ विकास होता गया। एकांकी आधुनिक वैज्ञानिक युग की देन है। जीवन की व्यस्तता के कारण पाठकों के पास इतना समय नहीं है कि वे बड़े–बड़े नाटकों, उपन्यासों, महाकाव्यों आदि का संपूर्ण रसास्वादन कर सकें, इसीलिए पाठक लघु रूप में इनका आनंद लेना चाहता है। एकांकी नाटक का लघु रूप है। एकांकी के शब्द विस्तार से ही ज्ञात होता है – एक अंक वाली अर्थात एक ही अंक में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने वाली रचना एकांकी कहलाती है। एकांकी में जीवन की एकरूपता, कथा में अनावश्यक विस्तार की उपेक्षा, चरित्र चित्रण की तीव्र और संक्षिप्त रूपरेखा, कुतूहल की स्थिति, प्रारंभ से ही व्यंजकता की अधिकता और प्रभावशीलता, चरम सीमा तक निश्चित बिंदु में केंद्रीकरण तथा घटनाओं की न्यूनता के कारण कथानक की गति क्षिप्र होती है। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी एकांकी का विकास क्रम हो इस तरह समझा जा सकता है।

प्रथम–	भारतेंदु–द्विवेदी युग (1875 से 1928 तक),
द्वितीय–	प्रसाद युग (1929 से 1937 तक),
तृतीय–	प्रसादोत्तर युग (1938 से 1947 तक),
चतुर्थ–	स्वातंत्र्योत्तर युग (1948 से अब तक)।

* परिचय, अध्याय 9 के अनुरूप।

प्रथम काल (भारतेंदु–द्विवेदी युग)–

जिस प्रकार नाटकों के लिखने की शुरुआत भारतेंदु युग के नाटककारों से हुई, उसी प्रकार एकांकी लेखन की शुरुआत भी भारतेंदु युग से हुई है। भारतेंदु युग में एकांकी लेखन की शुरुआत मूलतः अन्य भाषाओं की एकांकियों के अनुवाद के साथ कुछ मौलिक एकांकियों के सृजन से हुई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मौलिक एकांकी लेखन में अग्रणी थे। इन्होंने तत्कालीन समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को विषय बनाया। इसके अलावा प्राचीन परंपराओं, कुप्रथाओं, स्वस्थ सामाजिक विकास में बाधक रीति–रिवाजों को दूर कर स्वस्थ वातावरण निर्माण का कार्य इस युग के एकांकीकारों ने किया। इस प्रकार भारतेंदु युग नव चेतना और जागृति का युग था। देशभक्ति और राष्ट्रीयता का उन्मेष होने से इस काल के एकांकीकारों ने जनजागृति के लिए एकांकी एवं प्रहसन लिखे, जिसमें भारत की तत्कालीन दुर्दशा, पराधीनता का क्षोभ, अतीत की स्मृति, राष्ट्र में आत्म गौरव की भावना का जागरण, राष्ट्रहित, आशा–निराशा का द्वंद्व आदि भावों का चित्रण अपनी एकांकियों में किया।

इन प्रवृत्तियों के साथ ही हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी का लेखन भी हुआ, जो धार्मिक और सामाजिक भावों में व्यंग्यात्मकता को समेटे हुए था। इन एकांकियों पर पारसी रंगमंच का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह इस काल में एकांकी के कई स्वरूप देखने को मिला, जिसमें संस्कृत की नाट्य परंपरा, अंग्रेजी बंगला और पारसी के रंगमंच से प्रभावित एकांकी एवं लोकनाट्य प्रमुख उल्लेखनीय है। भारतेंदु– द्विवेदी युग के प्रमुख एकांकीकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट एवं अंबिकादत्त व्यास प्रमुख हैं। वस्तुतः इनके द्वारा लिखी गई एकांकी मूल रूप से नाटक का लघु रूप है, जो एकांकी के विकास के लिए एक धरातल का कार्य किया।

प्रसाद युग (1929 से 1937)–

हिंदी एकांकी के विकास के दृष्टिकोण से द्वितीय युग को प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक एकांकी साहित्य की प्रथम मौलिक कृति के रूप में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित "एक घूंट" को माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। इस एकांकी में एकांकी के सभी महत्वपूर्ण

तत्व एवं शिल्प विद्यमान दिखाई देते हैं। पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों एवं वर्तमान गद्य प्रभावों की प्रेरणा से वास्तव में आधुनिक ढंग से हिंदी एकांकियों का विकास प्रसाद युग में हो पाया। कुछ विद्वानों ने डॉ. रामकुमार वर्मा की एकांकी "बादल की मृत्यु" को आधुनिक हिंदी की पहली एकांकी माना है, जो पूर्ण रूप से एकांकी के तत्वों से युक्त थी। एकांकी में स्थान, समय और घटना का संकलन त्रय होना आवश्यक है। एकांकी के प्रमुख तत्वों में कथानक या कथावस्तु, पात्र या चरित्र–चित्रण, संवाद अथवा कथोपकथन, देश काल या वातावरण, भाषाशैली, उद्देश्य एवं रंग संकेत प्रमुख होते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर प्रसाद युग को आधुनिक एकांकी का वास्तविक सृजन काल माना जाता है। इस युग में एकांकी का सृजन रंगमंच को दृष्टि में रखकर किया गया, जिससे पाठकों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन हो सके। इस युग की एकांकी में प्रयुक्त संवादों में सजीवता, संक्षिप्तता एवं मार्मिकता पर ध्यान दिया गया। एकांकी के साथ–साथ प्रहसन, फेंटेसी, गीतिनाट्य, ओपेरा, संवाद या संभाषण, वीडियो प्ले, झांकी तथा मोनोड्रामा आदि एकांकी के नवीन रूपों का विकास भी इसी काल में हुआ।

इस युग में सामाजिक जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसमें जीर्ण–शीर्ण होती परंपरा, रूढ़िवादिता, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जातीय अस्पृश्यता की समस्या, मद्यपान, जुआ तथा समाज में फैले व्यभिचार आदि समस्या को केंद्रित कर एकांकी का सृजन किया गया, यद्यपि भारतेंदु युगीन एकांकीकारों ने भी इन पर प्रहार किया था, परंतु इनका निवारण और उन्मूलन सहज नहीं था, क्योंकि इनकी जड़ें समाज में बहुत गहरी थी, अतः प्रसाद युगीन एकांकीकारों ने भी अपनी रचनाओं में इसका चित्रण किया। सामाजिक समस्याओं के अलावा इस युग में हास्य व्यंग्य प्रधान धाराओं पर भी एकांकी का सृजन किया गया, जिसमें तत्कालीन समय की रूढ़िवादिता, कुप्रथा एवं प्रचलित सामाजिक परंपराओं पर व्यंग्य किया गया है। इस तरह प्रसाद युग के विभिन्न एकांकीकारों ने विविध क्षेत्रीय समस्याओं एवं परिस्थितियों के उदघाटन के साथ हास्य व्यंग्य को भी महत्व दिया। इस युग के एकांकीकारों ने एकांकी के लिए एक पृष्ठ भूमि तैयार कर आधुनिक एकांकी साहित्य को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस काल के प्रमुख एकांकीकारों में जी.पी. श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन, रामनरेश त्रिपाठी, सेठ गोविंद दास, चतुरसेन शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत, द्वारिका प्रसाद गुप्त,

पांडे बेचन शर्मा उग्र, सत्येंद्र, पृथ्वीराज शर्मा आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने अलग–अलग विषयों पर एकांकियों का सृजन किया।

प्रसादोत्तर युग (1938 से 1947 तक)–

यह हिंदी एकांकी के विकास की तीसरी अवस्था है, जिसका समय 1938 से 1947 तक माना जाता है। इस काल में हिंदी एकांकी का उत्तरोत्तर विकास हुआ। इस काल को दो उप सोपानों में विभाजित किया जा सकता है।

प्रथम– 1938 से 1940 ईस्वी तक एवं

द्वितीय– 1941 से 1947 तक।

प्रथम सोपान में, प्रारंभिक समय में हिंदी एकांकी की विभिन्न समस्याओं एवं परिस्थितियों पर तर्क–वितर्क मिलता है। इस काल में विषय, शैली और दृष्टिकोण को नया मोड़ दिया गया, साथ ही पाश्चात्य नाट्य शैली एवं विकसित प्रवृत्तियों का प्रभाव इस युग के एकांकीकारों पर पड़ा। इस युग के एकांकीकारों में परंपरागत एकांकी तत्वों का निर्वाह करने के साथ–साथ अभिनव शिल्प रुपों को भी स्थान देने का दायित्व मिला। विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी को मात्र मनोरंजन की वस्तु न बनाकर उसने (एकांकीकारों ने) मानव जीवन की सामयिक समस्याओं एवं विरुपताओं का चित्रण प्रारंभ कर दिया, अर्थात आदर्शवाद की एकांगी घेरे से एकांकी को निकालकर यथार्थवाद की ओर बढ़ा दिया। इस काल के एकांकीकारों की एकांकी "हंस" और "विश्वामित्र" जैसे पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी।

द्वितीय सोपान 1940 से 1947 तक था। यह समय देश में विपत्तियों का समय था, जिसने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में एकांकी लेखन को प्रभावित किया। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, बंगाल में अकाल, आजादी की हुंकार, विदेशी शासकों का लोमहर्षक अत्याचार, चोर बाजारी आदि घटनाएँ घटित हो रही थी, जिनसे एकांकी लेखन प्रभावित हुए बिना नहीं रही। इस समय कृत्रिमता के बजाय स्वाभाविक और सहज जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली एकांकियों का सृजन हुआ, जिनके प्रदर्शन से रंगमंच पर सहजता, सरलता, स्वाभाविकता एवं यथार्थ के दर्शन होते हैं। इस युग के एकांकीकारों ने युगीन सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, विकृतियों एवं अज्ञानताओं का बड़ा ही प्रभावोत्पादक किंतु व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है, साथ ही सामाजिक बाह्याडंबर, स्त्री–पुरुष संबंध, यौन विषयक

समस्याओं एवं प्राचीन और अप्रगतिशील मान्यताओं का चित्रण किया है तथा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देश प्रेम, देशद्रोही व्यक्तियों के स्वार्थ का भी चित्रण किया है। ऐसे देशद्रोहियों को देशभक्ति की शिक्षा देने के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक पात्रों के आदर्श एवं त्यागमय चरित्र को अपनी एकांकियों में प्रस्तुत गया है।

मनोवैज्ञानिक एकांकी की प्रवृत्ति का जन्म भी इस युग में हुआ। इस युग में पाश्चात्य नाटकों का प्रभाव भी हिंदी एकांकी पर पड़ा, जिसमें हैनरिक, इब्सन, बर्नार्ड शा, गार्ल्सवादी, चेखव, फ्रायड आदि का नाम उल्लेखनीय है। इस काल के प्रमुख एकांकीकारों में डॉ. रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर, गिरिजाकुमार माथुर, शंभू दयाल सक्सेना, जगदीश चंद्र माथुर, हरि कृष्ण प्रेमी, भगवती चरण वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

प्रसादोत्तर अथवा स्वातंत्र्योत्तर युग (1948 से अब तक) :–

प्रसादोत्तर युग हिंदी एकांकी के विकास की चौथी अवस्था है। यह स्वतंत्रता के पश्चात आरंभ होता है, इसलिए इसे स्वातंत्र्योत्तर युग के नाम से भी जाता है। इस युग में हिंदी एकांकी के ऊपर रेडियो का प्रभाव बड़ी गहराई से पड़ा, जिसके कारण रेडियो–एकांकियों की मांग बढ़ने लगी। डॉ. दशरथ ओझा ने लिखा है कि "हिंदी के जितने नाटक आज रेडियो स्टेशनों पर अभिनीत होते हैं उतने सिनेमा की प्रयोगशालाओं में भी नहीं होते होंगे"। अतः नाट्यकला का भविष्य रेडियो रूपक की रचनाओं के हाथ में है।

स्वातंत्र्योत्तर युगीन हिंदी एकांकी के स्वरूप में विविध परिवर्तन हुआ। एक ओर परंपरागत शैली में राष्ट्रीय भावना प्रधान एकांकी लिखे गए तो दूसरी ओर ध्वनि नाट्य तथा गीतिनाट्य का भी विकास हुआ। इस युग के एकांकीकारों ने सामाजिक, राजनीतिक, मानवतावादी तथा यथार्थवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर एकांकियों की रचना की, जिनमें पूंजीवाद का विरोध, वर्ग संघर्ष, सड़ी गली रूढ़ियों के प्रति अनास्था, मानव अंतर्मन की संभावनाओं का विश्लेषण, भ्रष्टाचार–उन्मूलन, कृषक एवं मध्यम वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष आदि समसामयिक विषय सम्मिलित हैं। इस काल के प्रमुख एकांकीकारों में विनोद रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण लाल, जयनाथ नलिन, विष्णु प्रभाकर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, करतार सिंह दुग्गल, राजा राम शास्त्री,

गोविंद लाल माथुर, प्रेम राज शर्मा, मोहन राकेश, गंगाधर शुक्ला एवं यज्ञदत्त शर्मा आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

छत्तीसगढ़ी एकांकी का विकास–

हिंदी एकांकी के साथ छत्तीसगढ़ी एकांकी का विकास भी होता गया। छत्तीसगढ़ी भाषा, पूर्वी हिंदी की एक बोली है, जिसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एकांकी का विकास छत्तीसगढ़ी साहित्य में धीरे–धीरे हुआ। छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ। अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे दो उत्थान कालों में विभाजित किया गया है। प्रथम उत्थान काल का समय वर्ष 1900 से 1955 तक एवं द्वितीय उत्थान का 1955 से अब तक है। छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्यकारों ने इस समय विभिन्न विधाओं में सृजन किया।

छत्तीसगढ़ी भाषा के एकांकीकारों ने हिंदी के एकांकीकारों से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ी साहित्य के द्वितीय उत्थान काल में एकांकियों का सृजन किया। इस काल में कपिलनाथ कश्यप के एकांकी संग्रह "अंधियारी रात" के अलावा "नवा बिहान", "पूजा के फूल", "गुरांवट बिहाव", "डहर के फूल", "गोहार", "किसान अऊ भगवान", "ग्राम सुधार", "पापी पेट", "गांव के गरीबी" आदि अन्य एकांकी सम्मिलित है। इसके अलावा नारायण लाल परमार की "मतवार" एवं "दूसर एकांकी" एवं राम कैलाश तिवारी की "दिशा" एवं "भांटो तोर मेछा" भी चर्चित हैं।

छत्तीसगढ़ी एकांकीकारों में संतोष चौबे की "ठोम्हा भर चाउर", "चोर ह चिल्लाइस चोर चोर", "गनपत के गांव", "जस करनी तस भरनी", "मकर संकरायत" आदि सम्मिलित है। महिला एकांकीकारों ने भी अपनी लेखनी चलाई, जिसमें सरला शर्मा द्वारा रचित "एक संगवारी" विशेष उल्लेखनीय है। इसके अलावा रेडियो रूपक के रूप में डॉ. सत्यभामा आडिल द्वारा लिखा गया "एक पुरुष" विशेष उल्लेखनीय है।

लखन लाल गुप्त की एकांकी "सरग ले डोला आइस" और महेत्तर राम साहू की "सब परे हे चक्कर म" विशेष उल्लेखनीय है। इन एकांकीकारों के अलावा डॉ. सुखदेव राम साहू, बंगाली प्रसाद ताम्रकर आदि ने भी विभिन्न विषयों से संबंधित छत्तीसगढ़ी एकांकी का सृजन किया।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ी एकांकी में और भी कार्य हो रहे हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ी एकांकीकारों को प्रोत्साहित करने

की जरूरत है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ी भाषा के सभी विधाओं को संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिला है। छत्तीसगढ़ी साहित्य की अन्य विधाओं की तरह छत्तीसगढ़ी एकांकी के विकास की बेहतर संभावनाएँ हैं।

■■

"मेरे बच्चों के कार्यों से मेरा मूल्यांकन न करें, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्त्व पृथक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, भेड़—बकरी नहीं।"

— डॉ० रमेश टण्डन फूलबंधिया

छत्तीसगढ़ी निबन्ध का उद्भव और विकास

– प्रो0 गोवर्धन प्रसाद सूर्यवंशी *

सेमेस्टर – **IV**, प्रश्नपत्र– **IV** (लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य), इकाई 03

निबंध हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है, जिसमें लेखक अपने विचारों को पाठकों तक स्वच्छंद भाव से प्रकट करता है और पाठकों को उस धरातल पर ले जाता है, जो उस निबंध का प्रमुख भाव होता है। हिंदी साहित्य में निबंध विधा का अपना एक अलग स्थान है। निबंध आधुनिक काल की एक सशक्त विधा है जिसमें निबंधकार अपने भावों और विचारों को बिना किसी बंधन के प्रकट कर सकता है। गद्य की भाषा का चरमोत्कर्ष निबंध में देखा जाता है इसलिए निबंध को गद्य का श्रृंगार भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार– "यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है"। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में निबंध विधा की शुरुआत हुई। निबंध साहित्य के विकास को अध्ययन के दृष्टिकोण से चार कालों में विभक्त किया जा सकता है।

प्रथम–	भारतेंदु युग	(1850 से 1900)
द्वितीय–	द्विवेदी युग	(1900 से 1920)
तृतीय–	शुक्ल युग	(1920 से 1940)
चतुर्थ–	शुक्लोत्तर युग	(1940 से अब तक)

प्रथम उत्थान काल (1850 से 1900 तक)–

आधुनिक काल में भारतेंदु युग को निबंध साहित्य का प्रथम उत्थान काल कहा जाता है, जिसका समय 1850 से 1900 तक है। इस काल में निबंध लेखन की शुरुआत हुई थी। प्रारंभ में निबंधों के मुख्य विषय समाज सुधार, धर्म, राजनीति, इतिहास, आलोचना, यात्रा, आत्मचरित, प्रकृति वर्णन, स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी विचार एवं अन्य समसामयिक विषय थे। निबंधों के

* परिचय, अध्याय 9 के अनुरूप।

विकास में 1860 से लेकर 1900 के मध्य में प्रकाशित अनेक पत्र–पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें "हरिश्चंद्र चंद्रिका", "भारत मित्र", "हिंदी प्रदीप", "हिंदुस्तान", "ब्राम्हण", "भारत जीवन" और "साहित्य सुधा निधि" प्रमुख हैं। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, अंबिकादत्त व्यास और ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

द्वितीय उत्थान काल (1900 से 1920)–

यह काल हिंदी के उन्नयन और विकास का काल था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य में अप्रतिम योगदान के लिए इस काल को द्विवेदी युग भी कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित "सरस्वती" मासिक पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली और हिंदी साहित्य का विकास निश्चित रूप से हुआ। इसमें विविध विधाओं के विकास एवं उत्थान के लिए भरसक प्रयास किया गया। इस काल में अलग–अलग विधाओं में लिख रहे साहित्यकारों की रचनाओं को "सरस्वती" पत्रिका में स्थान भी दिया गया। हिंदी गद्य के परिमार्जन एवं परिष्करण का कार्य अपने हाथों में लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा और साहित्य, पुरातत्व और इतिहास, अध्यात्म और विज्ञान, भूगोल आदि विविध विषयों पर स्वयं निबंध लिखे और दूसरे लेखकों से भी लिखवाये। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक उच्च कोटि के निबंधकार थे, जो समकालीन निबंधकारों को भी प्रोत्साहित किया करते थे। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्यामसुंदर दास, माधव प्रसाद मिश्र, पदमसिंह शर्मा, गोविंद नारायण मिश्र आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है ।

तृतीय उत्थान काल (1920 से1940)–

इस काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। इस काल में हिंदी व्याकरण के नियम स्थिर हुए और भाषा को प्रौढ़ता प्राप्त हुई, जिसके कारण विचारात्मक निबंध अधिक मात्रा में लिखे गए। इसके अलावा वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, कथात्मक तथा शोधपरक जैसी विविध शैलियों में निबंधों की रचना हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मनोभावों पर लिखे गए निबंध हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध साहित्य की अमर निधि है। उनके निबंधों में सहृदयता और बौद्धिकता का मणिकांचन संयोग हुआ है,

जो निबंध संग्रह चिंतामणि भाग– एक और भाग– दो में संकलित है। शुद्ध अनुभव के बल पर क्रोध, करुणा, उत्साह जैसे अमूर्त विषयों पर ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण अत्यंत दुर्लभ है। समकालीन निबंधकारों ने भी इस काल में उत्कृष्ट निबंधों का सृजन किया। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, बाबू गुलाबराय, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद, राय कृष्णदास, राहुल सांकृत्यायन, नंददुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और डॉ. धीरेंद्र वर्मा आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

चतुर्थ उत्थान काल (1940 से अब तक)–

इस काल को स्वातंत्र्योत्तर या शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात निबंधकारों में एक नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विचारात्मक निबंध के क्षेत्र में अद्वितीय काम किया। सामान्य–से विषयों पर भी उनका पांडित्य और चिंतन की सूक्ष्मता मनोहारी है। उनके निबंधों में जन–जीवन की मनोहारी झांकी दिखाई देती है। स्वातंत्र्योत्तर काल में निबंधों की रचना मे विविधता आ गई। ललित निबंधों का लेखन भी इसी काल में प्रारंभ हुआ। स्वातंत्र्योत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों में जैनेंद्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉ.वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉ. नगेंद्र, डॉ. रामविलास शर्मा, अज्ञेय, विनय मोहन शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉ. नामवर सिंह, डॉ. रघुवंश, डॉ. जगदीश गुप्त, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी आदि प्रमुख हैं।

छत्तीसगढ़ी निबंध साहित्य का विकास–

छत्तीसगढ़ी निबंध साहित्य का विकास हिंदी साहित्य के निबंध के साथ होना प्रारंभ हो गया। समृद्ध रीति–रिवाज एवं परंपराओं से युक्त होने के कारण छत्तीसगढ़ी साहित्य की प्रत्येक विधा में साहित्य मिलता है। छत्तीसगढ़ी साहित्य के अंतर्गत निबंध साहित्य भी प्रमुख विधाओं में सम्मिलित है, परंतु निबंधों की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। छत्तीसगढ़ी साहित्य को दो उत्थान कालों में विभाजित किया गया है।

प्रथम उत्थान काल– 1900 से 1955 तक,

द्वितीय उत्थान काल– 1955 से अब तक।

छत्तीसगढ़ी निबंध साहित्य का प्रारंभ बीसवीं सदी के प्रथम दशक से ही हो गया था। इस काल में पंडित मुकुटधर पांडेय ने "छायावाद और

श्रेष्ठ निबंध" तथा "परिश्रम" शीर्षक से निबंध संग्रह की रचना की। इसी तरह शुक्ल काल के प्रसिद्ध निबंधकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध संग्रह "पंचपात्र" का सृजन इसी काल में हुआ था। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ के निबंधकारों के द्वारा हिंदी में निबंध लिखे गए, जो छत्तीसगढ़ी निबंध लिखने के लिए एक जमीन तैयार करने जैसा था। इसके अलावा लोचन प्रसाद पांडेय के निबंध भी इसी काल में सृजित थे, जिसमें "किरारी का काष्ठ स्तंभ" एवं "गूंजी का शिलालेख" विशेष उल्लेखनीय है।

द्वितीय उत्थान काल में छत्तीसगढ़ी निबंधों के ऊपर अधिक कार्य हुआ। छत्तीसगढ़ी निबंध साहित्य का प्रथम निबंध केयूर भूषण द्वारा लिखित "राड़ी ब्राम्हन के दुर्दशा" (1968) को माना जाता है, जिसमें केयूर भूषण जी ने अपने स्वतंत्र विचार लिखे थे। इसी समय लखन लाल गुप्त के द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह "गोठ बात" और "सोनपान" (1968) भी विशेष उल्लेखनीय है। कपिल नाथ कश्यप के द्वारा लिखित निबंध संग्रह "निसैनी" का प्रकाशन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के विविध विषयों पर लिखे गए निबंध संकलित है। इसके अलावा डॉ. पालेश्वर प्रसाद शर्मा का "प्रबंध पाटल" शीर्षक से निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ, जो दो भागों में 1955 और 1971 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा "सुरुज साखी हे" शीर्षक से पालेश्वर प्रसाद शर्मा ने ललित निबंध भी लिखे। साथ ही समाचार पत्रों में "गुड़ी के गोठ" स्तंभ के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ी निबंध को उन्होंने समृद्ध किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात द्वितीय उत्थान काल में छत्तीसगढ़ी निबंध और निबंधकारों की संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई। इस काल में उच्च कोटि के निबंध लिखे गए, जिसमें डॉ. विनय कुमार पाठक का नाम भी सम्मिलित है। डॉ. पाठक जी ने "एकेच रूख एकेच शाखा" नामक जीवनी एवं रेखाचित्र लिखे, इन्होंने छत्तीसगढ़ी निबंधों की विविधता को इसमें संग्रहित किया है। महिला साहित्यकारों के द्वारा भी छत्तीसगढ़ी निबंध साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया गया। इसमें डॉ. निरुपमा शर्मा का "इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़" और सरला शर्मा का "आखर के अरघ" एवं "सुन संगवारी" प्रमुख हैं । इसके अलावा सुधा वर्मा का "तरिया के आंसू", "परिया धरती के सिंगार", "बरबर के गोठ" आदि भी उल्लेखनीय है।

छत्तीसगढ़ी निबंधकारों में जीवन यदु द्वारा लिखित "लोक स्वप्न में लिली हिंसा" भी उल्लेखनीय है। इसके अलावा दानेश्वर शर्मा का "लोकदर्शन" निबंध संग्रह भी उल्लेखनीय है। देवी प्रसाद वर्मा (बच्चू जांजगीरी) द्वारा

"माधव राव सप्रे निबंधावली एवं "माधव राव सप्रे के निबंध" शीर्षक से उनके निबंधों का संपादन किया गया है।

छत्तीसगढ़ी निबंध साहित्य को समृद्ध करने में अनेक साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि एवं लोक गायक लक्ष्मण मस्तुरिया का नाम आता है, जिन्होंने "माटी कहे कुम्हार से" शीर्षक से अपने निबंधों का लेखन किया। इसी तरह गया राम साहू का "जानो अतका बात" का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त डॉ. सुखदेव राम साहू, विद्या भूषण मिश्र, बंगाली प्रसाद ताम्रकार, डॉ. बलदेव, परदेशी राम वर्मा, लाला जगदलपुरी आदि ने भी छत्तीसगढ़ी निबंध साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया।

छत्तीसगढ़ी निबंध साहित्य का विकास क्रम जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ी निबंध और निबंधकारों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना होगा। 90 के दशक के पश्चात विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित निबंधों के द्वारा छत्तीसगढ़ी निबंध के लेखन में बढ़ोतरी हुई है। "भोजली", "छत्तीसगढ़ी लोक", "लोकाक्षर", "मयारू माटी", "मड़ई", "उताही" आदि पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ी निबंधकारों के निबंध एवं अन्य रचनाएँ प्रकाशित हो रही हैं। अन्य समाचार पत्रों के साप्ताहिक अंकों में भी छत्तीसगढ़ी निबंध को विशेष स्थान एवं महत्व दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन के पश्चात इस कार्य में और भी तेजी आई है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ी साहित्य के रचनाकारों को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन मिल रहा है, जिसके कारण धीरे–धीरे निबंध के क्षेत्र में भी निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्य गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ी साहित्य के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हो रहा है, जो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ी साहित्य की निबंध विधा सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ी साहित्य की निधि को समृद्ध करेंगे।

■■

"मातृभाषा हिन्दी को माँ की तरह प्रेम दूँगा, पितृभाषा छत्तीसगढ़ी को पिता की तरह प्रेम दूँगा और अंग्रेजी को अंकल की तरह जो सारे जग के परिचित एवं अपरिचित लोगों के लिए लागू होता है।"

– डॉ0 रमेश टण्डन फूलबंधिया